यशोभूमि:YASHOBHOOMI

7वीं वार्षिक आम बैठक

2023-24

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

(CIN-U74999DL2017GOI327372)

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

विषय-वस्तु

विवरण	पृष्ठ सं.
कंपनी की सूचना	**1**
अध्यक्षीय संबोधन	**2-3**
वार्षिक आम सभा बैठक का नोटिस	**4-14**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट	**15-47**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	**48-50**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट	**51-79**
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण	**80-120**

कंपनी की सूचना

निदेशक मंडल:

1. श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
2. श्री बी.वी.आर. सुब्रहमण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
3. श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
4. श्रीमती आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
5. श्रीमती गुरनीत तेज, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईआईसीसी लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक **मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी,** **चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स**	**आंतरिक लेखापरीक्षक** **मैसर्स जे मंडल एंड कंपनी** **चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स**
सचिवीय लेखापरीक्षक **मैसर्स जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स** **पेशेवर कंपनी सचिव**	
बैंकरः	
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया **उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड,** **नई दिल्ली-110001**	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** **कॉरपोरेट एकाऊंट्स ग्रुप-II ब्रांच,** **नई दिल्ली-110001**
मुख्य वित्तीय अधिकारी **श्री निखिल जैन**	
ऋद्धि मदान गौड़ **कंपनी सचिव**	
पंजीकृत कार्यालयः **कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी** **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011**	**संपर्क पताः** **इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड यशोभूमि - आईआईसीसी,** **कन्वेंशन सेंटर, सेक्टर - 25** **द्वारका, नई दिल्ली-110077**

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरे और आपकी कंपनी के निदेशक मंडलों के लिए "इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसीएल)" की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखा और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना हार्दिक प्रसन्नता की बात है।

आईआईसीसी, द्वारका में परियोजना के चरण का उद्घाटन17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया जिसमें ट्रंक अवसंरचना और प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र शामिल हैं । दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। बनाई गई सुविधाओं को "यशोभूमि" नाम दिया गया।

यशोभूमि ने पी-20 शिखर सम्मेलन, एक्सपो, बैठकें, दीक्षांत समारोह, सम्मेलन आदि जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक मेजबानी की है और इनमें से कई कार्यक्रमों के आयोजकों से पुनः बुकिंग सुनिश्चित की गई है। उपरोक्त कार्यक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार की विभिन्न एजेंसियों से भागीदारी को आकर्षित किया है और उन्होंने भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के लिए पुनः आने की इच्छा व्यक्त की है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 3 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अतिरिक्त जन-शक्ति की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

आईआईसीसी लिमिटेड ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता तैयार की है। इसके अनुपालन की पुष्टि वार्षिक आधार पर सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त की जाती है।

आईआईसीसीएल कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट प्रशासन में डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार रखी जाने वाली आवश्यक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है और व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न है।कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में , वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपेक्षित सीएसआर निधि व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में 1.72 लाख रुपये का योगदान दिया है ।

मैं, निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कंपनी के अन्य सरकारी प्राधिकरणों, विभागों, अन्य हितधारकों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई निरंतर सहायता और समर्थन के लिए यथार्थ भाव से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कंपनी की प्रगति में योगदान देने के लिए सभी बोर्ड सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

हस्ता

(अमरदीप एस. भाटिया)

अध्यक्ष

डीआईएन: 10776570

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

नोटिस

एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 07वीं (सातवीं) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को शाम 05:30 बजे समिति हॉल नंबर 225, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी जो 30 दिसंबर, 2024 को आयोजित मूल वार्षिक आम बैठक में अनसुलझे रह गए थे :

साधारण व्यवसायः

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अपनाना।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.03.2025

हस्ताक्षर
(ऋद्धि मदान गौड़)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी वाणिज्य
एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

<u>नोटः</u>

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर सदस्यों द्वारा 30 दिसंबर, 2024 को मूल रूप से आयोजित 7वीं वार्षिक आम बैठक में विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। उक्त बैठक में, अन्य सभी एजेंडा मदों पर विचार करने के बाद, सदस्यों ने बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का संकल्प लिया, ताकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद इसे फिर से बुलाया जा सके। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ 19 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई हैं और उनकी एक प्रति इस सूचना के साथ संलग्न है। अब स्थगित 7वीं वार्षिक आम बैठक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के 31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर विचार करने के लिए कार्यसूची मद पर विचार करने के लिए बुलाई जा रही है, साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियां भी शामिल हैं। वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष रखे जाने के लिए आवश्यक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक अनुलग्नक युक्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों और अन्य लोगों को ई-मेल के माध्यम से स्थगित 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ भेजा जा रहा है (जैसा लागू हो)।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी 'सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2)' के मानक संख्या 15.2 के प्रावधानों के अनुसार, इस स्थगित बैठक के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक नया नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि बैठक को 'अनिश्चित काल के लिए' स्थगित कर दिया गया था।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम दस प्रतिशत हिस्सेदारी रखता हो तथा उसे मताधिकार प्राप्त हो।
4. कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखने वाला सदस्य, जिसके पास मताधिकार है, किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
5. कंपनी की किसी बैठक में या उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले से लेकर बैठक के समापन तक की अवधि के दौरान कंपनी के कारोबारी घंटों के दौरान किसी भी समय जमा किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कि निरीक्षण करने के इरादे की कंपनी को कम से कम तीन दिन पहले लिखित सूचना दी जाए।
6. नोटिस और नोटिस में संदर्भित अन्य दस्तावेज भी कार्य दिवसों में सामान्य कार्य घंटों के दौरान और वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

****

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

नोटिस

एतद्वारा नोटिस पर **सूचना** दी जाती है कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के सदस्यों की 07 (सातवीं) वार्षिक आम सभा बैठक सोमवार, 30 दिसंबर, 2024 को शाम 04.00 बजे, कमेटी हॉल सं. 225, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में निम्नलिखित कार्यों के संव्यवहार के लिए आयोजित किया जाएगाः

<u>सामान्य कार्य:</u>

1) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित निदेशक मंडल और तत्संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना एवं इस संबंध में एक साधारण संकल्प के रूप निम्नलिखित संकल्प को पारित करना:

   "संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्टें जो इस बैठक में रखी गई है, उनको अनुमोदित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है।"

2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय द्वारा नामित कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए और इस संबंध में, आशोधन सहित अथवा बिना आशोधन के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, उनके अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय के दिनांक 19 सितंबर, 2024 के पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, आईआईसीईसीएल(1)/184 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, चार्टड एकाऊंटेंट्स, नई दिल्ली की नियुक्ति को एतद्वारा नोट किया जाता है।"

   "यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ को एतद्वारा सीएंडएजी द्वारा नामित सांविधिक लेखा परीक्षों के परिश्रामिक सहित निबंधन एवं शर्तों को निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

<u>विशेष कार्य:</u>

3) श्री अमरदीप सिंह भाटिया (डीआईएन-10776570) की नियुक्ति को कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियमित करने के लिए और इस संबंध में विचार करना और उचित पाए जाने पर आशोधन सहित अथवा बिना आशोधन के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, जिसे उस समय पर किसी भी सांविधिक आशोधनों अथवा किए गए पुनः अधिनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियमों और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, श्री अमरदीप सिंह भाटिया (डीआईएन-10776570), जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा जारी आदेश सं. 36/01/2024-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में में दिनांक 14 सितंबर, 2024 से कंपनी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी आम सभा की बैठक की तिथि तक कार्यभार संभालते हैं और एतद्वारा कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।**"**

4) सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन-07047188) की नियुक्ति को कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियमित करना और इस संबंध में विचार करना और उचित पाए जाने पर आशोधन सहित अथवा बिना आशोधन (आशोधनों) के निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के अनुसरण जिसे उस समय पर किसी भी सांविधिक आशोधनों अथवा किए गए पुनः अधिनियमन के अंतर्गत बनाए गए नियमों और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन-07047188), जिन्हें डीपीआईआईटी द्वारा जारी दिनांक 25 नवंबर, 2024 द्वारा जारी आदेश सं. जी40022/14/2018-आईडी-1 के अनुसरण में में दिनांक 25 नवंबर, 2024 से कंपनी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी आम सभा की बैठक की तिथि तक कार्यभार संभालते हैं और एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।**"**

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.12.2024

पंजीकृत कार्यालय:
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी**,**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन**,**
नई दिल्ली-110011

हस्ताक्षर
(गुरनीत तेज)
निदेशक
डीआईएनः 07047188
डी-1/190, रबिंदर नगर,
अमृता शेरगिल मार्ग, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले विशेष संव्यवहारों के संबंध में, व्याख्यात्मक विवरण साथ में संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।
2. **यदि कोई सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने और वोट डालने का पात्र है तो वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने का पात्र है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के संबंध में, प्रॉक्सी फार्म यथोचित रूप से भरकर वार्षिक आम सभा की निर्धारित बैठक से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा होना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।**
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 के अनुसार, कोई व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, तथा कंपनी की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम दस प्रतिशत हिस्सेदारी रखता हो तथा उसे मताधिकार प्राप्त हो।
4. वोटिंग अधिकार वाली कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक वाला कोई भी सदस्य एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा शेयरधारक के प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
5. कंपनी की किसी बैठक में या उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले से लेकर बैठक के समापन तक की अवधि के दौरान, कंपनी के कारोबारी घंटों के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कि निरीक्षण करने के इरादे से कंपनी को कम से कम तीन दिन पहले लिखित में सूचना दी जाए।
6. नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का विवरण संलग्न है तथा **अनुलग्नक-ए** में नोटिस का हिस्सा है।
7. सूचना में दिया गया नोटिस और अन्य संबंधित दस्तावेज व्यवसाय के सामान्य दिनों और एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध होंगे।
8. इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और वार्षिक आम बैठक स्थल तक का रूट मैप संलग्न है।
9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) में वार्षिक आम बैठक में निदेशकों को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों को गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार के पास चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा है (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार), इसलिए कंपनी को अपने निदेशकों को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>नोटिस के अनुलग्नक:</u>

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण</u>

<u>मद संख्या 3</u>

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त, 2024 के आदेश संख्या 36/01/2024-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में, श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस (डीआईएन-10776570) ने श्री राजेश कुमार के स्थान पर सचिव, डीपीआईआईटी के रूप में पदभार संभाल लिया है। सचिव, डीपीआईआईटी के रूप में निदेशक मंडल पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, श्री अमरदीप सिंह भाटिया को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में 14 सितंबर, 2024 से नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के प्रत्येक निदेशक को कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किया जाना होता है। इसलिए, श्री अमरदीप सिंह भाटिया, सचिव, डीपीआईआईटी (डीआईएन-10776570), की नियुक्ति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियमित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है।
निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

आम सभा पर सचिवीय मानक-2 के अनुसार श्री अमरदीप सिंह भाटिया के विवरण नोटिस के अनुलग्नक-ए पर संलग्न हैं।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से कोई संबंध या रुचि नहीं है, सिवाय इसके कि वह कंपनी का निदेशक और/या शेयरधारक है।

<u>मद सं. 4</u>

डीपीआईआईटी के दिनांक 25 नवंबर, 2024 के कार्यालय आदेश सं. के अनुसरण में. श्रीमती गुरनीत तेज, आईएएस (डीआईएनः07047188), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार 25 नवंबर, 2024 से निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक को कंपनी की आम बैठक में नियुक्त किया जाना है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान निबंधन एवं शर्तों पर निदेशक के रूप में श्रीमती गुरनीत तेज (डीआईएन:07047188) की नियुक्ति को नियमित करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफारिश करती है।

आम सभा बैठक पर सचिवीय मानक-2 के अनुसार श्रीमती गुरनीत तेज का विवरण नोटिस के अनुलग्नक-ए पर संलग्न है।
कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से कोई संबंध या रुचि नहीं है, सिवाय इसके कि वह कंपनी का निदेशक और/या शेयरधारक है।

अनुलग्नक-ए

30 दिसंबर, 2024 को आयोजित होने वाली कंपनी की सातवीं वार्षिक आम सभा की मद सं. (3) और (4) के अंतर्गत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का ब्यौरा

(आम बैठक पर सचिवालय मानक-2 के अनुसार)

नाम	**श्री अमरदीप सिंह भाटिया**	**सुश्री गुरनीत तेज**
डीआईएन	10776570	07047188
जन्म तिथि	18.11.1967	15.09.1981
आयु	58 वर्ष	43 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	14 सितंबर, 2024	25 नवंबर, 2024
परिश्रामिक सहित नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें	समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार	समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार
शैक्षणिक योग्यता	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक और आंतरिक विकास नीति में ड्यूक विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।	पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री।
विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री अमरदीप सिंह भाटिया नागालैंड कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इससे पहले, वे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। केंद्र सरकार में, उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राज्य सरकार में, उन्होंने योजना एवं समन्वय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं वन, नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन तथा गृह आदि विभागों को संभाला है।	सुश्री गुरनीत तेज 2006 बैच (कर्नाटक कैडर) की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कर्नाटक और पंजाब राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, मामले आदि जैसे विविध कार्य क्षेत्रों में लगभग 20 वर्षों का अनुभव है।
आज की तिथि में अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	• जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड • नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड • इन्वेस्ट इंडिया	• जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड • नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
आज की तारीख में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आज की तारीख में कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं

नाम	**श्री अमरदीप सिंह भाटिया**	**सुश्री गुरनीत तेज**
2023-24 के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।	अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

सोमवार, 30 दिसंबर, 2024 को शाम 04.00 बजे को आयोजित होने वाली 07वीं वार्षिक आम सभा

उपस्थित सदस्य का नाम	
फोलियो सं.	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (बड़े अक्षरों में, सदस्य के बदले प्रॉक्सी के उपस्थित होने के लिए भरा जाए)	

मैं, एतद्वारा सोमवार, 30 दिसंबर, 2024 को शाम 04.00 बजे कमरा सं. 225, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित कंपनी की 07वीं वार्षिक आम सभा बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिलली-110011
(सीआईएन-यू74999डीएल2017जीओआई327372)

फार्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य(यों) के नाम:	
पंजीकृत पता:	
फोलियो सं./डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी:	
ईमेल आईडी	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम, उपरोक्त उल्लिखित कंपनी के................. शेयर होने के कारण, एतद्वारा नियुक्त करते हैं:

1		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			
अथवा अनुपस्थित होने पर					
2		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			
अथवा अनुपस्थित होने पर					
3		नाम:		हस्ताक्षर:	
		पता:			
		ई-मेल आईडी:			

सोमवार, 30 दिसंबर, 2024 को शाम 04.00 बजे कमरा सं. 225, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की सातवी वार्षिक आम सभा बैठक में प्रॉक्सी को बैठक में शामिल होने और मेरे/हमारे लिए वोट (चुनाव में) और इन संकल्पों जो नीचे बताए गए है, उनके संबंध में तत्संबंधी किसी भी स्थगन के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी:

1...........
2...........
3...........
4...........
5...........
6...........

रेवन्यू टिकट चिपकाए

हस्ताक्षरित दिनांक , 2024
शेयर धारक के हस्ताक्षर ______________ प्राक्सी(यों) का/के हस्ताक्षर ______________________

नोट: यह प्रॉक्सी फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए और बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा होना चाहिए।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

30 दिसंबर, 2024 को शाम 04.00 बजे कमरा सं. 225, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों सातवीं वार्षिक आम सभा बैठक का रूट मैप

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ कंपनी के मामलों पर सातवीं (07वीं) निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तत्संबंधी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय झलकियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्राधिकृतशेयर पूंजी	5,00,000.00	5,00,000.00
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,44,239.00	2,44,239.00
कुल आय	950.13	197.50
परिचालन आय	7,77.24	-
व्यय	28,071.42	153.12
कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(27,121.29)	44.38
कर/कर व्ययों के लिए प्रावधान	(4.75)	13.36
कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	(27,116.54)	31.02
प्रति शेयर आमदनी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रुपए)		
-आधार (रुपए में)	-1.11	0.001
-तनुकृत (रुपए में)	-1.11	0.001

2. पूंजी संरचना

31 मार्च, 2024 को आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 2442.39 करोड़ रुपए है जिसके प्रत्येक इक्विटी शेयर की कीमत 10 रुपए है, ऐसे 244,23,90,000 इक्विटी शेयरों में बंटी है। भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और इसके नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी पर अधिकार रखते हैं।

31 मार्च, 2024 को कंपनी की इक्विटी पूंजी संरचना निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी	5,00,00,00,000	5,00,000
जारी शेयर पूंजी	2,44,24,00,000	2,44,240
अभिदत्त और पूर्णत: प्रदत्त पूंजी	2,44,23,90,000	2,44,239

3. कंपनी के मामलों की स्थितिः

<u>परियोजना के बारे में:</u>

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एवं एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) एक आधुनिक, विश्व श्रेणी प्रदर्शनी और कन्वेन्शन सुविधा सृजित करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार की प्रमुख परियोजना है, जो आकार एवं गुणवत्ता में दुनियाभर में उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के समकक्ष होगी। आईआईसीसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और बैठकों दोनों के लिए सुविधा प्रदान करेगी, आगंतुकों और व्यवसाय को भारत में आकर्षित करेगी।

परियोजना को सेक्टर-25, द्वारका में 26,108 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विकसित किया जा रहा है और इसकी परिकल्पना एक सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक के रूपमें की गयी है जिसमें लगभग 3,03,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थल, 60,000 वर्ग मीटर का कन्वेन्शन क्षेत्र, खुदरा दुकानें, वाणिज्यिक एवं कार्यालय स्थानों के साथ 50,000 वर्ग मीटर का बहुउद्देशीय एरिना तथाअंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए मनोरंजन एवं लाइफस्टाइल अवसरों के लिए सहयोगी वातावरण उपलब्ध होगा। ऊंचे, बड़े स्तंभ मुक्त वाले खुले प्रदर्शनी हॉलों और बड़े पैमाने पर रक्षा तथा विमान निर्माण तकनीक प्रदर्शनियों आयोजित करने की क्षमता के साथ अपनी तरह की यह सुविधा देश में सर्वप्रथम होगी।कन्वेन्शन सेंटर कॉम्पलेक्स में 6000 व्यक्तियों वाले विस्तृत विश्व स्तरीय हॉल के साथ 10,000 प्रतिनिधियों को समाहित करने की क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त, 20000 व्यक्तियों की क्षमता वाली खेल प्रतियोगिताओं, व्यापारिक शो और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आवश्यकतानुसार स्थान और हटाई जाने वाली छत सहित एक बहु-उद्देशीय कार्यक्षेत्र होगा।

परियोजना स्थल दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के नजदीक है और कॉम्पलेक्स के मध्य तक डीएमआरसी द्वारा विस्तारित की जा रही एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन द्वारा मेट्रो एवं सड़क लिंक से जुड़ा होगा और एनएचएआई आईआईसीसी कॉम्पलेक्स के साथ प्रस्तावित द्वारका एक्सप्रेसवे एवं यूईआर-II के साथसमर्पित इंटरचेंज विकसित किया जा रहा है।

द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर - II (जिसमें आईआईसीसी परिसर से सड़क संपर्कता शामिल है) के विकास संबंधी कार्य जो एनएचएआई को सौंपे गए थे, प्रगति पर है। एनएचएआई द्वारा एट-ग्रेड (सड़क) संपर्कता संबंधी कार्य 7 सितंबर, 2023 को पूरा कर लिया गया था।

प्रदर्शनी कम सम्मेलन केंद्र के साथ ट्रंक अवसंरचना वाले परियोजना का चरण-1 काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसे बजटीय समर्थन, ऋण और आंतरिक संग्रहण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। शेष प्रदर्शनी क्षेत्रों वाला परियोजना का चरण-2 चरण-1 के पूरा होने के बाद क्रियान्वित किया जाएगा। होटल, खुदरा क्षेत्र और कार्यालयों वाले घटकों को दीर्घकालिक रियायती अनुबंधों से क्रियान्वित किया जाएगा।

वैश्विक बैठकें, प्रोत्साहन और प्रदर्शनी बाजार कई देशों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक है। वर्तमान में, आयोजनों की संख्या के अनुसार भारत एशिया में कुछ प्रतिशत हिस्सा रखता है। विश्व श्रेणी प्रदर्शनी एवं कॉन्फ्रेंस सुविधाओं के अभाव में भारत को विकास की इस क्षमता का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। आईआईसीसी के विकास से यह हिस्सा बढ़ने की आशा है और जो नई दिल्ली को बैठकें, प्रोत्साहन, कांफ्रेंस और प्रदर्शनी (एमआईसीई क्षेत्र) के लोकप्रिय स्थानों की तुलना में मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित प्रदर्शनी सेंटर, कन्वेन्शन सेंटर बहु-प्रदर्शन कार्यक्षेत्र विकास से पांच लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार अवसर सृजित होने का अनुमान है।

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को आईआईसीसी प्रोजेक्ट तक विस्तारित और निर्मित किए जाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। डीएमआरसी द्वारा यशोभूमि तक मेट्रो संपर्कता 17 सितंबर, 2023 से परिचालित कर दी गई थी और तब से सार्वजनिक उपयोग के लिए है।

आईआईसीसीलिमिटेडऔरदिल्लीमेट्रोरेलकॉर्पोरेशनकेबीचहुएसहमतिज्ञापनकेअनुसार, पैदलसुरंग (पेडेस्ट्रियनटनल) सहितयशोभूमि-आईआईसीसीद्वारकामेट्रोस्टेशन17 सितंबर, 2023 सेसार्वजनिकउपयोगमेंहै।
एलएंडटी को चरण -I में निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 15 नवंबर, 2024 तक :

- भौतिक प्रगति 97.5 प्रगति
- वित्तिय प्रगति 97.0 प्रगति

किनएक्सिन कंवेन्शन मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड, कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर (किनटेक्स) और ईसेंग नेटवर्क्स कंपनी लिमिटेड का कंसोर्टियम, को एक्जीबिशन एवं कंवेन्शन सेंटर के प्रबंधन एवं परिचालन हेतु परिचालक नियुक्त किया गया है। परिचालक सेवा अनुबंध को 1 अक्तूबर, 2023 की तिथि जो घोषित वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) है, से 20 वर्ष के लिए राजस्व भागीदारी मॉडल पर हस्ताक्षरित किया गया है और यशोभूमि पर किनएक्सि द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अपडेटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (यूडीएस) को यशभूमि परिसर के लिए संपत्ति प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे यशभूमि में विकसित सभी सामान्य अवसंरचना का संचालन और देखरेख करेंगे। अपडेटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को 21 फरवरी 2024 को 39 महीनों की अवधि (3 महीने के ट्रांजिशन पीरियड सहित) के लिए एलओए जारी किया गया था।

साइट के नक्शे और बिल्ट अप एरिया में किए गए संशोधन के अनुसार, एसडीएमसी ने 26 जून, 2019 को संशोधित नक्शे को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

नेशनल कौंसिल फोर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल को इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर के लिए "थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट" के लिए परामर्शदात्री सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है।

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्सपो सेंटर विकसित करने के लिए आईआईसीसी और एनआईसीडीसी के बीच नॉलेज पार्टनरशिप के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

18.07.2022 को आईआईसीसी परियोजना के लिए दृश्य पहचान अर्थात लोगो विकल्प विकसित किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पलडी-अहमदाबाद को नियुक्त और कार्य सौंपा गया है। यशोभूमि का लोगो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2023 को अनावरण किया गया।

17 सितंबर 2021 को मैसर्स केएलएएस प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल इक्विपमेंट कंपनी के संयुक्त उद्यम को रसोई उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का पत्र जारी किया गया। आज की तिथि में केएलएएल के अंतर्गत आपूर्ति और संस्थापन का कार्य पूरा हो गया है। संचालन के प्रयोग हेतु यशोभूमि किचन के उपकरण संचालक को सौंप दिए गए है।

23 मई, 2023 को डीजेबी जल आपूर्ति टेप्पिंग पाइंट के लिए कनेक्शन पूरा हो गया था।

आईआईसीसी द्वारका में टर्नकी आधार पर फर्नीचर और संबंधित सामान की आपूर्ति, स्थापना के लिए लैटर ऑफ एवार्ड 26.05.2023 को मैसर्स रॉयल सेफ कंपनी को को दिया गया। सभी फर्नीचर आइटम यशोभूमि के और संचालक एवं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी को सौंप दिए गए हैं।

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) और आईआईसीसी के बीच आईआईसीसी द्वार का को थोक बिजली आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीएसईएस द्वारा आईआईसीसी परियोजना के लिए सभी 11 एचटी मीटर कनेक्शन चालू कर दिए गए हैं।

4. आरक्षित कोष

समीक्षा अवधि वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा आरक्षित कोष में कोई धनराशि अंतरित नहीं किए गए।

5. लाभांश

कंपनी ने निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016 -पॉलिसी द्वारा जारी केंद्रीय लोक उद्यम विभाग की (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट मांगी और इसे प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किसी लाभांश का प्रावधान नहीं किया गया था और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटन किया गया है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

6. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय अवधि के दौरान, कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं हुआ है।

7. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबंध रखते हैं और कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं है।

8. वार्षिक रिटर्न का सार

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट (iiccl.dpiit.gov.in) पर उपलब्ध है।

9. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियुक्त किए गए या हट गए (सीज्ड) और वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तथा रिपोर्ट की

तिथि तक नियुक्त किए गए या हट गए (सीज्ड) निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों केनाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
1.	श्री अमरदीप सिंह भाटिया	अध्यक्ष	14.09.2024	
2.	श्रीमती आरती भटनागर	निदेशक	14.02.2023	-
3.	श्री भामीपति वेंकट रामा सुब्रहमण्यम	निदेशक	20.02.2023	_
4.	श्री सुरेंद्र कुमार काशीराम बागडे	निदेशक	23.03.2023	18.12.2024
5.	श्री राजीव सिंह ठाकुर	निदेशक	14.09.2023	-
6.	श्री अजय सेठ	निदेशक	13.09.2021	-
7.	श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष	08.11.2021	21.04.2023
8.	श्रीमती सुमिता डावरा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	11.08.2022	15.12.2022
		प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15.12.2022	11.10.2023
9.	श्री त्रिकुर वैद्यनाथन सोमनाथन	निदेशक	03.03.2020	14.08.2024
10.	श्री राजेश कुमार सिंह	अध्यक्ष	20.04.2023	20.8.2024
11.	श्री बालामुरगन देवराज	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	11.10.2023	30.10.2024
12.	सुश्री गुरनीत तेज	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	25.11.2024	-
13.	श्री निखिल जैन	सीएफओ	29.03.2019	--
14.	सुश्री नेहा धीमान	कंपनी सचिव	01.06.2018	29.05.2024

10. बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बोर्ड बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
1.	23वीं बोर्ड बैठक	30 जून, 2023
2.	24वीं बोर्ड बैठक	17 अगस्त, 2023
3.	25वीं बोर्ड बैठक	30 नवंबर, 2023
4.	26वीं बोर्ड बैठक	06 मार्च, 2024

11. बोर्ड की समितियां

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। बहरहाल, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, इन समितियों का गठन केवल गैर-स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके किया गया है।

चूंकि आईआईसीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों के मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ मामले को आगे उठाया जा रहा है। बहरहाल, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जानी अभी शेष है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की विधिवत रूप से नियुक्ति कर इन समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समितियों की 02 बैठकें 30 नवंबर, 2023 और 04 मार्च, 2024 तथा नामांकन एवं परिश्रामिक समितियों की 02 बैठकें 30 नवंबर, 2023 और 04 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के संबंध में, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, आईआईसीसी लिमिटेड को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी समिति के कार्य बोर्ड द्वारा स्वयं किए जा रहे हैं।

12. स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा

चूंकि कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए उक्त अनुपालन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार निदेशकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए अर्हता, सकारात्मक विशेषता, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और परिश्रामिक पर कंपनी की नीतियां

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार सरकारी कार्यालय में पद धारित पदेन निदेशक शामिल हैं, इसलिए कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार की जाती है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, 'वरिष्ठ प्रबंधन' और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध के अतिरिक्त धारा 178 की उप धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

14. विधि को दर्शाने वाला विवरण जिसमें निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों, इसकी समितियोंऔर प्रत्येक निदेशक का निजी रूप से उनके प्रदर्शन का औपचारिक रूप से वार्षिक मूल्यांकन किया गया हो

एमसीए ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा सरकारी कंपनियों को उपरोक्त प्रावधान की प्रयोज्यता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक रूप से प्रभारी अपने स्वयं के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार होता है।

15. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी ने कोई अग्रिम, ऋण/गारंटी नहीं दी है/निवेश नहीं किया है।

16. संबंधित पार्टी लेनदेन के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था नहीं की है। सदस्य लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित पार्टी लेन-देनों के ब्यौरों के लिए लेखों के नोट देख सकते हैं।

17. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में विवरण

कंपनी ने प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के संबंध में प्रथाएँ बनाई गई हैं। इस संबंध में, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स जे. मंडल एंड कंपनी को नियुक्त किया है।
कंपनी का आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नीति को भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

18. सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण सं. 000397एन) को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए प्रेक्षण पर प्रबंधन के उत्तर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित लेखों के नोट स्व-व्याख्यात्मक हैं और इसलिए निदेशकों की किसी अन्य टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणियां

सरकारी लेखापरीक्षा पार्टी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईसीसी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा करेगी। पूरक लेखापरीक्षा पूरा होने पर, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कैग की समीक्षा और टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, वित्तीय विवरणों का भाग है।

20. अनुसचिवालयी लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में मैसर्स जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की अनुसचिवीय लेखापरीक्षा हेतु अनुसचिवीय

लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। अनुसचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में अनुसचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है और इस रिपोर्ट के हिस्सा हैं।

21. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में योग्यता/आपत्ति/प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर बोर्ड के स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताओं/आपत्तियों/प्रतिकूल टिप्पणियों/अस्वीकरण पर बोर्ड के स्पष्टीकरण या टिप्पणियां, प्रकटन कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

अनुसचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां/उत्तर अनुसचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हैं और इन्हें इस रिपोर्ट के **अनुबंध I** में रखा गया है।

22. धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों के ब्यौरे

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

23. लागत रिकार्डों की देखरेख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

24. जोखिम प्रबंधन

परियोजना एक संचालन पूर्व चरण में है। कंपनी नियमित आधार पर जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और शमन की प्रक्रिया में पर्याप्त कदम उठा रही है। वित्तीय जोखिमों के संबंध में, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाए गए हैं और कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक बाहरी फर्म को नियुक्त किया है। आंतरिक नियंत्रणों और उपायों में सुधार के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी लेखापरीक्षक टीम द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों को समय-समय पर लागू किया जाता है।

25. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर)

कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति और वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा की गई पहल की संक्षिप्त रूपरेखा, कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित की गई है।

26. कॉरपोरेट गवर्नेंस

लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-III** में है।

27. अनुषांगिक कंपनियां, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई कंपनी नहीं है जो आनुषांगिक/संयुक्त उपक्रम/सहयोगी कंपनी बनी/अथवा बनना बंद हो गई।

28. निक्षेप

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी निक्षेप को स्वीकृत नहीं किया अथवा किसी भी निक्षेप का भुगतान बाकी नहीं है अथवा बिना दावे की कोई राशि नहीं है।

29. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की सतत् आधार स्थिति और परिचालन को भविष्य में प्रभावित करने के संबंध में किसी नियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

30. निदेशक का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, एतद्वारा निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

a) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

b) निदेशकों ने उन लेखांकन नीतियों को चुना है और निरंतर रूप से लागू किया है और निर्णय एवं अनुमान तैयार किए हैं जो उचित तथा विवेकपूर्ण हो जो 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सही एवं उचित रूप दिखाते हो;

c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य नियमितताओं को रोकने तथा ढूंढने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

d) निदेशकों ने सतत् आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है; और

e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों से सुसज्जित योजना इस प्रकार तैयार की गई थी कि इस तरह की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से परिचालन में थी।

31. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आमदनी एवं बहिर्प्रवाह

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय एवं बहिर्प्रवाह से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार है:

(A) ऊर्जा संरक्षण-

(i) **उर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उर्जा संरक्षण के प्रभावः**

परियोजना को आईआईसीसी कॉम्पलेक्स में उर्जा संरक्षण के परियोजना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आईजीबीसी ग्रीन कैम्पस प्लेटिनम प्रमाणन के अनुकूल कड़ाईपूर्वक विकसित किया जा रहा है। तदनुसार, अपनी तरह के पहले आईजीबीसी प्लेटिनम अनुकूल एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्पलेक्स के निर्माण के उद्देश्य पर परियोजना विकास के चालू चरण-I में विचार किया गया है। परियोजना को 5 वर्षों के लिए आईजीबीसी प्लेटेनियम रेटिंग प्रदान की गई है।

(ii) **उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:**

नवीनतम टीयर 1 प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सौलर पॉवर प्रणाली पीवी पैनल, इन्वर्टर, पैनल, केबल, अन्य घटकों को एक्जीबिशन हॉल में उपलब्ध कराया गया है। कुल बिजली मांग का कम से कम 1 प्रतिशत को सौर उर्जा से पूरा किया जानाआईआईसीसी कॉम्पलेक्स के कार्य के दायरे में रखा गया है। कार्य के दायरे में वाणिज्यिक अथवा संस्थानिक भवनों की गर्म पानी की 20 प्रतिशत मांग अथवा स्थानीय भवन उप-नियम की आवश्यकता के अनुसार सौलर वाटर हीटिंग उपलब्ध कराई गई है।

भवनों के विभिन्न उपयोगों के बीच सहक्रियता का दोहन करने और उपयोगकर्ताओं के बीच एचवीएसी उपकरण स्थापना और रखरखाव की परेशानी को कम करने के (आवाज, कंपन, बिना एचवीएसी उपकरण की इमारत की छत) के लिए संपूर्ण परियोजना के लिए डिस्ट्रिक कूलिंग प्लांट विकसित किया जाएगा।

परियोजना, जहां भी संभव हो, जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन से बचने के लिए डिजाइन की गई है। एमयूडी क्षेत्र में विद्युत वाहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) **उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:**

उपरोक्त सभी विशेषताओं के लिए पूंजी निवेश को चरण 1 परियोजना हेतु ईपीसी कांट्रेक्ट की लागत में शामिल किया गया है।

(B) प्रौद्योगिकी समाहन:

(i) प्रौद्योगिकी समाहन के लिए किए गए प्रयास है:-

प्रोजेक्ट के संपूर्ण कॉम्पलेक्स के लिए न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प जैसे उत्पन्न लाभ:- लागू नहीं

(iii) आयतित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात) - लागू नहीं

(a) आयतित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;

(b) आयात का वर्ष;

(c) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह अपनाया गया है;

(d) अगर पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है तो वे क्षेत्र जहां समाहन नहीं हुआ है और तत्संबंधी कारण;और-

कुछ नहीं

(ii) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय- शून्य

(इ) आयात, विदेशी मुद्रा आमदनी और व्यय आदि (विदेशी मुद्रा के अंतरण पर विनिमय अंतर को छोड़कर) के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

i) वर्ष के दौरान अंतर्वाह के अनुसार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा - कुछ नहीं

ii) वास्तविक बहिर्प्रवाह के अनुसार वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह - कुछ नहीं

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निपटान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

आईआईसीसीएल लिमिटेड में किसी आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आईआईसीसी में केवल 2 कर्मचारी कार्य करते है, इसलिए कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और

निपटान) अधिनियम, 2013 का अध्याय III खंड 6 (1)के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कंपनी सुनिश्चित करती है कि कार्य वातावरण कर्मचारियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना महिलाओं सहित सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हो, आज की तिथि में कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

33. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

आरटीआई आवेदन/अपील	**आरटीआई आवेदन**			
	प्राप्त	खारिज	सूचना उपलब्ध कराई गई	31.03.2024 को लंबित
आवेदन	4	0	4	0
अपील	0	0	0	0

34. अनुसचिवालीय मानक

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरिज द्वारा समय-समय पर जारी सचिवालीय मानकों को अनुपालन किया गया है।

35. कर्मचारियों के ब्यौरे

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत छूट प्राप्त है। इसलिए, कर्मचारियों के विवरण और संबंधित प्रकटनों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

36. सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों जिसे कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम (7) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार निदेशक मंडल ने व्हिसलब्लोअर/सतर्कता तंत्र नीति को अनुमोदन दे दिया है और इसे वेबसाइट https://iiccl.dpiit.gov.in. पर भी दिया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता संबंधी कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया और कंपनी में पिछला कोई मामला भी लंबित नहीं है।

37. अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, बैंकरों, लेखापरीक्षकों और कंपनी के विभिन्न भागीदारों द्वारा निरंतर सहायता और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक सभी स्तरों पर टीम की वचनबद्धता और समर्पण को स्वीकार करते हैं और सराहना करते हैं, जो कंपनी के व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

हस्ता./-
(अमरदीप सिंह भाटिया)
अध्यक्ष
डीआईएनः 10776570
C-II/109, मोती बाग-1, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021

दिनांकः 30.12.2024
स्थानः नई दिल्ली

JATIN GUPTA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension,
Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) औरकंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में,
सदस्य,
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड**(सीआईएनः यू74999डीएल2017 जीओआई 327372)** (जिसे बाद में कंपनी कहा जाएगा)" द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की अनुसचिवीय लेखापरीक्षा की है। अनुसचिवीय लेखापरीक्षा इस विधि से की गई थी कि जो हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उसके आधार पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

कंपनी के रजिस्टरों, रिकार्ड, पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म तथा जमा की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा अनुसचिवीय लेखापरीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, एतद्वारा हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन प्रक्रिया प्रणाली मौजूद है, जो इस विधि और बाद में रिपोर्ट किए जाने के अध्यधीन है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और जमा की गई रिटर्न की जांच की है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लागू नहीं होते हैं)
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियम तथा उप-नियम
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम जहां तक लागू हो
5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देशः-
   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लागू नहीं)
   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992; (लागू नहीं)
   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; (लागू नहीं)
6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देशः-
   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लागू नहीं)
   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992; (लागू नहीं)

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; (लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; (लागू नहीं)

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; (लागू नहीं)

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम,2009; (लागू नहीं) और

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (लागू नहीं)।

अन्य लागू कानून, नियम और दिशा-निदेश जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

1. कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
3. दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
4. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
5. औद्योगिक, श्रम एवं पर्यावरण कानून

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुसचिवीय मानकों के लागू धाराओं और “लोक उद्यम मंत्रालय", भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों सहित कंपनी द्वारा अपनाए गए कोड और नीतियों का पालन किया है, के अनुपालन की भी जांच की है और पुष्टि की है कि कंपनी ने इसी के साथ अनुपालन किया है, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को छोड़कर।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को सूचीबद्ध करार(रों) और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध और क्लोजली हेल्ड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले ऐसे संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के लिए जारी किए गए परिपत्रों, सूचनाओं और संशोधित नियमों, विनियमों, मानकों आदि के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं किः

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत् किया गया है, **केवल स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने के अपवाद के साथ, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों के बिना ही लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया और हमारी रिपोर्ट को इस उद्देश्य के लिए योग्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 के प्रावधानों का उल्लंघन है।** इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट पहले ही भेज दिए जाते हैं तथा बोर्ड के सदस्यों के अवलोकन के लिए दस्तावेजों को भेजने का तरीका हार्ड कापियां और ईमेल है तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति/सामान्य बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जैसा बोर्ड/समिति/सामान्य बैठकों की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमारे अभिमत में कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

जतिन गुप्ता
एफसीएस, एल.एल.बी.
सीपी. सं. 5236
सदस्यता सं. - एफ 5651
तिथिः 30.12.2024
स्थानः दिल्ली
यूडीआईएनः एप005651एफ003519700
पीअर रिव्यू यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. -एस2003डीई063000

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। यह रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों पर वैधानिक अनुपालन तक सीमित है, जिसकी नियत तिथि 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले समाप्त हो गई है या समाप्त हो गई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है।

JATIN GUPTA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension,
Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

अनुलग्नक-ए

सेवा में,
सदस्य,

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
नई दिल्ली

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट और संबंधित प्रासंगिक विभागीय प्रमुख से पुष्टि, यदि कोई हो तो, इस पत्र के साथ पढ़ी जाएः

a. अनुसचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अनसचिविय रिकार्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

b. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है और संबंधित विभागीय प्रमुख से पुष्टि प्राप्त की है और उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड की विशुद्धता और पूर्णता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए इसे आवश्यक समझा। हमारी सत्यापन परीक्षण के आधार पर और जहां आवश्यक था, विस्तृत आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रविष्टियाँ/रिटर्न आदि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं; हमें विश्वास है कि इस उद्देश्य के लिए हमने जो प्रक्रियों और पद्धतियां अपनाईं, उन्होंने हमारेअभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान किया है।

c. हम कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की विशुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं करते हैं और सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (जब भी जारी की जाए) पर भरोसा करें।

d. जहां भी आवश्यक हो, हमने वर्ष के दौरान कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के क्रम आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

e. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारा परीक्षण जांच आधार पर पद्धतियों के सत्यापन तक सीमित है। हमारा उत्तरदायित्व जहां तक संभव हो, अनुसचिवीय और अन्य रिकार्डों के सत्यापन तक सीमित है।

f. अनुसचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और नहीं उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

g. हम विश्वास करते हैं कि कंपनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और सूचना हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
जतिन गुप्ता
एफसीएस, एल.एल.बी.
सीपी. सं. 5236
सदस्यता सं. - एफ 5651
तिथिः 30.12.2024
स्थानः दिल्ली
यूडीआईएनः एप005651एफ003519700
पीअर रिव्यू यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. -एस2003डीई063000

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंडिया इंटनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड की अनुसचिवीय लेखापरीक्षा में टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

अनुसचिवीय लेखापरीक्षा टिप्पणियां	**प्रबंधन के उत्तर**
कंपनी के निदेशक मंडल का गठन उचित रूप से किया गया है, स्वतंत्र निदेशक की गैर-नियुक्ति के अपवाद के साथ, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों के बिना लेखापरीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति का गठन हुआ है और हमारी रिपोर्ट को इस उद्देश्य के लिए अर्हक मानी जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और परिणामस्वरूप धारा 177 और 178 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।	चूंकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार आईआईसीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग जोकि कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है, द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। कंपनी ने निदेशक मंडल की मौजूदा रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ उठाया जा रहा है। डीपीआईआईटी से एक बार स्वतंत्र निदेशक की नामांकन होने पर स्वतंत्र निदेशक के साथ समिति का गठन किया जाएगा।

अनुलग्नक-"II"

सीएसआर गतिविधियों परवार्षिक रिपोर्ट

(01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए)

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त वर्णनः

आईआईसीसी लिमिटेड समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम के दायरे में समाज के सतत् और समावेशी विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी की सीएसआर नीति को स्वीकृति दी। सीएसआर नीति सीएसआर की दिशा में कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है और अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

22 जनवरी, 2021 से प्रभावी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा अंतर्वेशित धारा 135 की उप-धारा (9) के अनुसार जहां किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, वहां कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त छूट को देखते हुए, आईआईसीसी लिमिटेड को वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति को गठित करने की आवश्यकता नहीं है और इस समिति के कार्य निदेशक मंडल द्वारा स्वयं किए जा रहे हैं।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का बताया गया होः https://iiccl.dpiit.gov.in.

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब लिंक (लिंकों) के साथ कार्यकारी सार का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो: लागू नहीं क्योंकि लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी की 10 करोड़ अथवा उससे अधिक की औसत सीएसआर दायिता नहीं है।

5.

(a) **धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:** 86,30,704/- रुपये
(b) **धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः** 1,72602/- रुपये
(c) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:** कुछ नहीं
(d) **वित्तीय वर्ष के लिए सैट ऑफ किए जाने हेतु आवश्यक राशि, यदि कुछ होः**कुछ नहीं
(e) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख+ग-घ)]:**1,72,602/- रूपये

6.

(a) **सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय राशि (जारी परियोजना और जारी परियोजना से इतर, दोनों):** 1,72,602/- रुपये (भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान)
(b) **प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशि-** शून्य
(c) **प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि कोई हो-** लागू नहीं
(d) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)] -** 1,72,602/- रुपये
(e) **वित्तीय वर्ष में व्यय अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशिः**

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	व्यय नहीं की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप धारा के अनुसार (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
1,72,602/-	शून्य				

(f) सैट ऑफ किए जाने के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई होः कुछ नहीं

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1,72,602
(ii)	वित्तीय वर्ष में कुल व्यय की गई राशि	1,72,602
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियां से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	पिछले तीन वर्षों में सैट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्यौराः

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. स.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप धारा (6) के अंतर्गत अव्ययतीत सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	धारा 135 की उप धारा (6) के अंतर्गत अव्ययतीत सीएसआर खाते में शेष राशि (रूपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप धारा (5) के के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कुछ हो		आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	**अंतरण की तिथि**		
1	वित्तीय वर्ष-1	**कुछ नहीं**						
2	वित्तीय वर्ष-2							
3	वित्तीय वर्ष-3							

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से परिसंपत्ति सृजित अथवा अधिगृहीत की गई: जी नहीं

○ Yes ● No

यदि हां, सृजित/अधिगृहीत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करे

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि से सृजित अथवा अधिगृहीत की गई, इस

प्रकार की संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेः

क्र. सं.	संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा (संपत्ति का पूर्ण पता अथवा स्थान सहित)	संपत्ति अथवा परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी कंपनी/प्राधिकरण/लाभकर्ता का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लागू नहीं					

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई देने के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

9. **कारण(णों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल होः** लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
हस्ता./-

हस्ताक्षर
(गुरनीत तेज)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः 07047188
डी-1/190, रबिंदर नगर,
अमृता शेरगिल मार्ग, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांकः 30.12.2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक- "III"

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का अभिशासन सिद्धांत

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, जिसमें ट्रस्टशिप, सशक्तिकरण और प्रबंधन की जवाबदेही शामिल है, जबकि यह सरकारी नीतियों के प्रति सक्रिय है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड की अभिशासन प्रक्रिया अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और सम्मेलन सुविधाओं का निर्माण और प्रदान करने में वैश्विक में अग्रणी बनने के अपने मिशन पर केंद्रित है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर निम्न उल्लिखत दिशा-निर्देशों का पालन करती है।

आईआईसीसी लिमिटेड की मुख्य गतिविधियां और सेवाएं हैः

1. भारत के किसी भी भाग में तथा अन्यत्र, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र के लिए विश्व स्तरीय मनोरंजनात्मक तथा अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना, विकास, डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, रखरखाव, सुधार, परिचालन, चलाने तथा प्रबंधन संबंधी व्यवसाय करना, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैश्विक सम्मेलनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के आयोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हों, जिनमें प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केंद्र, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरीना, ट्रंक अवसंरचना, मेट्रो संपर्कता, सड़क संपर्कता, जल तथा सीवेज अवसंरचना, वित्तीय केंद्र, होटल, रेस्तरां, सराय, यात्रा केंद्र, खाद्य तथा पेय पदार्थ की दुकानें, फूड कोर्ट, वाणिज्यिक, कार्यालय तथा खुदरा सेवाएं/स्थान, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्र, बच्चों के थीम पार्क, सुपर बाजार, आवासीय विकास आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) एवं गैर- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में इसी तरह की अन्य सुविधाएं और अन्य सहयोगी सामान्य आंतरिक अवसंरचना सुविधाएं शामिल है।

2. भारत या विदेश में सभी प्रकार के कार्यों और सुविधाओं का निर्माण, निष्पादन, कार्यान्वयन, सुधार, विकास, कार्य, प्रशासन, प्रबंधन या नियंत्रण करना, जिसमें आवासीय भवन, टाउनशिप, वाणिज्यिक परिसर, कारखाने, विनिर्माण इकाइयां, मॉल, रिसॉर्ट, हवाई अड्डे, सभी प्रकार की इमारतें, रेलवे, ट्रामवे, सड़क मार्ग, रनवे, सड़कें, हवाई अड्डे, गोदी, बंदरगाह, घाट, बांध, बैराज, जलाशय, तटबंध, नहरें, सिंचाई और बिजलीघर, ट्रांसमिशन लाइनें, सीवरेज, जलनिकासी, पानी, गैस, बिजली, टेलीफोन और बिजली आपूर्ति, कार्य, होटल, घर, बाजार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और सुविधाएं जो भी हों और आम तौर पर बिल्डरों और निर्माण, इंजीनियरों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, सर्वेक्षकों, आकलनकर्ताओं के व्यवसाय को उनके सभी संबंधित शाखाओं में चलाने के लिए, और कारखानों, टाउनशिप, एस्टेट्स, दीवारों, यार्ड रेलवे साइडिंग, पंपिंग इंस्टॉलेशन, प्लांट, पाइपलाइनों, लैंडिंग ग्राउंड, हैंगर, गैरेज, भंडारण, शेड और कंपनी के व्यवसाय से जुड़े सभी प्रकार के आवास का अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण, प्रदान, रखरखाव और प्रबंधन करना।

3. भूमि, भवन, कार्य, खनन, खनिज, जमा खनन अधिकार, वृक्षारोपण, वन, तथा उसमें कोई भी अधिकार और विशेषाधिकार या हित खरीदना, पट्टे पर लेना, या विनिमय करना या समामेलन, लाइसेंस या रियायत के तहत, या अन्यथा, पूर्णतः या सशर्त, अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से खरीदना, तथा सड़कों, नहरों, जलमार्गों, परियों, घाटों, हवाई अड्डों, भूमि, भवनों, जलघरों, कारखानों, मिलों, कार्यों, कार्यशालाओं, रेलवे साइडिंग, ट्रामवे, मशीनरी और उपकरण, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, विशेषाधिकार, या किसी भी प्रकार या वर्णन के अधिकारों का अन्वेषण, प्रयोग,

विकास, निर्माण, रखरखाव, किराये पर लेना, रखना, सुधारना, बदलना, प्रबंधन, किराये पर देना, बेचना, निपटाना या विनिमय करना और उसे खाते में बदलना।

4. निवेश या पुनर्विक्रय के लिए क्रय करना तथा भूमि, मकान या अन्य किसी भी स्वामित्व वाली सम्पत्तियों या उसमें किसी भी हित का सौदा करना, तथा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड में बिक्री और सौदा करना और आम तौर पर भूमि और किसी भी अन्य सम्पत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, के साथ बिक्री, पट्टा, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से ऐसी परिसंपत्तियों में सौदा करना।

5. हर प्रकार के उपकरणों, यंत्रों, मशीनरी, जुड़नार, युक्तियों और युक्तियों की योजना बनाना, डिजाइन करना, विकास करना, क्रय करना, बेचना, उत्पादन करना, विनिर्माण करना, प्रक्रिया करना, मरम्मत करना, पट्टे पर देना, स्थापित करना, आयात करना, निर्यात करना या अन्यथा सौदा करना; जिसमें प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य मनोरंजक और अवसंरचना सुविधाओं के विकास से संबंधित और/या कंपनी के अन्य व्यवसाय से संबंधित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; और पूर्वोक्त में से किसी से संबंधित या उससे संबंधित किसी या सभी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होना।

6. उपक्रम का व्यवसाय चलाना और टर्नकी आधार पर परियोजना को स्थापित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में कंपनी का अनुपालन नीचे दिया गया है:

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का आकार

भारत के राष्ट्रपति के पास वर्तमान में आईआईसीसी लिमिटेड की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100% हिस्सा है और इस प्रकार, यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी के ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेंगे।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार होगीः

a. सचिव, डीआईपीपी, अध्यक्ष
b. सचिव, व्यय विभाग
c. सीईओ, नीति आयोग
d. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डीआईपीपी
e. अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
f. सरकारी द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति
g. एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में 8 निदेशक, कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सहित सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल है।

2.3 निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के अध्यक्ष के समिति कक्ष, अर्थात् वाणिज्य भवन, दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बैठकें आमतौर पर पहले से पूर्व निर्धारित होती हैं और नोटिस, विस्तृत बोर्ड एजेंडा, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बोर्ड नोट्स निदेशकों को वितरित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी जानकारी तक पूर्ण पहुंच होती है। वरिष्ठ प्रबंधन को भी बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ताकि बोर्ड द्वारा चर्चा किए जा रहे विषयों पर, जब आवश्यक हो अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें क्रमशः 30 जून, 2023, 17 अगस्त, 2023, 30 नवंबर, 2023 और 6 मार्च, 2024 को हुई।

निदेशकों द्वारा उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या, अंतिम वार्षिक आम बैठक) एजीएम (में उपस्थिति, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य निगमों) आईआईसीसी लिमिटेड के अलावा (में धारण किए गए निदेशक पद की संख्या का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध हैः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (29 सितंबर, 2023)	अन्य निदेशक पद की संख्या (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)
		अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति		
1	श्री राजेश कुमार सिंह (21 अप्रैल, 2023 से प्रभावी)	4	4	जी हां	4
2	श्रीमती सुमित्रा डावरा (11 अक्टूबर, 2023 तक)	2	2	जी हां	-
3	श्रीमती आरती भटनागर	4	4	जी हां	6
4	श्री अजय सेठ	4	0	जी नहीं	2
5	श्री बी.वी.आर. सुब्रहमण्यम	4	0	जी नहीं	0
6	डॉ. टीवी सोमनाथन	4	0	जी नहीं	0
7	श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े	4	3	जी हां	3
8	श्री राजीव सिंह ठाकुर (14 सितंबर, 2023 से प्रभावी)	2	2	जी नहीं	1
9	श्री बालामुरुगन देवराज (11 अक्टूबर 2023 से)	2	2	-	2
10	श्री अनुराग जैन (21 अप्रैल, 2023 तक)	0	0	-	-

2.4 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी:

निदेशक मंडल को कंपनी की किसी भी जानकारी तक पूरी पहुँच है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी में शामिल हैं:

(i) वार्षिक परिचालन योजनाएँ, बजट और कोई भी अद्यतन।
(ii) वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, आदि।
(iii) लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
(iv) प्रमुख निवेश, आदि।
(v) बड़े अनुबंधों को देना।
(vi) निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति पदों के बारे में रुचि का प्रकटीकरण।
(vii) विभिन्न चल रही परियोजनाओं/योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर रिपोर्ट।
(viii) मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध आदि में कोई महत्वपूर्ण विकास।
(ix) किसी भी नियामक, वैधानिक प्रावधानों का गैर-अनुपालन,
(x) अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 और सरकारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्न उल्लिखित समितियों का गठन का किया हैः

(i) लेखापरीक्षा समिति; और
(ii) नामांकन एवं परिश्रामिक समिति।

3.1 वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना, आयोजित बैठक और लेखापरीक्षा बैठक में उपस्थिति:

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का गठन 26 सितंबर, 2023 को किया गया था। इसके बाद, लेखापरीक्षा समिति की 2 बैठकें क्रमशः 30 नवंबर, 2023 और 5 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	**निदेशक का नाम**	**लेखापरीक्षा समिति में पदनाम/पद**	**कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकों में उपस्थिति**
1	श्रीमती आरती भटनागर	अध्यक्ष	2	2
2	श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े (23 मार्च, 2023 से प्रभावी)	सदस्य	2	1
3	श्री राजीव सिंह ठाकुर (14 सितंबर, 2023 से प्रभावी)	सदस्य	2	2

3.2 वर्ष 2022-2023 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना, आयोजित बैठकें एवं पारिश्रमिक समिति में उपस्थिति

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 26 सितंबर, 2023 को किया गया। इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 2 बैठकें क्रमशः 30 नवंबर, 2023 और 5 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	**निदेशक का नाम**	**नामांकन एवं परिश्रामिक समिति में पदनाम/पद**	**कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकों में उपस्थिति**
1	श्रीमती आरती भटनागर	अध्यक्ष	2	2
2	श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े (23 मार्च, 2023 से प्रभावी)	सदस्य	2	2
3	श्री राजीव सिंह ठाकुर (14 सितंबर, 2023 से प्रभावी)	सदस्य	2	2

4. निदेशकों का परिश्रामिक

कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं। पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित होने की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	**बैठक की तिथि**	**समय**	**स्थान**	**पारित विशेष संकल्प**
2020-21	30.09.2021	03.30 अपराह्न	समिति कक्ष सं. 225, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110011	-
2021-22	26.12.2022	05.00 अपराह्न	-वहीं-	-
2022-23	29.09.2023	3.00 अपराह्न	-वहीं-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई असाधारण बैठक आयोजित नहीं की गई।

6. अभिस्वकरण

कंपनी अधिनियम, 2023 की आवश्यकता अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन किया गया है।

आईआईसीसी लिमिटेड लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन कर रहा है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा के पश्चात ही निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरणों को पारित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिदेश से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना अथवा निंदा नहीं की गई है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में, नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात लागू कर दिया गया है।

आईआईसीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं है, जिससे कंपनी के साथा हितों का संघर्ष हो।

लेखा पुस्तकों पर ऐसे किसी व्यय को बुक नहीं किया गया है जो संगठन के उद्देशय का नहीं था।

कंपनी की निधियों से निदेशक मंडल के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रकृति का कोई व्यय वहन नहीं किया गया है।

7. संचार के साधन

कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध और पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और इसलिए, इसके तिमाही अथवा छमाही परिणामों को सूचीबद्ध कंपनियों की तरह सूचित नहीं किए जाते हैं।

8. लेखापरीक्षा अर्हता

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/टिप्पणियों, यदि कोई हो तो, तत्संबंधी प्रबंधन के उत्तर वार्षिक रिपोर्ट के भाग है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र

आईआईसीसी लिमिटेड ने सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति को तैयार कर लिया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लागू कर दिया गया है। सतर्कता तंत्र को वेबसाइट https:iiccl.dpitt.gov.in. पर भी अपलोड कर दिया गया है।

11. कॉरपोरेट सामाजिक दायिता

आईआईसीसी लिमिटेड समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम के दायरे में समाज के सतत् और समावेशी विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 13 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी की सीएसआर नीति को स्वीकृति दी। सीएसआर नीति सीएसआर की दिशा में कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है और अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करती है।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों को कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक-'II' में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
हस्ता./-

हस्ताक्षर
(गुरनीत तेज)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः 07047188
डी-1/190, रबिंदर नगर,
अमृता शेरगिल मार्ग, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांकः 30.12.2024
स्थानः नई दिल्ली

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना, विजन और मिशन

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड भारत का एक प्रयास है जो स्थानीय निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को वैश्विक खरीदारों और ग्राहकों से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है और एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड भारत के बैठक, प्रोत्साहन, कांफ्रेंस एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई) उद्योग की वृद्धि के लिए उत्प्रेरक बनने का लक्ष्य रखता है।

इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के मुख्य उद्देश्य हैः

आईआईसीसी लिमिटेड के मुख्य उद्देश्यः

1. **एक विश्व श्रेणी सुविधा का विकासः**
   - द्वारका, नई दिल्ली में अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (ईसीसी) की स्थापना करना।
   - प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केंद्र, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरेना, वित्तीय केंद्र - कार्यालय, होटल, खाद्य एवं पेय आउटलेट और खुदरा सेवाओं सहित व्यापक सुविधाएं प्रदान करना।
2. **आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहनः**
   - अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और आयोजनों को आयोजित करने के प्रति भारत की क्षमता बढ़ाना
   - व्यापार और वाणिज्य संबंधी आयोजनों के लिए एक प्रमुख शीर्ष गंतव्य के रुप में नई दिल्ली को स्थापित कर आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन
3. **रोजगार सृजनः**
   - पांच लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का सृजन।
   - न केवल ईसीसी सुविधाओं के भीतर बल्कि रिटेल, कार्यालय स्थलों और आतिथ्य जैसे सहयोगी क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित करना।
4. **स्थायी विकास कार्यान्वयनः**
   - ईसीसी को हरित एवं स्थायी अवसंरचना के साथ विकसित करना।
   - विश्वभर में सर्वोत्तम प्रदर्शनी केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धी सुविधा विकसित करने का लक्ष्य।
5. **व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनानाः**
   - प्रदर्शनियों, कंवेन्शनों और व्यापारिक बैठकों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन कर भारत के व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहित करना।
   - एशियाई प्रदर्शनी बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाना।
6. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोगः**
   - परियोजना के वाणिज्यिक घटक का विकास - (मिश्रित उपयोग वाले विकासात्मक प्लॉट - कार्यालय, रिटेल और होटल) निजी भागीदारी द्वारा
   - पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी परियोजना संरचना और विकास सुनिश्चित करना।
7. **सुनिश्चित सरकारी समर्थन और वित्तपोषणः**
   - परियोजना वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त बजटीय सहयोग और ऋण सुनिश्चित करना।

इन उद्देश्यों का लक्ष्य आईआईसीसी लिमिटेड को क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलन बाजार में अग्रणी खिलाड़ी बनाना है।

आईआईसीसी लिमिटेड का विजनः

आईआईसीसी लिमिटेड का लक्ष्य नई दिल्ली को शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर जैसे शहरों की तरह प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ प्रदान करके, आईआईसीसी लिमिटेड लिमिटेड का लक्ष्य एशियाई प्रदर्शनी बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण रोज़गार के अवसर पैदा करना और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना है।

मिशन स्टेटमेंट

द्वारका, नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र का विकास और संचालन करना, जो वैश्विक व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में योगदान मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक प्रतिष्ठित प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र विकसित करना है, जो अपनी वास्तुकला उत्कृष्टता और टिकाऊ डिजाइन की विशेषता रखता हो, तथा जिसमें प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केंद्र, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरिना, वित्तीय केंद्र, होटल, फूड एंड ब्रेवरेज आउटलेट और खुदरा सेवाओं जैसी व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना है। मेट्रो और सड़क संपर्कता सहित मजबूत अवसंरचना आसान पहुँच सुनिश्चित करेगी और परियोजना को पूर्ण सरकारी सहयोग के साथ एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाएगा।इस परियोजना का उद्देश्य एक प्रतिष्ठित प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र विकसित करना है, जो अपनी वास्तुकला उत्कृष्टता और टिकाऊ डिजाइन की विशेषता रखता हो, तथा जिसमें प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन केंद्र, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, एरिना, वित्तीय केंद्र, होटल, फूड एंड ब्रेवरेज आउटलेट और खुदरा सेवाओं जैसी व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना है। मेट्रो और सड़क संपर्कता सहित मजबूत अवसंरचना आसान पहुँच सुनिश्चित करेगी और परियोजना को पूर्ण सरकारी सहयोग के साथ एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाएगा।

वित्तीय झलकियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की कुल आय 950.13 लाख रुपए रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 197.50 लाख रुपए थी। बहरहाल, उच्च मूल्यह्रास और वित्त प्रभार के कारण कुल व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के 153.12 लाख रुपए की तुलना में बढ़कर 28,071.42 लाख रुपए हो गया। नतीजतन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध घाटा 27116.54 लाख रुपए रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 31.02 लाख रुपए था।

एसडब्ल्यूओटी

यशोभूमि को एक एकीकृत परिसर के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें अत्याधुनिक प्रदर्शनी हॉल के साथ-साथ सम्मेलन सुविधा भी होगी, जिसे खुदरा, कार्यालय और होटल जैसी अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सुविधाओं की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित किया जाएगा। यशोभूमि ने कार्यक्रम प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण पर्यवेक्षण, स्थल बुकिंग और संचालन आदि जैसे विभिन्न विषयों के लिए पेशेवर और अनुभवी फर्मों/एजेंसियों को नियुक्त किया है ताकि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बी2बी एवं बी2सी मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए बैठक, प्रोत्साहन, कांफ्रेंस एवं प्रदर्शनी (माइस) उद्योग में सबसे बेहतरीन सुविधाओं में से एक सुनिश्चित की जा सके।

यशोभूमि आईआईसीसी एक नवनिर्मित संस्था है, जिसे आगे अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालयों और सहयोग के लिए अन्य सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के भीतर एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों को आकर्षित करने और उन्हें यशोभूमि में लाने के लिए कंपनी की पहुंच को अधिकतम करने के लिए

आयोजन स्थल के आक्रामक विपणन को सुनिश्चित करने के लिए हर समय एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध एजेंसियों के बीच एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आयोजन स्थल पर दी जा रही सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो और निर्मित अवसंरचना की पूरक बने।

भावी दृष्टिकोण

परियोजना के पहले चरण की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्यक्रम कैलेंडर में आने वाले वर्षों के लिए एक व्यस्त और आशावादी व्यवसाय दर्शाया गया है। ऑपरेटर किनएक्जिन ने भी कई मौकों पर व्यवसाय के लिए अधिक लीज़ क्षेत्र सौंपे जाने की इच्छा व्यक्त की है।

दूसरी ओर, विभिन्न डेवलपर्स के साथ बातचीत में, उन्होंने मिश्रित उपयोग विकास क्षेत्र में भूखंडों के विकास में निवेश करने की इच्छा भी व्यक्त की है। तदनुसार, एमयूडी भूखंडों के अंतर्गत प्लॉटों के मौद्रीकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। बोलियों के मूल्यांकन, न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय करने, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के मसौदे में आवश्यक परिवर्तन करने, भूमि मौद्रीकीकरण के संबंध में नीलामी प्रक्रिया की देखरेख और यशोभूमि में मिश्रित उपयोग वाली भूमि के लिए डेवलपर के चयन के लिए डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

सफल लेनदेन और एमयूडी भूखंडों के रियायतकर्ता की नियुक्ति तथा बाद में आईआईसीसी को धनराशि प्राप्त होने पर प्रदर्शनी हॉल संख्या 3 का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि एक वर्ष के भीतर एमयूडी जिले के कम से कम 5 भूखंडों का मौद्रीकीकरण किया जाएगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रणों का प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, उचित लेखांकन, विभिन्न परिचालनों की निगरानी बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिनमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी शामिल है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास

आईआईसीसी लिमिटेड सेवा उद्योग में एक कंपनी होने के कारण यह स्वीकारी करती है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। कंपनी कर्मचारियों की प्रतिभा को उचित रूप से पहचानती है और अनुभवी जनशक्ति और युवा समूह के बीच ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करती है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आईआईसीसी लिमिटेड एक गैर-विनिर्माण कंपनी है। हालाँकि, आईआईसीसी लिमिटेड ने हरित और टिकाऊ निर्माण पद्धतियों को सुनिश्चित करके पर्यावरण संरक्षण नियमों के संबंध में सभी कदम उठाए हैं। पूरे परिसर को हरित और टिकाऊ विशेषताओं के लिए आईजीबीसी - प्लेटिनम रेटिंग (उच्चतम रेटिंग) प्रदान की जा रही है।

जोखिम प्रबंधन

आईआईसीसी लिमिटेड नियमित रूप से अपने परिचालन से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण करता है और बीमा और अन्य साधनों द्वारा ज्ञात जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। सभी हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी जोखिम/संभावित जोखिम को प्रबंधन के ध्यान में लाएं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायिता

कॉर्पोरेट सामाजिक दायिता (सीएसआर) व्यवसायों द्वारा नैतिक रूप से संचालन करने और आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए एक सतत प्रतिबद्धता है, जिससे कार्यबल और उनके परिवारों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

आईआईसीसी लिमिटेड सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में स्वच्छ भारत कोष में योगदान दे रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड
एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
हस्ता./-

हस्ताक्षर
(गुरनीत तेज)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएनः 07047188
डी-1/190, रबिंदर नगर,
अमृता शेरगिल मार्ग, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांकः 30.12.2024
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT INDUSTRY AND CORPORATE
AFFAIRS AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्याः ए.एम.जी.-III/6(25)/ वार्षिक लेखा/
IIC&EC (2023-24)/2024-25/577
दिनांक / DATE 19-3-2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
कमरा सं. **452** ए, डी.पी.आई.आई.टी.,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली **-110 011**

विषय : कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143 (6) (b)** के अधीन **31** मार्च **2024** को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस.ए.पंडा

(एस. आह्लादिनि पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph. : +91-11-23702357 Fax : +91-11-23702359 E-mail : pdaic@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमक्त व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा 30 दिसंबर 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील पेपरों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी को जन्म दे या पूरक टिप्पणी करे।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ताक्षर

(एस. अहालिदिनी पंडा) महानिरीक्षक

लेखापरीक्षक (उद्योग एवं कॉरपोरेट मामले)

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक 19.03.2025

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिजीशन सेंटर लिमिटेड के सदस्यों के लिए

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उक्त तिथि में रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इन्हें यहां पर "वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित वित्तीय विवरणों संबंधी नोट शामिल है।

हमारे अभिमत में और जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के सापेक्ष अभिमत के लिए आधार में उल्लिखित मामले प्रभावों के लिए सिवाए, उपरोक्त उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण जैसा कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित है, सूचना उपलब्ध कराते हैं और अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पढ़ा जाए, ("आईएनडीएएस") और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और इसके लाभ/हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह की सत्य और सही जानकारी देते हैं।

सापेक्ष अभिमत का आधार

1. संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल संपत्ति रजिस्टर को तैयार नहीं किया है और न ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, हम वित्तीय विवरणों में दर्ज कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अस्तित्व, मूल्यांकन और पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ थे और यह भी नहीं बता पाए कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सही मूल्यह्रास लागू किया गया है अथवा नहीं। परिणामस्वरूप, हम 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त के संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

2. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा की गई संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34(ए) की ओर ध्या आकृष्ट किया जाता है, जहां एसडीएमसी द्वारका सेक्टर-25 में स्थित 89.58 हेक्टेयर भूमि पर खाली भूमि कर की मांग कर रही है। इस भूमि पर खाली भूमि कर/सेवा शुल्क लागू करने का मामला आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय को भेजा गया है। आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय के परामर्श से, कंपनी ने 08.03.2018 से 31.03.2021 की अवधि के लिए 33.33% की दर से सेवा शुल्क जमा किया था, जो 175.75 लाख रूपए था। 01.04.2021 से 31.03.2024 की अवधि के लिए इस संबंध में आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय की ओर से कोई परामर्श नहीं दिया गया है। आज तक जमा की गई राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया गया है।

   वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, उपरोक्त मामले को लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण माना गया और कंपनी को इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने की सलाह दी गई। इसके अलावा, कंपनी ने उपरोक्त मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भी एसडीएमसी की

संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के विवादित मामले पर कानूनी मामलों के विभाग से राय देने का अनुरोध किया था। कानूनी मामलों के विभाग की राय लंबित रहने तक, मांग की शेष राशि यानी 2,564.64 लाख रुपये कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारे अभिमत में, प्रबंधन ने इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 2,069.39 लाख रुपये से कम पूंजीकृत हैं और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास और संपत्ति/सेवा शुल्क के कारण घाटा 608.91 लाख रुपये से कम दिखाया गया है और शेष आरक्षित और अधिशेष (संचित हानि) 608.91 लाख रुपये से कम दिखाया गया है।

3. इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के बीच इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34 (सी) का संदर्भ आकर्षित किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए अनुबंध 30 जनवरी 2018 को 2,79,100 लाख रुपये की कीमत पर निष्पादित किया गया था। इस परियोजना को मूल रूप से 20 अक्टूबर 2019 को पूरा होना था, लेकिन इसमें देरी हुई और पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। ये विवाद, दायरे में बदलाव, समय का विस्तार (ईओटी), विस्तार लागत, देरी से होने वाले नुकसान, विलंबित भुगतान पर ब्याज, जीएसटी मुद्दे और अतिरिक्त लागत से संबंधित हैं, जिन्हें अब मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।

   एलएंडटी ने ब्याज सहित 3,21,362.22 लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दावा विवरण दाखिल किया है। जवाब में कंपनी ने ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए अपना बचाव विवरण (एसओडी) प्रस्तुत किया है और इसके अलावा, दायरे में नकारात्मक परिवर्तन के कारण 77,630.21 लाख रुपये, 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए परिसमाप्त क्षति और 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए विलंब क्षति के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत की राशि के लिए एक काउंटर दावा भी प्रस्तुत किया गया है। प्रबंधन के अनुसार, एलएंडटी द्वारा उठाए गए विवादों के लिए कंपनी की देयता अनुबंध में परिभाषित विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर प्रावधान किया जाएगा। तदनुसार, एलएंडटी के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया

   यह देखते हुए कि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल निश्चित नहीं किया जा सकता है।

4. मैसर्स किनएक्जिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 39 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कंपनी ने वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 20 साल की अवधि के लिए प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का संचालन और प्रबंधन करने के लिए मैसर्स किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौता किया है। परिचालक ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

   वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से शुरू होने वाले ऑपरेटर को प्रत्येक अनुबंध वर्ष के संबंध में कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करना होगा, जो निम्न में से अधिक के बराबर होगी: (क) समायोजित सकल राजस्व ("राजस्व हिस्सा") का हिस्सा, जैसा कि उद्धृत किया गया है; और (ख) न्यूनतम वार्षिक गारंटीकृत राशि। न्यूनतम गारंटीकृत राशि छठे वर्ष से लागू होती है। कंपनी के ऑपरेटर के प्रति कुछ दायित्व हैं कि वह ऐसी दरों पर अवसंरचना सेवाएं प्रदान करे, जिससे उक्त सेवाएं प्रदान करने में उसके द्वारा किए गए प्रापण, संचालन और प्रशासन व्यय को कवर किया जा सके। अवसंरचना सेवाओं के लिए सेवा स्तर के समझौते ऑपरेटर के साथ संचालन सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि के आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है। कंपनी ऑपरेटर के प्रत्यक्ष व्यय को वहन नहीं करती है, लेकिन शुद्ध आधार पर राजस्व दर्ज करती है। ऑपरेटर ने खानपान, खाद्य और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया है। ऑपरेटर और तीसरे पक्ष के बीच सहमत राजस्व मॉडल पर कंपनी द्वारा आपत्ति जताई गई है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार संचालन सेवा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है और इस पर चर्चा चल रही है।

इसमें शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त में से कोई भी प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल निश्चित करने योग्य नहीं है।

5. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को दिए गए अनुदान से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट 47 के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीईसीएल, कंपनी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ द्वारका, सेक्टर-21 से द्वारका, सेक्टर-25 में एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी) तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए 1.708 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक करार किया (22 जून 2018), जिसमें गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में 94,200 लाख रुपये की लागत का भुगतान शामिल है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के उक्त विस्तार के लिए डीएमआरसी को 94,058.17 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामले कार्यालय को कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने परियोजना स्थल तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए डीएमआरसी को जारी अनुदान के लेखांकन के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी। समिति की राय इस प्रकार है:

"समिति ने नोट किया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को मेट्रो लाइन के माध्यम से आसान पहुंच के कारण ईसीसी के अधिक आगंतुकों के मामले में लाभ हो सकता है। बहरहाल, यह ईसीसी निर्माण गतिविधि को सुगम नहीं करता है। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और परिचालन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार की इस लागत के बिना, किसी भी परिसंपत्ति/परियोजना का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर होने वाली लागत को निर्माण गतिविधि की सुविधा या परियोजना की परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो उन्हें प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, तथ्यों और आपूर्ति किए गए दस्तावेजों से, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय पूरी परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, यह प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए पूर्व शर्त नहीं है। तदनुसार, समिति का विचार है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को भारतीय लेखा मानक 16 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ऐसे व्यय को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जब भी इन्हें किया गया हो।"

विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय, जो 26 सितम्बर 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्रदान की गई थी जो इस धारणा पर आधारित थी कि कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है।

बहरहाल, चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, इसलिए कंपनी ने

ईएसी से मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर समीक्षा करने और एक अद्यतन राय प्रदान करने का अनुरोध किया। कंपनी के प्रबंधन ने अद्यतन राय प्रदान करने के लिए 4 अक्टूबर 2024 को ई-मेल के माध्यम से ईएसी से संपर्क किया। ईएसी द्वारा राय की समीक्षा लंबित होने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में बताया गया है जो ईएसी की राय के अनुरूप नहीं है। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, अद्यतन राय का प्रभाव, यदि कोई हो, अद्यतन राय प्राप्त होने के समय लिया जाएगा।

ईएसी की राय और पूरक लेखापरीक्षा के विचारों पर विचार करते हुए, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए घाटा 91,780.99 लाख रुपये और शेष आरक्षित और अधिशेष (संचित घाटा) 91,780.99 लाख रुपये कम आंका गया है।

6. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक लेखापरीक्षा समिति और एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान। बहरहाल, यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 178 का अनुपालन नहीं करता है, जिसके तहत इन समितियों में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करना आवश्यक है, लेकिन कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 का गैर-अनुपालन भी स्पष्ट किया गया।

हमने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के "भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" खंड में आगे उल्लिखित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी अर्हक अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर

- कुछ लेनदारों/पक्षों के खातों में शेष राशि के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 48 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। प्रबंधन ने बताया है कि कि सुलह के बाद प्रभाव, यदि कोई हो, उसे उस वर्ष में शामिल किया जाएगा जिस वर्ष वह पुष्टि/समाधान हो। इस मामले के संबंध में हमारा अभिमत अर्हक नहीं है।

- आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 7 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 27,116.90 लाख रुपये का शुद्ध घाटा उठाया है। कंपनी भविष्य के सेट-ऑफ के लिए चालू वर्ष के व्यावसायिक घाटे को आगे बढ़ाने में असमर्थ है क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। नतीजतन, वित्तीय विवरणों में इन व्यावसायिक घाटे के लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले के संबंध में हमारा अभिमत अर्हक नहीं है।

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रूम नंबर 452 ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, उद्योग भवन, नई दिल्ली, भारत, 110011 है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार, 8वीं मंजिल, टॉवर -1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कॉनॉट प्लेस, दिल्ली, भारत, 110001 पते पर खातों की किताबें रखी जाती है। बहरहाल, कंपनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रूम नंबर

302, तीसरी मंजिल बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, भारत, 110001 में खातों की किताबें रखती रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के उल्लंघन में खातों की किताबों के रखरखाव के लिए पंजीकृत पते में बदलाव को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को विधिवत अधिसूचित नहीं किया गया है। अब तक, प्रबंधन/बोर्ड द्वारा इसे बदलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारे अभिमत तैयार करने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई अभिमत नहीं प्रकट करते हैं।

अर्हक अभिमत खंड के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के लिए सिवाए हमने निश्चित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दा नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

भारतीय लेखांकन मानक विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी किसी तरह के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के रोकड़ प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकदर्शी हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रयों को डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों का सत्य एवं

स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधडी से हो अथवा चूक से हो, उसके मुक्त रखते हो, उसे तैयार करना एवं प्रस्तुत करना शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन सतत् आधार पर जारी रखने के लिए सतत् आधार पर समूह की क्षमता का आकलन करने, संबंधित मुद्दों जहां लागू हो, प्रकटन करने और लेखांकन आधार पर सतत् आधार के उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हों अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन का पता लगा लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और यदि इन भारतीय लेखांन मानक विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी भी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन व निष्पादित करते हैं, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप भौतिक गलत बयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणाम स्वरूप पता न लग पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है;

- लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करने के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना जो उस स्थिति में उचित हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या समूह के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन प्राकल्लनों की तर्कसम्मत्ता तथा प्रबंधन वर्ग दवारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के लेखांकन के सतत् आधार के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो सतत् आधार पर में जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अभी तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपि, भविष्यगत घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती है।

- प्रकटनों सहित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु तथा इस

आशय का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं कि वे स्पष्ट निर्णय तक पहुंच सकें।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों सहित, लेखापरीक्षा की नियोजित संभावना व समय तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों सहित पर्याप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति, को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिकूल हो सकते है तथा जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते हो या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में, जहां तक लागू हों विर्निदिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक बी" में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, अपनी लेखारीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   a) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   b) हमारे अभिमत में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर के रखरखाव न करने और नीचे धारा 143(3)(एच)(vi) में उल्लिखित ऑडिट ट्रेल की आवश्यकता का अनुपालन न करने के सिवाय अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   c) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए तुलनपत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;

   d) हमारे अभिमत में, उपरोक्त अर्हक अभिमत के लिए आधार में उल्लिखित मदों को छोड़कर उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2015 जिसे कंपनी के साथ पढ़ा जाए, को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 जिस कंपनी (लेखांकन) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, में विर्निदष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।

e) उपरोक्त अर्हक अभिमत के लिए आधार में उल्लिखित मदों के संबंध में हमारे अभिमत के अनुसार कंपनी की कार्यक्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।

f) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

g) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के लिए "अनुलग्नक ए" पर हमारी पृथक रिपोर्ट देखे। हमारी रिपोर्ट पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभाविता पर अर्हक अभिमत व्यक्त करती हैं;

h) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग करना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

i) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   i. कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है।

   ii. कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल है, जिसके लिए कंपनी को किसी भी संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करना पड़ता।

   iii. कंपनी द्वारा इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

   i. (क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों के नोट में प्रकटन से इतर, किसी भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक हैं) को अग्रिम अथवा ऋण के रूप में नहीं दिया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है (चाहे वह उधार ली गई धनराशि हो अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा प्रकार की निधि) कंपनी अथवा उसकी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था में, जिसमें विदेशी ईकाई ("मध्यवर्ती") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो अथवा अन्यथा, कि मध्यवर्ती, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें;

   ख) कंपनी के प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों के नोट में प्रकटन से इतर, कंपनी या किसी भी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या ऐसी कोई सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भीतरी से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी अथवा फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगी; और

   (ग) कंपनी पर हमारे द्वारा की गई परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं

के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो गया है कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसाकि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई सामग्री मिथ्या कथन है।

ii. कंपनी ने वर्ष के दौरान न किसी लाभांश की घोषणा की है अथवा किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया है। (संदर्भ वित्तीय विवरणों का नोट सं. 35)

iii. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों तैयार करने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए 4 अक्टूबर 2023 से ही संचालित है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक "सी" के रूप में संलग्न है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000397एन

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार गोयल)
सदस्यता सं. 084600

यूडीआईएनः 25084600BMITLA4067

हस्ताक्षर स्थलः नई दिल्ली
तिथिः 30.12.2024

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के उप धारा (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 की तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा सहित उसी तिथि को **इंडिया इंटरनेशन कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड** (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षक दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाने वाला लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और पद्धतियां शामिल होती है जो: (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमति के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाने अथवा रोकने जिसका भारतीय लेखांकन मानकों पर आधारित वित्तीय विवरणों पर एक वस्तुपरक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण के मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण उल्लेखनीय गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं बिगड़ सकती है।

अर्हक अभिमत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय **नियंत्रणों** की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

(i) अपर्याप्त जनशक्ति के कारण कर्तव्यों का पृथक्करण: केवल दो स्थायी कर्मचारी हैं यानी प्रबंधक (वित्त) और सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)। बोर्ड स्तर से नीचे के पदों को नहीं भरा जा रहा है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पदों को नहीं भरा जा रहा है।

प्रबंधक (वित्त) सभी प्रकार के वाउचर, जेवी भुगतान वाउचर, प्राप्ति वाउचर, डेबिट नोट, खरीद वाउचर आदि तैयार और हस्ताक्षर कर रहा है। केवल भुगतान वाउचर पर प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईआईसीसी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

वित्त (प्रबंधक) ही तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह, खातों में सभी नोटों के साथ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तैयार करता है।

इस प्रकार, आंतरिक जांच की कोई अवधारणा नहीं है जहां व्यक्ति का काम स्वचालित रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांचा जाता है।

(ii) कंपनी ने एक लेखापरीक्षा समिति और एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, लेकिन इन समितियों का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, जिसके तहत स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने का आदेश है। इन समितियों की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति उनके गठन की वैधता को प्रभावित करती है और उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शासन निगरानी से समझौता करती है।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी के कंपनी सचिव (सीएस), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) और धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं, को पूरे वित्तीय वर्ष 2023-

24 के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निलंबन की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 और उसके तहत लागू नियमों के तहत निर्धारित पूर्णकालिक कंपनी सचिव रखने की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं हुआ है।

(iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है और न ही सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया है।

एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की एक सामग्री गलत विवरण को समय पर रोका या ढूंढा नहीं जा सकेगा।

हमारे अभिमत में, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में 31 मार्च 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000397एन

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार गोयल)
सदस्यता सं. 084600

यूडीआईएनः 25084600BMITLA4067

हस्ताक्षर स्थलः नई दिल्ली
तिथिः 30.12.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तिथि को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांची गई पुस्तकों एवं रिकार्डों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाला उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है।

(ब) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं किया था। इसके अभाव में, लेखा पुस्तकों की तुलना करने पर किसी विसंगति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के अंत तक अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय के दौरान, कंपनी को कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, इस खंड के अंतर्गत सभी उप-खंड लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार न तो किसी निदेशक के साथ कोई ऋण या उधार समझौता किया है और न ही कोई निवेश किया है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या जमा समझी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि समझाया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है, इस प्रकार रिपोर्टिंग के तहत यह धारा लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारे अभिमत में, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ लागू अन्य वैधानिक बकाया कर्मचारियों सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया उचित अधिकारियों के पास जमा करने में आम तौर पर नियमित है। 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई

भी निर्विवादित बकाया राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

(viii) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
(ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
(ग) सावधि ऋण उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे;
(घ) कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई हैं और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।
(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन प्राप्त नहीं किया है और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।
(च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को बंधक रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है।

(x) (क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या अन्य किसी सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों वरीय आवंटन अथवा शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्र (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का नहीं किया है।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान रिपोर्ट की गई है। इसलिए, इस खंड के उप-खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों से छूट दी गई है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार प्रकटीकरण लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक के रूप में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में किया गया है।

बहरहाल, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा अपेक्षा की गई है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(xiv) (क) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीभा प्रणाली मौजूद है जिसे कंपनी के आकार तथा व्यापार की प्रकृति के अनुरूप इसे और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
(ख) लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

(xv) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के अंतर्गत आता हो। तदनुसार, इसके प्रावधान कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड कंपनी पर लागू

नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(घ) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी किसी ऐसे समूह का हिस्सा नहीं है जिसमें समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं।

(xvii) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में और ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारी राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है जब भी वे तुलन पत्र से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर और जब वे देय हो जाती हैं, आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा चुकाई जाएंगी।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएसआर गतिविधि से संबंधित कोई भी अव्ययित राशि नहीं है।

(xxi) हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर लागू अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के समेकन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000397एन

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार गोयल)
सदस्यता सं. 084600

यूडीआईएनः 25084600BMITLA4067

हस्ताक्षर स्थलः नई दिल्ली
तिथिः 30.12.2024

अनुलग्नक ग

अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षा के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क्र.सं.	निदेश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	जी हां, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए टैली ईआरपी प्रणाली है और वित्तीय खातों की तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के लिए, आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है।
(ii)	क्या मौजूदा ऋण को पुनर्गठित किया गया है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हुए हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्ष के दौरान, किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले पाए गए हैं।
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी ने केंद्र सरकार से इक्विटी (संदर्भ वित्तीय विवरणों के नोट सं. 14 और 15 देखें) के लिए धन प्राप्त किया है और खातों की पुस्तकों में इसको उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राप्त निधियों का उपयोग स्वीकृति की शर्तों के अनुसार किया गया है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000397एन

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार गोयल)
सदस्यता सं. 084600

यूडीआईएनः 25084600BMITLA4067

हस्ताक्षर स्थलः नई दिल्ली
तिथिः 30.12.2024

<u>अनुपालन प्रमाणपत्र</u>

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड** के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000397एन

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार गोयल)
सदस्यता सं. 084600

यूडीआईएनः 25084600BMITLA4067

हस्ताक्षर स्थलः नई दिल्ली
तिथिः 30.12.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर लिमिटेड की इस वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

	अर्हक अभिमत का आधार	**प्रबंधन प्रतिक्रिया**
1.	संयंत्र, परिसंपत्ति और उपकरण के संबंध में वित्तीय विवणों के नोट 4.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमारी समीक्षा के दौरान हमने यह पाया है कि वर्ष के दौरान कंपनी न तो अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को तैयार किया है और न ही परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक निरीक्षण किया है। इन परिस्थितियों में, हम वित्तीय विवरणों में दर्ज कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अस्तित्व, मूल्यांकन और पूर्णता को सत्यापित करने में असमर्थ थे और यह भी नहीं बता पाए कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार सही मूल्यह्रास लागू किया गया है या नहीं। परिणामस्वरूप, हम 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त के संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	परियोजना सुविधा का एकीकृत परीक्षण जारी है, तथा एलएंडटी द्वारा सुविधा को सौंपने तथा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा इसे अपने अधीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। अचल परिसंपत्ति रजिस्टर की तैयारी प्रक्रियाधीन है क्योंकि यह सौंपने और लेने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। चूंकि, परिचालन 1 अक्टूबर, 2023 से शुरू किया गया था, इसलिए परिचालन शुरू होने की तिथि से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण आवश्यक था। तदनुसार, परिसंपत्तियों का पूंजीकरण और उस पर लगाया गया मूल्यह्रास, भारतीय लेखांकन मानक - 16 और कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन सौंपने और अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान किया जा रहा है, जो अभी भी जारी है। संयंत्र, परिसंपत्ति और उपकरण के पूंजीकरण पर उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में दिए गए हैं।
2.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा उठाई गई संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34(ए) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जहां एसडीएमसी द्वारका सेक्टर-25 में स्थित 89.58 हेक्टेयर भूमि पर खाली भूमि संबंधी कर की मांग कर रही है। इस भूमि पर खाली भूमि कर/सेवा शुल्क लागू करने का मामला आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से, कंपनी ने आपत्ति दर्ज करते हुए 08.03.2018 से 31.03.2021 की अवधि के लिए 33.33% की दर से ₹ 175.75 लाख की सेवा शुल्क जमा किया था। 01.04.2021 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए इस संबंध में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से कोई और सलाह नहीं दी गई है। आज तक जमा की गई राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, उपरोक्त मामले को	दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा उठाई गई संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34(ए) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जहां एसडीएमसी द्वारका सेक्टर-25 में स्थित 89.58 हेक्टेयर भूमि पर खाली भूमि संबंधी कर की मांग कर रही है। इस भूमि पर खाली भूमि कर/सेवा शुल्क लागू करने का मामला आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से, कंपनी ने आपत्ति दर्ज करते हुए 08.03.2018 से 31.03.2021 की अवधि के लिए 33.33% की दर से ₹ 175.75 लाख की सेवा शुल्क जमा किया था। 01.04.2021 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए इस संबंध में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से कोई और सलाह नहीं दी गई है। आज तक जमा की गई राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया गया है।

	लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण माना गया और कंपनी को इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने की सलाह दी गई। इसके अलावा, कंपनी ने उपरोक्त मुद्दे पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का परामर्श मांगा और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भी एसडीएमसी की संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के विवादित मामले पर विधायी कार्य विभाग से राय देने का अनुरोध किया। विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त होने तक, मांग की शेष राशि अर्थात 2,564.64 लाख रुपये को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारे अभिमत में, प्रबंधन ने इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किया है, परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण 2,069.39 लाख रुपये से कम पूंजीकृत हैं और संबंधित देयता भी इस राशि से कम बताई गई है और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास और संपत्ति/सेवा शुल्क के कारण घाटा 608.91 लाख रुपये से कम बताया गया है और शेष रिजर्व और अधिशेष (संचित हानि) 608.91 लाख रुपये से कम बताई गई है।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, उपरोक्त मामले को लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण माना गया और कंपनी को इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने की सलाह दी गई। तदनुसार, कंपनी ने उपरोक्त मुद्दे पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का परामर्श मांगा। लेखांकन उपचार के संबंध में ईएसी का अभिमत निम्नानुसार हैः *"यह निर्णय लेना निकाय प्रबंधन का कार्य है और लेखापरीक्षक को रिपोर्टिंग तिथि तक उपलब्ध सभी साक्ष्यों/तथ्यों (रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य सहित) पर विचार करते हुए निकाय के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करना है।" इसलिए, मौजूदा मामले में, कंपनी को सभी तथ्यों और परिस्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, उदाहरण के लिए, विशेषज्ञों की कानूनी राय, इसी तरह के मामलों में कंपनी या अन्य उद्यमों का अनुभव, उपयुक्त अधिकारियों के निर्णय (जैसे, केंद्रीय संपत्तियों पर सेवा शुल्क की प्रयोज्यता को मान्य करने वाला संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए बाद के निर्देश), आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद एसडीएमसी को विरोध के तहत आंशिक मांग का भुगतान करने की परिस्थितियां, आदि और रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह अधिक संभावना है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं। तदनुसार, उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के विद्यमान होने की संभावना अधिक है, तो कंपनी को एक प्रावधान को मान्यता देनी चाहिए (यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं) और जहां यह अधिक संभावना है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व विद्यमान नहीं है, कंपनी को एक आकस्मिक देयता का खुलासा करना चाहिए, जब तक कि आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह*

		की संभावना दूर न हो, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 37 की आवश्यकताओं के अनुसार है।" वर्तमान मामले में, सेवा शुल्क/संपत्ति कर के प्रति कंपनी का दायित्व अनिश्चित है और दायित्व का विश्वसनीय अनुमान, यदि कोई है, आज की तिथि तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस संबंध में प्रावधान की मान्यता के लिए शर्तें भारतीय लेखांकन मानक के पैरा 14 के अनुसार पूरी नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने विधि मामलों के विभाग से एसडीएमसी की संपत्ति कर/सेवा शुल्क मांग के विवादित मामले पर परामर्श देने का अनुरोध किया है। विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त होने तक, मांग की शेष राशि को भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। विधि कार्य विभाग की राय का प्रभाव, यदि कोई हो, परामर्श प्राप्त होने के समय ही माना जाएगा। इस संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट 34 (ए) में दिए गए हैं।
3.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के बीच इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34 (सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए अनुबंध 30 जनवरी 2018 को 2,79,100 लाख रुपये की कीमत पर निष्पादित किया गया था। यह परियोजना मूलतः 20 अक्टूबर 2019 को पूरी होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हो गई, तथा पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ये विवाद, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, समय विस्तार (ईओटी), विस्तार लागत, विलंब से होने वाली क्षति, विलंबित भुगतान पर ब्याज, जीएसटी मुद्दे और अतिरिक्त लागत से संबंधित थे, जिन्हें अब मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया है। एलएंडटी ने ब्याज सहित 3,21,362.22 लाख रुपये का मुआवजा मांगते हुए दावा पेश किया है। जवाब में कंपनी ने ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए अपना बचाव कथन (एसओडी) प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त, नकारात्मक परिवर्तन के कारण 77,630.21 लाख रुपये की राशि का प्रतिदावा, 27,910 लाख रुपये की राशि के	भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार आईआईसीसी पर एलएंडटी द्वारा दायर दावों पर निम्नलिखित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट 34(सी) में दिया गया है: - *“30 जनवरी 2018 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसीएल) और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो के बीच ₹2,79,100 लाख की लागत से ईपीसी आधार पर सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। मूल निर्धारित समापन तिथि 20 अक्तूबर, 2019 थी। बहरहाल, ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर या यहां तक कि बढ़ाई गई समय सीमा तक भी कार्य पूरा करने में असफल रहा। इस अनुबंध के संबंध में पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिनमें कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, ईओटी और विस्तार लागत, देरी से होने वाली क्षति, विलंबित भुगतान पर ब्याज, जीएसटी से संबंधित मुद्दे और कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न आधारों पर ठेकेदार द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत शामिल हैं,*

	लिए परिसमाप्त क्षति, तथा 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए विलंब क्षति के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत का प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है। प्रबंधन के अनुसार, एलएंडटी द्वारा उठाए गए विवादों के लिए कंपनी की देयता अनुबंध में परिभाषित विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, एलएंडटी के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है।	*जिन्हें अब मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया है। मैसर्स एलएंडटी ने उपर्युक्त आधारों पर ब्याज सहित 3,21,362.22 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। प्रतुत्तर में आईआईसीसीएल ने ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए अपना बचाव कथन (एसओडी) प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त, नकारात्मक परिवर्तन के कारण 77,630.21 लाख रुपये की राशि का प्रतिदावा, 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए परिसमाप्त क्षति (एलडी), और 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए विलंब क्षति के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत का प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया यह बचाव और प्रतिदावा कथन 15.11.2024 को दाखिल किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 02.02.2025 है। एलएंडटी द्वारा उठाए गए विवादों के कारण कंपनी की कोई भी देयता अनुबंध में परिभाषित विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, एलएंडटी के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।"*
4.	मैसर्स किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 39 की ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि से 20 साल की अवधि के लिए प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का संचालन और प्रबंधन करने के लिए मैसर्स किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौता किया है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से प्रारंभ करते हुए, ऑपरेटर प्रत्येक अनुबंध वर्ष के संबंध में कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निम्न में से अधिक के बराबर होगी: (क) उद्धृत समायोजित सकल राजस्व ("राजस्व हिस्सा") का हिस्सा; और (ख) न्यूनतम वार्षिक गारंटीकृत राशि। न्यूनतम गारंटीकृत राशि छठे वर्ष से लागू होती है। ऑपरेटर को अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के कुछ दायित्व हैं, ताकि उक्त सेवाएं प्रदान करने में उसके द्वारा किए गए खरीद, संचालन और प्रशासन संबंधी व्यय को कवर किया जा सके। ऑपरेटर के साथ परिचालन सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार अवसंरचना सेवाओं के लिए	ऑपरेटर द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 से परिचालन शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, अवसंरचना सुविधाओं के लिए सेवा स्तर समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। खानपान, खाद्य एवं पेय सेवाओं के राजस्व मॉडल पर ऑपरेटर और कंपनी के बीच मतभेद है। यदि राजस्व पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस वर्ष इसका आकलन किया जाएगा, जिस वर्ष यह तय होगा। उपरोक्त मामलों पर "भारतीय लेखांकन मानक 115-ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार उचित प्रकटीकरण नोट # 39 में दिए गए हैं।

	सेवा स्तर समझौते पर चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा राजस्व को भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त/प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ऑपरेटर के प्रत्यक्ष व्यय को वहन नहीं करती है, बल्कि शुद्ध आधार पर राजस्व दर्ज करती है। ऑपरेटर ने खानपान, खाद्य और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया है। ऑपरेटर और तीसरे पक्ष के बीच सहमत राजस्व मॉडल पर कंपनी द्वारा आपत्ति जताई गई है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार परिचालन सेवा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है और इस पर चर्चा चल रही है। इसमें शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त में से कोई भी प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल पता लगाने योग्य नहीं है।	
5.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को दिए गए अनुदान के उपचार से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट 47 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीईसीएल, कंपनी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ द्वारका, सेक्टर-21 से द्वारका, सेक्टर-25 में एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी) तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए 1.708 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक समझौता किया (22 जून 2018), जिसमें 94,200 लाख रुपये की लागत शामिल है, जिसका भुगतान गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में किया जाना है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के उक्त विस्तार के लिए डीएमआरसी को 94,058.17 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक के कार्यालय को कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने परियोजना स्थल तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए डीएमआरसी को जारी अनुदान के लेखांकन उपचार के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी। समिति की राय इस प्रकार है:- *" समिति ने कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को ईसीसी में आने वाले अधिक आगंतुकों के मामले में लाभ*	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा के दौरान एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को परियोजना स्थल तक विस्तारित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को जारी अनुदान से संबंधित मुद्दे पर प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों कार्यालय को दिए गए आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने डीएमआरसी को जारी अनुदान के लेखांकन उपचार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी थी। ईएसी ने 26 सितंबर, 2024 के ई-मेल के माध्यम से अपनी राय इस धारणा के आधार पर दी कि कंपनी मेट्रो लाइन विस्तार के बिना भी परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है। समिति की राय इस प्रकार है:- समिति ने नोट किया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को ईसीसी में अधिक आगंतुकों के आने का लाभ मिल सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन के माध्यम से पहुंच आसान हो जाएगी। *बहरहाल, इससे ईसीसी निर्माण गतिविधि को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ईसीसी और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि इस लागत अर्थात एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के बिना, किसी भी परिसंपत्ति/परियोजना का निर्माण या संचालन नहीं*

		हो सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन के माध्यम से पहुंच आसान हो जाएगी। बहरहाल, इससे ईसीसी निर्माण गतिविधि में सुविधा नहीं होगी। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ईसीसी और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि इस लागत अर्थात एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के बिना, किसी भी परिसंपत्ति/परियोजना का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर होने वाली लागत को निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने या परियोजना की परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति तक लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय संपूर्ण परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, लेकिन यह प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूर्व शर्त नहीं है। तदनुसार, समिति का विचार है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को भारतीय लेखांकन मानक 16 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ऐसे व्यय को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।" ईएसी की राय, जो 26 सितम्बर 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्रदान की गई थी, इस धारणा पर आधारित थी कि कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है। बहरहाल, चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, इसलिए कंपनी ने ईएसी से मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर समीक्षा करने और अद्यतन राय देने का अनुरोध किया। कंपनी के प्रबंधन ने अद्यतन राय देने के लिए 4 अक्टूबर 2024 को ई-मेल के माध्यम से ईएसी से संपर्क किया। ईएसी	*हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर होने वाली लागत को निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने या परियोजना की परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति तक लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय संपूर्ण परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, लेकिन यह प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए पूर्व शर्त नहीं है। तदनुसार, समिति का विचार है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को भारतीय लेखांकन मानक 16 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ऐसे व्यय को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।"* चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, और आईटीएफजी बुलेटिन 11 में उल्लिखित समान व्यय पर विचार करते हुए, ईएसी को 4 अक्टूबर, 2024 के ई-मेल के माध्यम से इन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर समीक्षा करने और अद्यतन राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। ईएसी की अंतिम राय आने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया गया है (नोट संख्या 4.1 देखें)। यह उपचार लेखांकन मानकों के अनुरूप है, क्योंकि व्यय सीधे परिसंपत्ति को उसके इच्छित परिचालन स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। ईएसी की अंतिम राय का प्रभाव, यदि कोई हो, अद्यतन राय प्राप्त होने के समय लिया जाएगा। इस संबंध में उचित प्रकटीकरण नोट # 47 में दिया गया है।

	द्वारा राय की समीक्षा लंबित रहने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में खुलासा किया गया है, जो ईएसी की राय के अनुरूप नहीं है। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, अद्यतन राय का प्रभाव, यदि कोई हो, अद्यतन राय प्राप्त होने के समय लिया जाएगा। ईएसी की राय और पूरक लेखापरीक्षा के विचारों पर विचार करते हुए, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए घाटा 91,780.99 लाख रुपये कम आंका गया है और शेष आरक्षित और अधिशेष (संचित घाटा) 91,780.99 लाख रुपये कम आंका गया है।	
3.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के बीच इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 34 (सी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए अनुबंध 30 जनवरी 2018 को 2,79,100 लाख रुपये की कीमत पर निष्पादित किया गया था। यह परियोजना मूलतः 20 अक्टूबर 2019 को पूरी होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हो गई, तथा पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ये विवाद, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, समय विस्तार (ईओटी), विस्तार लागत, विलंब से होने वाली क्षति, विलंबित भुगतान पर ब्याज, जीएसटी मुद्दे और अतिरिक्त लागत से संबंधित थे, जिन्हें अब मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया है। एलएंडटी ने ब्याज सहित 3,21,362.22 लाख रुपये का मुआवजा मांगते हुए दावा पेश किया है। जवाब में कंपनी ने ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए अपना बचाव कथन (एसओडी) प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त, नकारात्मक परिवर्तन के कारण 77,630.21 लाख रुपये की राशि का प्रतिदावा, 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए परिसमाप्त क्षति, तथा 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए विलंब क्षति के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत का प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है। प्रबंधन के अनुसार, एलएंडटी द्वारा उठाए गए विवादों के लिए कंपनी की देयता अनुबंध में परिभाषित विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, एलएंडटी के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार आईआईसीसी पर एलएंडटी द्वारा दायर दावों पर निम्नलिखित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के नोट 34(सी) में दिया गया है: - *"30 जनवरी 2018 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसीएल) और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो के बीच ₹2,79,100 लाख की लागत से ईपीसी आधार पर सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। मूल निर्धारित समापन तिथि 20 अक्तूबर, 2019 थी। बहरहाल, ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर या यहां तक कि बढ़ाई गई समय सीमा तक भी कार्य पूरा करने में असफल रहा। इस अनुबंध के संबंध में पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिनमें कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, ईओटी और विस्तार लागत, देरी से होने वाली क्षति, विलंबित भुगतान पर ब्याज, जीएसटी से संबंधित मुद्दे और कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न आधारों पर ठेकेदार द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत शामिल हैं, जिन्हें अब मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया है। मैसर्स एलएंडटी ने उपर्युक्त आधारों पर ब्याज सहित 3,21,362.22 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। प्रत्युत्तर में आईआईसीसीएल ने ठेकेदार के दावे को अस्वीकार करते हुए अपना बचाव कथन (एसओडी) प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त, नकारात्मक परिवर्तन के कारण 77,630.21 लाख रुपये की राशि का प्रतिदावा, 27,910 लाख रुपये*

	यह देखते हुए कि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है।	*की राशि के लिए परिसमाप्त क्षति (एलडी), और 27,910 लाख रुपये की राशि के लिए विलंब क्षति के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत का प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया यह बचाव और प्रतिदावा कथन 15.11.2024 को दाखिल किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 02.02.2025 है। एलएंडटी द्वारा उठाए गए विवादों के कारण कंपनी की कोई भी देयता अनुबंध में परिभाषित विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, एलएंडटी के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।"*
4.	मैसर्स किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 39 की ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि से 20 साल की अवधि के लिए प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का संचालन और प्रबंधन करने के लिए मैसर्स किनेक्सिन कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ परिचालन सेवा समझौता किया है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से प्रारंभ करते हुए, ऑपरेटर प्रत्येक अनुबंध वर्ष के संबंध में कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निम्न में से अधिक के बराबर होगी: (क) उद्धृत समायोजित सकल राजस्व ("राजस्व हिस्सा") का हिस्सा; और (ख) न्यूनतम वार्षिक गारंटीकृत राशि। न्यूनतम गारंटीकृत राशि छठे वर्ष से लागू होती है। ऑपरेटर को अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के कुछ दायित्व हैं, ताकि उक्त सेवाएं प्रदान करने में उसके द्वारा किए गए खरीद, संचालन और प्रशासन संबंधी व्यय को कवर किया जा सके। ऑपरेटर के साथ परिचालन सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार अवसंरचना सेवाओं के लिए सेवा स्तर समझौते पर चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा राजस्व को भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त/प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ऑपरेटर के प्रत्यक्ष व्यय को वहन नहीं करती है, बल्कि शुद्ध आधार पर राजस्व दर्ज करती है। ऑपरेटर ने खानपान, खाद्य और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त किया	ऑपरेटर द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 से परिचालन शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, अवसंरचना सुविधाओं के लिए सेवा स्तर समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। खानपान, खाद्य एवं पेय सेवाओं के राजस्व मॉडल पर ऑपरेटर और कंपनी के बीच मतभेद है। यदि राजस्व पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस वर्ष इसका आकलन किया जाएगा, जिस वर्ष यह तय होगा। उपरोक्त मामलों पर "भारतीय लेखांकन मानक 115-ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार उचित प्रकटीकरण नोट # 39 में दिए गए हैं।

	है। ऑपरेटर और तीसरे पक्ष के बीच सहमत राजस्व मॉडल पर कंपनी द्वारा आपत्ति जताई गई है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार परिचालन सेवा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है और इस पर चर्चा चल रही है। इसमें शामिल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त में से कोई भी प्रभाव, यदि कोई हो, फिलहाल पता लगाने योग्य नहीं है।	
5.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को दिए गए अनुदान के उपचार से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट 47 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीईसीएल, कंपनी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ द्वारका, सेक्टर-21 से द्वारका, सेक्टर-25 में एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर (ईसीसी) तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए 1.708 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक समझौता किया (22 जून 2018), जिसमें 94,200 लाख रुपये की लागत शामिल है, जिसका भुगतान गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में किया जाना है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के उक्त विस्तार के लिए डीएमआरसी को 94,058.17 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक के कार्यालय को कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने परियोजना स्थल तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए डीएमआरसी को जारी अनुदान के लेखांकन उपचार के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी। समिति की राय इस प्रकार है:- *" समिति ने कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को ईसीसी में आने वाले अधिक आगंतुकों के मामले में लाभ हो सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन के माध्यम से पहुंच आसान हो जाएगी। बहरहाल, इससे ईसीसी निर्माण गतिविधि में सुविधा नहीं होगी। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ईसीसी और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि इस लागत अर्थात एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के बिना, किसी भी परिसंपत्ति/परियोजना का निर्माण या*	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा के दौरान एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन को परियोजना स्थल तक विस्तारित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को जारी अनुदान से संबंधित मुद्दे पर प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों कार्यालय को दिए गए आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने डीएमआरसी को जारी अनुदान के लेखांकन उपचार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय मांगी थी। ईएसी ने 26 सितंबर, 2024 के ई-मेल के माध्यम से अपनी राय इस धारणा के आधार पर दी कि कंपनी मेट्रो लाइन विस्तार के बिना भी परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है। समिति की राय इस प्रकार है:- समिति ने नोट किया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार से कंपनी को ईसीसी में अधिक आगंतुकों के आने का लाभ मिल सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन के माध्यम से पहुंच आसान हो जाएगी। *बहरहाल, इससे ईसीसी निर्माण गतिविधि को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ईसीसी और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि इस लागत अर्थात एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के बिना, किसी भी परिसंपत्ति/परियोजना का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर होने वाली लागत को निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने या परियोजना की परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति तक लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय संपूर्ण परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, लेकिन यह प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए पूर्व शर्त*

	संचालन नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर होने वाली लागत को निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने या परियोजना की परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति तक लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय संपूर्ण परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, लेकिन यह प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूर्व शर्त नहीं है। तदनुसार, समिति का विचार है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को भारतीय लेखांकन मानक 16 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ऐसे व्यय को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।" ईएसी की राय, जो 26 सितम्बर 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्रदान की गई थी, इस धारणा पर आधारित थी कि कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है। बहरहाल, चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, इसलिए कंपनी ने ईएसी से मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर समीक्षा करने और अद्यतन राय देने का अनुरोध किया। कंपनी के प्रबंधन ने अद्यतन राय देने के लिए 4 अक्टूबर 2024 को ई-मेल के माध्यम से ईएसी से संपर्क किया। ईएसी द्वारा राय की समीक्षा लंबित रहने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के नोट 4.1 में खुलासा किया गया है, जो ईएसी की राय के अनुरूप नहीं है। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, अद्यतन राय का प्रभाव, यदि कोई हो, अद्यतन राय प्राप्त होने के समय लिया जाएगा। ईएसी की राय और पूरक लेखापरीक्षा के विचारों पर विचार करते हुए, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए घाटा	*नहीं है। तदनुसार, समिति का विचार है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को भारतीय लेखांकन मानक 16 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है और इसलिए, ऐसे व्यय को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।"* चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त थी, और आईटीएफजी बुलेटिन 11 में उल्लिखित समान व्यय पर विचार करते हुए, ईएसी को 4 अक्टूबर, 2024 के ई-मेल के माध्यम से इन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर समीक्षा करने और अद्यतन राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। ईएसी की अंतिम राय आने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर किए गए व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया गया है (नोट संख्या 4.1 देखें)। यह उपचार लेखांकन मानकों के अनुरूप है, क्योंकि व्यय सीधे परिसंपत्ति को उसके इच्छित परिचालन स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। ईएसी की अंतिम राय का प्रभाव, यदि कोई हो, अद्यतन राय प्राप्त होने के समय लिया जाएगा। इस संबंध में उचित प्रकटीकरण नोट # 47 में दिया गया है।

	91,780.99 लाख रुपये कम आंका गया है और शेष आरक्षित और अधिशेष (संचित घाटा) 91,780.99 लाख रुपये कम आंका गया है।	
6.	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक लेखा परीक्षा समिति और एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। बहरहाल, यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार इन समितियों में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करना आवश्यक है, लेकिन इनमें कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 का गैर-अनुपालन भी स्पष्ट किया गया।	आईआईसीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है द्वारा की जानी आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों के मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहा, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। एक बार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, इन समितियों में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए वित्तीय विवरण

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
सीआईएन: यू74999डीएल2017जीओआई327372

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र

		विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
क		**परिसंपत्तियां**			
	1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
		(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.1	4,41,353.69	0.31
		(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4.2	2,301.58	3,86,335.24
		(ग) उपयोग का अधिकार संबंधी परिसंपत्तियां	4.3	0.00	0.00
		(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	0.07	-
		(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
		(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	1,656.06	1,610.24
		(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	7	21.97	17.10
		(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	162.79	4,276.87
		कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		**4,45,496.16**	**3,92,239.76**
	2	**चालू परिसंपत्तियां**			
		(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
		(i) व्यापारिक प्राप्तियां	9	1,330.83	-
		(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	10	7,859.05	4,461.02
		(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	139.41	22.42
		(ख) वर्तमान कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	12	139.39	63.38
		(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	555.23	312.81
		कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,023.91**	**4,859.63**
		कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**4,55,520.07**	**3,97,099.39**
ख		**इक्विटी और दायिताएं**			
	1	**इक्विटी**			
		(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	2,44,239.00	2,44,239.00
		(ख) अन्य इक्विटी	15	(25,937.81)	1,179.09
		कुल इक्विटी		**2,18,301.19**	**2,45,418.09**
	2	**दायिताएं**			
		गैर-चालू दायिताएं			
		(क) वित्तीय दायिताएं			
		(i) ऋण	16	2,14,182.24	1,34,584.72
		(ख) प्रावधान	17	13.44	22.18
		(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	7	-	-
		चालू दायिताएं			
		(क) वित्तीय दायिताएं			
		(i) व्यापार देय	18		
		(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को देय		-	-
		(ख) व्यापार देय (गैर-एमएसएमई)		-	-
		(ii) अन्य गैर-चालू वित्तिय दायिताएं	19	22,901.19	16,347.82
		(ख) प्रावधान	20	14.22	0.98
		(ग) अन्य चालू दायिताएं	21	107.79	725.60
		कुल दायिताएं		**2,37,218.88**	**1,51,681.30**
		कुल इक्विटी एवं दायिताएं (1+2)		**4,55,520.07**	**3,97,099.39**
		सामग्री लेखा नीतियाँ	2		
		संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के भाग है	1-49		

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टड एकाऊंटेंट्स
एफआरएन -000397एन

हस्ता.

अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
मेम्बेशिप नं. 084600

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

आरती भटनागर
निदेशक
डीआईएन - 10065528

हस्ता.

गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन - 07047188

हस्ता.

निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसंबर, 2024

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
सीआईएन: यू74999डीएल2017जीओआई327372

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
I	परिचालन से राजस्व	22	777.24	-
II	अन्य आय	23	172.89	197.50
III	**कुल आय (I+II)**		**950.13**	**197.50**
IV	**व्यय**			
	(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	56.78	60.15
	(ख) वित्त लागत	25	8,731.10	0.78
	(ग) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	18,857.89	0.17
	(घ) सीएसआर व्यय	27	1.73	6.86
	(ड़) अन्य व्यय	28	423.92	85.16
	कुल व्यय (IV)		**28,071.42**	**153.12**
V	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(27,121.29)**	**44.38**
VI	**कर व्यय**			
	(i) वर्तमान कर	32	-	13.50
	(ii) आस्थगित कर दायिता/(परिसंपत्ति)		(4.75)	(0.14)
	कुल कर व्यय (VI)		**(4.75)**	**13.36**
VII	**कर पश्चात लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(27,116.54)**	**31.02**
VIII	**अन्य समग्र आय**			
	(i) आइटम जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(0.48)	0.02
	(ii) उन आइटम से संबंधित आयकर जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		0.12	(0.01)
IX	**अवधि के लिए कुल समग्र आय (VII+VIII)**		**(27,116.90)**	**31.03**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आमदनी (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)**			
	(i) आधार (₹ में)	31	(1.11)	0.00
	(ii) तनुकृत (₹ में)	31	(1.11)	0.00
सामग्री लेखा नीतियाँ		2		
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों के भाग है		1-49		

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टड एकाऊंटेंट्स
एफआरएन -000397एन

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
मेम्बेशिप नं. 084600

हस्ता.
आरती भटनागर
निदेशक
डीआईएन - 10065528

हस्ता.
गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन - 07047188

हस्ता.
निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसंबर, 2024

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
सीआईएन: यू74999डीएल2017जीओआई327372

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
1	**परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(27,121.29)	44.38
	शुद्ध रोकड़ प्रवाह के कर पूर्व लाभ समाधान के लिए समायोजन:		
	ब्याज आय	(94.03)	(197.50)
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	18,857.89	0.17
	ब्याज व्यय	8,051.74	-
	अन्य उधारी लागत	673.08	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	***367.39***	***(152.95)***
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
	अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/ (कमी)	760.81	84.82
	अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/ (कमी)	(617.81)	0.18
	व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/ (कमी)	(1,330.83)	-
	अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियों में कमी/(बढ़ोतरी)	(45.82)	-
	प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	4.03	6.02
	अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्तियों में वृद्धि/ (कमी)	(119.45)	-
	अन्य चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(242.42)	(282.35)
	अन्य गैर-चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	127.83	(1,625.05)
	परिचालन गतिविधियों में नकद (प्रयुक्त)/प्राप्त हुआ	***(1,096.27)***	***(1,969.34)***
	भुगतान किए गया प्रत्यक्ष कर (धनवापसी के बाद)	(76.01)	(89.10)
	परिचालन गतिविधियों में शुद्ध नकद (प्रयुक्त)/प्राप्त हुआ	**(1,172.28)**	**(2,058.44)**
2	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि	(0.10)	-
	प्राप्त ब्याज	96.49	196.96
	पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	3,986.25	28,696.79
	चालू पूंजीगत कार्य सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में निवेश	(64,956.08)	(97,463.09)
	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**(60,873.44)**	**(68,569.34)**
3	**वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त	-	-
	मियादी ऋण से प्राप्त	79,597.52	74,853.94
	ऋण के निवेश पर प्राप्त ब्याज	65.86	225.26
	मियादी ऋण पर ब्याज भुगतान	(12,867.61)	(5,946.03)
	सरकारी गारंटी फीस और आवधिक ऋण के लिए अन्य आनुषांगिक व्यय	(1,352.02)	(706.66)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद (प्रयुक्त)/प्राप्त हुआ	**65,443.75**	**68,426.51**
4	रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1+2+3)	3,398.04	(2,201.27)
5	**अवधि की शुरूआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य**	**4,461.02**	**6,662.29**
	चालू खाते में	89.29	7.07
	बैंक के जमा खातों में शेष जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से कम की है	4,366.85	6,649.78
	आटो स्वीप टर्म डिपोजिट	4.88	5.39
	हस्ते रोकड़	-	0.05
6	**अवधि के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य**	**7,859.05**	**4,461.02**
	चालू खाते में	7,703.09	89.29
	बैंक के जमा खातों में शेष जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से कम की है	152.33	4,366.85
	आटो स्वीप टर्म डिपोजिट	3.63	4.88
	हस्ते रोकड़	-	-

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397एन

हस्ता.

अशोक कुमार अग्रवाल
साझेदार
मेम्बेशिप नं. 084600

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

आरती भटनागर
निदेशक
डीआईएन - 100655

हस्ता.

गुरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन - 07047188

हस्ता.

निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसंबर, 2024

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
कमरा सं. 452ए, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
सीआईएन: यू74999डीएल2017जीओआई327372

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	नोट सं.	राशि (₹ लाख में)
01 अप्रैल, 2022 को शेष		**2,19,681.00**
अवधि के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी		24,558.00
31 मार्च, 2023 को शेष	**13**	**2,44,239.00**
01 अप्रैल, 2023 को शेष		**2,44,239.00**
अवधि के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी		-
31 मार्च, 2024 को शेष	**13**	**2,44,239.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि (₹ लाख में)	आरक्षित और अधिशेष	जोड़ (₹ लाख में)
		प्रतिधारित आय (₹ लाख में)	
01 अप्रैल, 2022 को शेष	**-**	**1,147.46**	**1,147.46**
लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव		**0.60**	**0.60**
01 अप्रैल, 2022 को पुनः प्रस्तुत शेष		**1,148.06**	**1,148.06**
वर्ष के दौरान प्राप्त की शेयर आवेदन राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	31.02	31.02
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय		0.01	0.01
कुल समग्र आय		31.03	31.03
31 मार्च, 2023 को शेष	**-**	**1,179.09**	**1,179.09**
01 अप्रैल, 2023 को शेष	**-**	**1,179.09**	**1,179.09**
वर्ष के दौरान प्राप्त की शेयर आवेदन राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(27,116.54)	(27,116.54)
वर्ष के लिए अन्य समग्र आय		(0.36)	(0.36)
कुल समग्र आय		(27,116.90)	(27,116.90)
31 मार्च, 2024 को शेष	**-**	**(25,937.81)**	**(25,937.81)**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाला नोट

1. कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड ("आईआईसीसी" या "कंपनी") एक सार्वजनिक कंपनी है जो 19 दिसंबर, 2017 को भारत में कंपनियां अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्थापित और पंजीकृत हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कक्ष संख्या 452A, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 में स्थित है। आईआईसीसी एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) है जिसे प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (ईसीसी) के निर्माण और विकास के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें 100% पूंजी भारत सरकार से है।

ईसीसी, भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना, को "विश्व स्तरीय", अत्याधुनिक, परिवहन केंद्रित, मिश्रित उपयोग वाले जिले के रूप में कल्पित किया गया है, जो भारत और एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक प्रदान करता है।

वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हैं, को निदेशक मंडल द्वारा 30 दिसंबर 2024 को मंजूरी दी गई।

2. सामग्री लेखा नीतियाँ

2.1 अनुपालन और तैयारी के आधार का विवरण

2.1.1 इंड एएस के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनियों के अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित किए गए हैं, जो समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुरूप हैं।.

वित्तीय विवरणों को अधिग्रहण और निरंतरता के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है।.

2.1.2 मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय उपकरणों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखा नीतियों में समझाया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित होती है।.

2.1.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है, सिवाय इसके कि कहीं और कुछ अन्यथा कहा गया हो। वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली संख्याएँ लाखों में हैं और दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित की गई हैं।

2.1.4 निर्णयों और अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी में अनुमान और धारणाओं की आवश्यकता होती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। हालांकि, ऐसे अनुमान और धारणाएँ सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकपूर्ण आधार पर की जाती हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और इसके अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में पहचाना जाता है, जिसमें अनुमान में संशोधन किया जाता है, यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन और भविष्य की दोनों अवधि को प्रभावित करता है, तो संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में पहचाना जाता है (संदर्भ के लिए आलोचनात्मक अनुमान और निर्णयों पर नोट संख्या 3 देखें)।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.2.1 प्रारंभिक मान्यता और मूल्यांकन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें किसी भी लागत को शामिल किया जाता है जो संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होती है जो प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत पर संचालित किया जाता है, जिसमें संचयी मूल्यह्रास/अवमूल्यन और संचयी हानि, यदि कोई हो, को घटाया जाता है।।
स्थायी संपत्तियों की लागत में इसके खरीद मूल्य को किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों (उन करों को छोड़कर जो बाद में कर प्राधिकरण से वसूले जा सकते हैं), और संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर सीधे संबंधित व्यय शामिल हैं।

आवंटित संपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक नहीं किया गया है, पूंजीकरण अस्थायी आधार पर आवश्यक समायोजन के अधीन अंतिम निपटान के वर्ष में किया जाता है।

2.2.2 बाद की लागत की मान्यता

बाद के खर्चों को संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है या उचित रूप से एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है, केवल तब जब यह संभावना हो कि उस वस्तु से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और उस वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। किसी भी घटक का मूल्य, जिसे एक अलग संपत्ति के रूप में माना गया है, तब हटा दिया जाता है जब उसे बदल दिया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि में चार्ज किया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.2.3 डि-रिकग्निशन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई भी वस्तु उसे बेचे जाने पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती, तब डिरेकगनाइज़ कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु के बिक्री या रिटायरमेंट पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि, जो बिक्री प्राप्ति और संपत्ति की बुक वैल्यू के बीच का अंतर होता है, उसे लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।.

2.2.4 मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन

(क) मूल्यह्रास को लिखित अवशिष्ट मूल्य पद्धति के आधार पर परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में मान्यता दी जाती है। वर्ष के दौरान अधिग्रहित/क्रय की गई या बेची/परित्यक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक परिसंपत्ति की अधिग्रहण तिथि से लेकर बिक्री/निवृत्ति की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।
(ख) ₹5,000/- या उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से 100% की दर से मूल्यह्रासित किया जाता है।.
(c) कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी आयु इस प्रकार है:-

परिसंपत्ति	**कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु (वर्षों में)**
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	3
भवन	60
विद्युत प्रतिष्ठान	10
संयंत्र और मशीनरी	15

निम्नलिखित मामलों में उपयोगी आयु, कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी आयु से भिन्न है

परिसंपत्ति	कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु (वर्षों में)	कंपनी द्वारा आंकी/अनुमानित उपयोगी आयु (वर्षों में)
रसोई उपकरण	15	7.5

पट्टाधारित भूमि पर निर्मित अचल परिसंपत्तियों के मामले में, उपयोगी आयु को कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II या भूमि की पट्टा अवधि में से जो भी कम हो, उसके अनुसार लिया जाता है।

2.3 चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

प्रशासनिक उद्देश्यों या उपयोग के लिए चल रहे पूंजी कार्य को उसकी लागत में संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर रखा जाता है, जब तक निर्माण और स्थापना पूर्ण नहीं हो जाती और संपत्ति अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

निर्माण व्यय, परामर्शदाताओं को दिए गए शुल्क और अन्य सभी लागतों को, निर्माण के दौरान परियोजना से सीधे संबंधित किसी भी आय को घटाकर, पूंजीगत कार्य प्रगति में दिखाया जाता है जब तक कि पूंजीकरण नहीं हो जाता। इसे उन्हीं अनुपात में परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाएगा, जिसमें परिसंपत्तियों का पूंजीकरण कुल पूंजीगत कार्य प्रगति से किया गया हो। ठेकेदारों से ब्याज और अन्य मदों की वसूली को पूंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे निर्माण व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ब्याज आय (जो इक्विटी और अनुदान के माध्यम से प्राप्त निधियों की अस्थायी तैनाती से अलग हो), निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क आदि को निर्माण के दौरान होने वाले व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण हेतु दिए गए अग्रिम भुगतान, जो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया रहते हैं, उन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण के अस्थायी निवेश पर किसी निवेश आय को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) से घटाने से प्राप्त ब्याज को उस अनुपात में आबंटित किया जाता है जो वर्गीकरण की तिथि पर अहर्क सीडब्ल्यूआईपी की पूंजीकृत परिसंपित्तयों की कीमत है।.

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक स्वीकार लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्तियां लागत में से किसी भी संचित परिशोधन और संचित अनर्जक हानियों को घटाकर किया जाता है।

परिशोधन को उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के दौरान सीधे-रेखा पद्धति पर किया जाता है जो उस पैटर्न को दर्शाता है जिसमें परिसंपत्ति के आर्थिक लाभ प्राप्त किए जाते हैं। दूरदर्शी आधार पर अनुमानों में किसी परिवर्तन के साथ प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, परिशोधन विधि और परिशोधन अवधि की समीक्षा की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति मद को निपटान अथवा परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से जब कोई भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो तो अस्वीकरण किया जाता है । किसी अमूर्त परिसंपत्ति मद के निपटान अथवा रिटायरमेंट पर होने वाला लाभ अथवा हानि को संपत्ति की बिक्री अथवा कीमत के अंतर के रूप में निश्चित किया जाता है जिसे लाभ अथवा हानि विवरण में दिखाया जाता है जब परिसंपत्ति का अस्वीकरण किया जाता है।.

अमूर्त परिसंपत्तियों को कानूनी अधिकारों की अवधि अथवा तीन वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, परिवर्धन की तिथि से बिक्री/रिटायरमेंट की तिथि तक आनुपातिक रूप से परिशोधित की जाती है।

2.5 ऋण लागतें

ऋण लागतें वे लागतें है जो अधिग्रहण से सीधी जुड़ी है अथवा वांछित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों के तैयार होने तक इस प्रकार की परिसंपत्तियों की लागत के रूप में अर्हक परिसंपत्तियों का निर्माण पूंजीकृत (निधियों के अस्थायी विनियोजन पर शुद्ध आय) है। अर्हक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां है जो अपने वांछित प्रयोग के लिए तैयार होने में अधिक समय लेती है। ऋण लागतों में विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय अंतर ब्याज लागत के रूप एक समायोजन के रूप में समझा जाता है, शामिल है।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्ययित होती हैं।

2.6 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों

कंपनी प्रत्येक रिपोर्ट तिथि को आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कोई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां अथवा परिसंपत्तियों के समूह, जिन्हें कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) कहा जाता है, अनर्जक है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की वसूलनीय राशि को अनर्जक तक निश्चित किया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति विशेष की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाना संभव न हो तो, कंपनी सीजीयू जिससे परिसंपत्ति संबंध रखती है, उसकी वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है।

किसी अनर्जक हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकारा जाता है, संपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि संपत्ति के उचित मूल्य से में से निपटान लागत और उपयोगी कीमत को घटाने के बाद उच्चतर राशि है। उपयोगी कीमत अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह,पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट है जो धन और परिसंपत्तियों के लिए जोखिम की कीमत का बाजार आकलन को दर्शाता है, पर आधारित है।

लेखांकन अवधि से पूर्व स्वीकारी गई अनर्जक हानि को बदल दिया जाता है, यदि वसूलनीय हानि के अनुमान में कोई परिवर्तन हो।

2.7 रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में हस्ते रोकड़ और बैंक राशि और अधिग्रहण की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले बैंकों के पास निक्षेप जो नकद की निर्धारित राशि में शीघ्र परिवर्तन हेतु तैयार है और कीमत में बिना जोखिम के परिवर्तन के अध्यधीन है।

बैंकों के पास मांग के पास उपलब्ध निक्षेप जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह से अधिक हो अथवा एक वर्ष से कम हो, उन्हें अन्य बैक शेषों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

2.8. पट्टा

कंपनी जहाँ पट्टेदार है, ऐसे सभी पट्टा अनुबंधों को, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में उपयोग-अधिकार संपत्तियों और संबंधित पट्टा देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है। इंड एएस 116-पट्टे को एक ऐसे अनुबंध

के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है, जिसके बदले में एक प्रतिफल दिया जाता है।

यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एक अनुबंध एक निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि:-

i. क्या अनुबंध में एक निर्दिष्ट परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,
ii. क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, और
iii. क्या कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टाधारक के रूप में

पट्टे की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी सभी पट्टे के समझौतों के लिए उपयोग के अधिकार का संपत्ति (आरओयू) और एक संबंधित पट्टे की देनदारी को मान्यता देती है जिसमें यह पट्टेदार है, सिवाय उन पट्टों के जो बारह महीने या उससे कम की अवधि के हैं (यानी, छोटे अवधि के पट्टे) और उन पट्टों के लिए जिनका अंतर्निहित संपत्ति का मूल्य कम है। इन छोटे अवधि के पट्टों के लिए जिनका अंतर्निहित संपत्ति का मूल्य कम है, कंपनी पट्टे की भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता देती है।

उपयोग के अधिकार संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की देनदारी के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होती है, जिसे पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पुनर्स्थापनात्मक दायित्व और प्राप्त पट्टे के प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार संपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें कोई भी संचयी मूल्यह्रास, संचयी हानि, यदि कोई हो, और पट्टे की देनदारी के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करती है कि क्या कोई आरओयू संपत्ति हानि में है और किसी भी पहचानी गई हानि को दर्ज करती है।

लीज़ देनदारी को प्रारंभ में उस तिथि पर न चुकाए गए लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

लीज़ देनदारी पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।.

पट्टेदार के रूप में

कंपनी जिसके लिए एक पट्टेदार है, उसे वित्तीय या संचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य पट्टे संचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। संचालन पट्टों के लिए, किराए की आय संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त की जाती है।.

2.9 कर्मचारी हितलाभ

<u>लघुकालिक कर्मचारी हितलाभ</u>

लघुकालिक कर्मचारी लाभों को संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर व्यय के रूप में दिखाया जाता है। यदि कंपनी के पास इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्व है, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूर्व

सेवा के परिणामस्वरूप है और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, तो इसके लिए एक देनदारी मान्यता प्राप्त की जाती है।

विदेश सेवा अंशदान के प्रति प्रावधान/दायिताएं प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनुसार किए जाते हैं,उन्हें व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

<u>अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ/रोजगार के बाद के लाभ</u>

कंपनी के पास निम्नलिखित दीर्घकालिक और पोस्ट रोजगार लाभ योजनाएँ हैं: -

- योगदानात्मक भविष्य निधि योजना
- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदकरण
- सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ
- पेंशन योजना

कंपनी ने सार्वजनिक उद्‌यम विभाग(डीपीई) द्‌वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुपरएन्यूएशन लाभ योजना तैयार की है, जो 01.04.2019 से प्रभावी है। सुपरएन्यूएशन लाभ में योगदानात्मक भविष्य निधि (सीपीएफ), ग्रेच्युटी, सुपरएन्यूएशन के बाद चिकित्सा लाभ और पेंशन शामिल हैं। अनुमोदित सुपरएन्यूएशन लाभ के अनुसार कंपनी का योगदान इस प्रकार है: -

क) योगदानात्मक भविष्य निधि (सीपीएफ) - मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12%
ख) ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8%
ग) पेंशन - मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%

<u>परिभाषित योगदान योजना:</u>

कंपनी की भविष्य निधि योजना, कर्मचारियों की पेंशन योजना और सुपरएन्यूएशन मेडिकल बेनिफिट योजना परिभाषित योगदान योजनाएँ हैं। कंपनी अपने योगदान को योगदानात्मक भविष्य निधि, पेंशन के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट के साथ जमा कर रही है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना के लिए प्रावधान किया जा रहा है। योजनाओं के तहत भुगतान की गई/भुगतान योग्य योगदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

<u>निर्धारित लाभ योजना</u>

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और कर्मचारियों की छुट्‌टी नकदकरण कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व का वर्तमान मूल्य बैलेंस शीट की तारीख पर प्रक्षिप्त इकाई क्रेडिट विधि पर आधारित ऐक्चुअरियल मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनः माप, जिसमें ऐक्चुअरियल लाभ और हानि शामिल हैं, को तुरंत बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है, जिसमें उस अवधि में होने पर अन्य समग्र आय के माध्यम से रखी गई आय में एक संबंधित डेबिट या क्रेडिट होता है।

2.10 वित्तीय उपकरण

2.10.1 मान्यता और प्रारंभिक मापन

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों की पार्टी बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय दायिताएं प्रारंभ में उचित कीमत पर मापी जाती है। लेन-देन लागतें जो परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा वित्तीय दायिताएं (लाभ अथवा हानि द्वारा उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायिताओं से इतर) को जारी होने से सीधी जुड़ी है और वित्तीय परिसंपत्तियां अथवा वित्तीय दायिताओं की उचित कीमत में जैसा उचित हो, प्रारंभिक मान्यता पर जोड़ी अथवा घटाई जाती है।
लेन-देन लागतें जो लाभ-हानि द्वारा उचित कीमत पर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा वित्तीय दायिताएं से जुड़ी है, उन्हें लाभ और हानि विवरण में तुरंत दिखाया जाता है।

2.10.2 उत्तरवर्ती मापन

2.10.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)
- लाभ अथवा हानि द्वारा उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि दोनों निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो:

क) किसी व्यापारिक मॉडल में परिसंपत्तियों को रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है; और
ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह की विशिष्ट तिथि पर वृद्धि देती है जो मूल रूप से बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती है।

प्रारंभिक मापन के पश्चात्, इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागतें अधिग्रहण पर किसी भी छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा लागतें जो ईआईआर का आंतरिक भाग है, को ध्यान में रखकर परिकलित की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ अथवा हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति से उत्पन्न हानि को लाभ अथवा हानि में दिखाया जाता है। सामान्यत:, यह व्यापार और अन्य प्राप्य पर लागू होता है।

प्रभावी ब्याज दर विधि: यह किसी वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय दायिता की परिशोधित लागत परिकलित करने और संबंधित अवधि में ब्याज आय अथवा ब्याज व्यय आबंटन करने की विधि है। प्रभावी ब्याज दर, वह दर है जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल राशि अथवा किसी वित्तीय दायिता की परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय दायिता की अनुमानित जीवन द्वारा अनुमानित भावी नकद भुगतानों अथवा प्राप्तियों में सटीक रूप से कमी करती है।

एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एक 'वित्तीय परिसंपत्ति' को एफवीटीओसीआईके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि दोनों निम्न मानदंड पूरे किए जाते हैं:

क) संविदात्मक कैश फ्लो को एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों माध्यमों से व्यावसायिक मॉडल का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है; तथा

ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक कैश फ्लो केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में और साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचालनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि, कंपनी ब्याज आय, तनुकृत हानि तथा प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकारती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्ति को धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है.

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो वर्गीकरण के मानदंडों को परिशोधन लागत या एफवीटीपीएलके रूप में पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएलके रूप में वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीपीएल कोटि में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ एवं हानि में स्वीकार्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।ऐसे साधनों पर ब्याज आय को ब्याज आय के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2.10.2.2 वित्तीय दायिताएं

प्रभावी ब्याज पद्धतियों का प्रयोग करते हुए परिशोधन लागत पर वित्तीय दायिताओं को मापा जाता है।

2.10.3 डि-रिकग्निशन

2.10.3.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी वित्तीय संपत्ति को तब अमान्य (Derecognise) करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय संपत्ति को स्थानांतरित कर देती है और संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को एक अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।

जब किसी वित्तीय संपत्ति को पूरी तरह से अमान्य (De-recognised) किया जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्य और प्राप्त होने के योग के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

2.10.3.2 वित्तीय दायिताएं

कंपनी वित्तीय दायिताओं को केवल तभी रद्द करती है, जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो गया हो। वित्तीय दायिता की वहन राशि और भुगतान किए गए और देय के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

2.10.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आकलन करती है कि वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह की हानि हुई है या नहीं। स्वतंत्र लेखांकन मानक 109 में अनुमानित हानियों को हानि भत्ते द्वारा मापे जाने की आवश्यकता होती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित हानि की पहचान करती है जो एक वित्तीय लेनदेन नहीं बनती। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर या आजीवन

अपेक्षित नुकसान के बराबर राशि पर मापा जाता है, यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय संपत्ति पर क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

2.11 आयकर

आयकर व्यय वर्तमान और स्थगित कर का योग दर्शाता है। कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह उन वस्तुओं से संबंधित हो जो सीधे इक्विटी या अन्य समग्र आय में मान्यता प्राप्त होती हैं। इस मामले में, कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है।

2.12.1 वर्तमान आयकर

वर्तमान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के लिए करयोग्य लाभ पर आधारित है।

2.12.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और दायिताओं की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के रूप में स्वीकारा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां, सामान्यतय: सभी घटाए गए अस्थाई अंतर, अप्रयुक्त कर घाटा और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक पहचानी जाती है कि संभवना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरूद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां आम तौर पर सभी घटाए गए अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दिया जाता है कि यह संभवना ना है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके लिए अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और दायिताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जाना है जिसमें कर दरों (एवं कर कानून) पर आधारितजिसमें दायिता का निपटान किया गया है अथवा परिसम्पत्ति वसूल की गई है, जिसे तुलन पत्र द्वारा अधिनियमित या मूल रूप में अधिनियमित किया गया है।

स्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की भरपाई तब होती है जब वर्तमान कर दायिताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं।

2.12.3 न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान कर कानून के अनुसार किया जाता है, जो भविष्य के आयकर दायिता के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देता है, इसे एक संपत्ति माना जाता है, यदि इस बात के विश्वसनीय प्रमाण हैं कि सामान्य आयकर देय होगा। तदनुसार, यह तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जबकि यह संभावना है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी,उक्तसंपत्ति को क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट और लॉस खाते के क्रेडिट के माध्यम से बनाया गया है और एमएटी क्रेडिट एंटिटेलमेंट के रूप में दिखाया गया है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा करती है और एमएटीक्रेडिट एंटिटेलमेंट की वहन राशि को उस सीमा तक लिखती है कि इस आशय का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

2.13 राजस्व मान्यता

क) कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को इंड एएस-115 में बताए गए पांच चरणों की प्रक्रिया के आधार पर मान्यता देती है।:

(i) ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करें: - एक अनुबंध को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता के रूप में परिभाषित किया गया है जो लागू करने योग्य अधिकारों और दायित्वों को उत्पन्न करता है और प्रत्येक अनुबंध के लिए उन मानदंडों को निर्धारित करता है जो पूरे होने चाहिए।

(ii) अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करें: एक प्रदर्शन दायित्व वह वादा है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में किया जाता है, जिसमें ग्राहक को एक वस्तु या सेवा स्थानांतरित करने का वादा किया जाता है।

(iii) लेन-देन की कीमत निर्धारित करें: लेन-देन की कीमत वह राशि है जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होगी, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

(iv) संविदा में प्रदर्शन दायित्वों को लेनदेन मूल्य आवंटित करें: एक संविदा के लिए जिसमें एक से अधिक प्रदर्शन दायित्व होते हैं, कंपनी लेनदेन मूल्य को प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए उस राशि में आवंटित करती है जो दर्शाती है कि कंपनी प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए प्राप्त करने की अपेक्षा करती है।
(v) राजस्व की मान्यता तब की जाती है जब या जैसे ही कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, अर्थात वादे की गई वस्तु या सेवा को ग्राहक को स्थानांतरित करके। एक संपत्ति तब स्थानांतरित होती है जब ग्राहक उस संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

ख) प्रदर्शन की बाध्यता संतुष्ट होती है और राजस्व के रूप में समय के साथ मान्यता प्राप्त करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:
(i) प्रदर्शन ऐसे संपत्तियां नहीं बनाता जिनका वैकल्पिक उपयोग हो और प्रदर्शन के लिए अब तक की गई पूरी क्रियावली के लिए भुगतान का एक लागू अधिकार हो
(ii) प्रदर्शन ऐसी संपत्ति उत्पन्न करता है या उसे सुधारता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जब संपत्ति बनाई या सुधारी जाती है
(iii) ग्राहक एक ही समय में प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है।

ग) यदि उपरोक्त में से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो राजस्व उस समय पर मान्यता प्राप्त किया जाता है जब प्रदर्शन दायित्व पूरा होता है। जब प्रदर्शन दायित्व वादे की गई वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करके पूरा होता है, तो यह प्रदर्शन से अर्जित विचारधन की राशि पर एक अनुबंध-आधारित संपत्ति उत्पन्न करता है। जब ग्राहक से प्राप्त विचारधन की राशि उस राजस्व से अधिक होती है जो मान्यता प्राप्त की गई हो, तो यह एक अनुबंध देनदारी उत्पन्न करती है।
घ) राजस्व की मान्यता उस हद तक की जाती है जब यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और राजस्व तथा लागत (यदि लागू हो) को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ड़) संचालन से प्राप्त राजस्व विचारधन की उचित मूल्य पर मापा जाता है जो प्राप्त या प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अनुबंधीय रूप से परिभाषित भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को बाहर रखा जाता है।

च) ब्याज आय
ब्याज आय को अधिग्रहण आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

छ) निर्धारित हर्जाना (liquidated damages) तब मान्यता प्राप्त होता है जब यह अत्यधिक संभावित हो कि भविष्य में राजस्व की मान्यता गई राशि में महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा।

2.14 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनके साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

परियोजनाओं और विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है जिसके अनुपात में इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है।.

2.15 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण उस अवधि के दौरान एक दायिता के रूप में माना जाता है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। कोई भी प्रदत्त अंतरिम लाभांश निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने पर मान्यता प्राप्त होता है। देय लाभांश एवं तदनुरूप लाभांश वितरण पर कर इक्विटी में सीधे तौर पर मान्यता प्राप्त होता है।

प्रस्तावित लाभांश

इंड एएस 10, 'रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के घटनाएँ' के अनुसार, कंपनी बैलेंस शीट की तारीख के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को इन वित्तीय विवरणों के नोट्स में बताती है।

2.16 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

2.16.1 प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है और यह संभवना हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। तुलन पत्र की तारीख में दायित्व का निपटान करने के लिए प्रबंधन अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधान की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान के प्रदर्शन के लिए समायोजित किया जाता है।

2.16.2 आकस्मिक व्यय

प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक दायिताओं का प्रकटन किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती हैं और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

आकस्मिक दायिताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके होने की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटने या न घटने से होगी,जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान बाध्यता जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां या तो यह संभावना नहीं है कि संसाधनों के आउटफ्लो को सैटल करने की आवश्यकता होगी या राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायिता के बारे में जानकारी वित्तीय विवरण हेतु दी गई टिप्पणी में दी गई है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

2.17 शेयर पूंजी एवं अन्य इक्विटी

साधारण शेयर पूंजी को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.18 पूर्व अवधि मदें

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रस्तुत की गई तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके पूर्वव्यापी रूप से सुधारा जाता है, जिसमें त्रुटि हुई थी, या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो वित्तीय स्थिति के उद्घाटन विवरण को पुनः प्रस्तुत करके।

2.19 प्रति शेयर आय

प्रति शेयरआधारभूत आमदनी की गणना शेयरधारकों की संख्या और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को वर्ष के शुद्ध लाभ अथवा हानि का प्रयोग कर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आमदनी को शेयरधारकों और इक्विटी की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को वर्ष के शुद्ध लाभ अथवा हानि का प्रयोग कर की जाती है, सिवाए परिणाम अतनुकृत न हो।

2.20 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण,स्वतंत्र लेखांकन मानक 7 'रोकड़ प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.21 चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और दायिताओं को प्रस्तुत करती है जो चालू/गैर-चालू वर्गीकरण पर आधारित होता है। कोई भी परिसंपत्ति तभी चालू के रूप में वर्गीकृत की जाएगी जब वो निम्नलिखित मापदंड में से किसी भी अर्हता पूरी करती हो:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में वसूल किए जाने अथवा बिक्री किए जाने अथवा खपत किए जाने का अनुमान है।
- यह प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए है।
- इसके रिपोर्टिंग अवधि की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर वसूल किए जाने की उम्मीद है, अथवा
- नकद और नकद समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के बाद दायिता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाए।

चालू परिसंपत्तियों में गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्तमान हिस्सा शामिल है। सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में किया जाता है।

कोई भी दायिता तब चालू मानी जाती है जब निम्नलिखित मापदंड में से किसी एक को पूरा करती हो:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की उम्मीद है।
- यह प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए है।
- यह रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद 12 महीनों के भीतर निपटान हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए दायिता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

वर्तमान देनदारियों में गैर-वर्तमान वित्तीय दायिताओं का वर्तमान हिस्सा शामिल है। आस्थगित कर संपत्तियों और दायिताओं को गैर-चालू परिसंपत्तियों और दायिताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

स्वतंत्र लेखांकन मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुमानित अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की वर्णित राशि और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्ति, देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों पर प्रकटन को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। प्रबंधन को भी कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करते समय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

तुलन पत्र की तारीख में दायित्व का निपटान करने के लिए प्रबंधन अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाने की आवश्कयता होती हैं। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक दायिताओं/ संपत्ति का प्रकटन किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक स्वीकारा जा सकता है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

अनुमानों और निर्णयों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। वे ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जो कंपनी पर वित्तीय प्रभाव डाल सकती हैं और परिस्थितियों के अनुसार यह उचित माना जा सकता है।

नोट 4.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भवन (लाखों में ₹)	विद्युत स्थापना (₹ लाख में)	संयंत्र और मशीनरी (₹ लाख में)	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ (₹ लाख में)	कार्यालय उपकरण (₹ लाख में)	फर्नीचर (₹ लाख में)	जोड़ (₹ लाख में)
सकल ब्लॉक							
1 अप्रैल, 2022 को	-	-	-	**4.86**	**0.77**	-	**5.63**
जोड़ें:- वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	-	-	-	**4.86**	**0.77**	-	**5.63**
जोड़ें:- वर्ष के दौरान संवर्धन	3,74,174.82	19,659.86	48,266.60	0.80	18,109.16		**4,60,211.24**
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन				-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को	**3,74,174.82**	**19,659.86**	**48,266.60**	**5.66**	**18,109.93**	-	**4,60,216.87**
मूल्यह्रास और क्षति							
1 अप्रैल, 2022 को	-	-	-	**4.46**	**0.69**	-	**5.15**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार				0.13	0.04	-	**0.17**
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन				-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	-	-	-	**4.59**	**0.73**	-	**5.32**
जोड़ें: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	8,851.98	2,359.30	4,119.01	0.19	3,527.38	-	**18,857.86**
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन				-	-		-
31 मार्च, 2024 को	**8,851.98**	**2,359.30**	**4,119.01**	**4.78**	**3,528.11**	-	**18,863.18**
शुद्ध बही कीमत							
31 मार्च, 2023 को	**3,65,322.84**	**17,300.56**	**44,147.59**	**0.88**	**14,581.82**	-	**4,41,353.69**
31 मार्च, 2024 को	-	-	-	**0.27**	**0.04**	-	**0.31**

ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर 2023 से व्यावसायिक संचालन शुरू किया। परियोजना के लंबित एकीकृत परीक्षण और ईपीसी अनुबंध की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण दस्तावेजों के कारण, संपत्तियों को 1 अक्टूबर 2023 के व्यावसायिक संचालन की प्रारंभ तिथि के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्य, ईपीसी अनुबंध के तहत किए गए कार्य के मूल्य पर आधारित है, जिसे नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है, बशर्ते कि विवादित नकारात्मक कार्यक्षेत्र परिवर्तन का समायोजन किया जाए। चूंकि ईपीसी अनुबंध से संबंधित विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसलिए नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा किए गए कार्य का प्रमाणन वर्तमान में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की विचाराधीन है। स्थिर संपत्तियों की रजिस्टर तैयार करने, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया तथा इसे वित्तीय अभिलेखों से मिलान करने की प्रक्रिया जारी है। इसका प्रभाव, यदि कोई हो, उस वर्ष में लिया जाएगा जिसमें यह कार्य पूरा होगा।

जल और सीवरेज कनेक्शन के लिए IF शुल्क, बिजली कनेक्शन शुल्क , पर्यावरण लागत , मेट्रो और सड़क संपर्क हेतु डीएमआरसी/एनएचएआई को दिए गए अनुदान आदि की लागत को अनुबंधित/प्रदान की गई संरचनाओं की लागत के अनुपात में विभाजित किया गया है, क्योंकि यह पूरी परियोजना के लिए वहन किया गया था और इसका लाभ परियोजना की पूरी अवधि में उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार, जब तक परियोजना चालू नहीं हो जाती, तब तक प्राप्त पूंजी रसीदों (Capital Receipts) को भी अनुबंधित/प्रदान की गई संरचनाओं की लागत के अनुपात में विभाजित किया गया है।

अन्य संबंधित व्यय को विभिन्न परिसंपत्ति समूहों, जैसे कि भवन (सिविल), विद्युत स्थापना (Electrical Installations), संयंत्र और उपकरण (Plant and Equipment), तथा कार्यालय उपकरण (Office Equipment) आदि में, समूह-वार अनुबंधित/प्रदान की गई लागत के अनुपात में विभाजित किया गया है।

नोट 4.2 चालू पूंजीगत कार्य

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
परियोजना प्रगति पर *	**2,301.58**	**3,86,335.24**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वहन/पूंजीकृत किए गए उधारी लागत (Borrowing Cost) की राशि ₹6,899.27 लाख है (पिछले वर्ष ₹6,181.22 लाख), जो कि उधार ली गई राशि पर अर्जित ब्याज ₹65.86 लाख (पिछले वर्ष ₹225.26 लाख) को समायोजित करने के बाद है (नोट संख्या 23 देखें) और सरकार द्वारा गारंटी शुल्क (Government Guarantee Fee) पर चुकाए गए जीएसटी की वापसी के लिए दायर/दावा की गई राशि ₹Nil (पिछले वर्ष ₹286.68 लाख) के समायोजन के बाद है।

पूरा होने के बाद ₹4,60,210.44 लाख की पूंजीगत कार्य प्रगति (Capital Work in Progress) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant, and Equipment) के अंतर्गत पूंजीकृत कर दिया गया है।

(i) चालू पूंजीगत कार्य की गतिविधि

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
प्रारंभिक सकल अग्रेषित राशि	**3,86,335.24**	**2,78,305.11**
जोड़े - वर्ष के दौरान संवर्धन	76,176.79	1,09,341.71
घटाएं- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	(4,60,210.44)	(1,311.58)
सकल अग्रेषित इतिशेष राशि (क)	**2,301.58**	**3,86,335.24**
वर्ष की शुरुआत में संचित परिशोधन	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन/(बट्टे खाते में)	-	-
वर्ष के अंत में में संचित परिशोधन (ख)	-	-
समापन शुद्ध अग्रेषित राशि (क-ख)	**2,301.58**	**3,86,335.24**

*इसमें रसोई उपकरण और फर्नीचर के लिए आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालूकरण (SITC) कार्य शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ii) पूंजीगत कार्य प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू पूंजीगत कार्य	की अवधि के लिए चालू पूंजीकत कार्य में राशि (₹ लाख में)				जोड़ (₹ लाख में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर*	2,123.09	178.49	-	-	**2,301.58**

*रसोई उपकरण और फर्नीचर के एसआईटीसी (SITC) कार्य के लिए सामान्य संबंधित लागत को "1 वर्ष से कम आयु वर्ग" श्रेणी के तहत रिपोर्ट किया गया है।.

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू पूंजीगत कार्य	की अवधि के लिए चालू पूंजीकत कार्य में राशि (₹ लाख में)				जोड़ (₹ लाख में)
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	1,08,030.13	44,418.74	77,209.94	1,56,676.43	**3,86,335.24**

(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति (CWIP) की पूर्णता अनुसूची, जिसकी पूर्णता विलंबित है::
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू पूंजीगत कार्य	में पूरी होने वाली			
	1 वर्ष से कम (₹ लाख में)	1-2 वर्ष (₹ लाख में)	2-3 वर्ष (₹ लाख में)	3 वर्ष से अधिक (₹ लाख में)
प्रगति में परियोजनाएं*	2,301.58	-	-	-

*इसमें रसोई उपकरण और फर्नीचर के लिए आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालूकरण (SITC) कार्य शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

चालू पूंजीगत कार्य	में पूरी होने वाली			
	1 वर्ष से कम (₹ लाख में)	1-2 वर्ष (₹ लाख में)	2-3 वर्ष (₹ लाख में)	3 वर्ष से अधिक (₹ लाख में)
प्रगति में परियोजनाएं	3,86,335.24	-	-	-

नोट 4.3: उपयोग का अधिकार संबंधी परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
उपयोग का अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियां - भूमि का परिचालन पट्टा * #	0.00	0.00

उपयोग अधिकार परिसंपत्तयों की गतिविधी - भूमि का परिचालन पट्टा

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
प्रारंभिक सकल अग्रेषित राशि #	0.00	0.00
जोड़े - वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
घटाएं- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
सकल अग्रेषित इतिशेष राशि (क) #	0.00	0.00
वर्ष की शुरुआत में संचित परिशोधन #	0.00	0.00
वर्ष के दौरान परिशोधन/(बट्टे खाते में) #	0.00	0.00
वर्ष के अंत में में संचित परिशोधन (ख) #	**0.00**	**0.00**
शुद्ध अग्रेषित इतिशेष राशि (क-ख) #	**0.00**	**0.00**

*08 मार्च, 2018 को कंपनी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए सेक्टर-25, द्वारका, नई दिल्ली में 89.5832 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभग के साथ एक पट्टा समझौता किया है। * पट्टा समझौते की तारीख से 99 साल की अवधि के लिए ₹1/- प्रति वर्ष के पट्टे के किराए पर गई है समझौते के अनुसार, पट्टा की पूरी अवधि के लिए ₹99/- का पट्टा किराया वित्त वर्ष 2017-18 में अग्रिम रूप से भुगतान किया है। पट्टा को पक्षों की आपसी सहमति से 99 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

राशि ₹1000 से कम है।

कंपनी ने अल्पकालिक लीज़ (Short-term leases) और निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों (Low-value assets) की लीज़ के लिए लीज़ दायित्व (Lease Liability) को मान्यता नहीं देने का विकल्प चुना है। इन लीज़ से संबंधित व्यय निम्नानुसार है—

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
अल्पकालिक लीज़	72.00	72.00
Total	**72.00**	**72.00**

31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने ऐसी किसी भी लीज़ (पट्टे) के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है।

नोट 5: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	लाइसेंस/कम्पयूटर सॉफ्टवेयर (₹ लाख में)	जोड़ (₹ लाख में)
सकल ब्लॉक		
01 अप्रैल, 2022 को	16.05	16.05
जोड़े - वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को	**16.05**	**16.05**
जोड़े - वर्ष के दौरान संवर्धन	0.10	-
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**16.15**	**16.15**
परिशोधन और क्षति		
01 अप्रैल, 2022 को	16.05	16.05
जोड़े - वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	-	-
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 को	**16.05**	**16.05**
जोड़े - वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	0.03	0.03
घटाएं:- वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**16.08**	**16.08**
शुद्ध बही कीमत		
31 मार्च, 2024 को	**0.07**	**0.07**
31 मार्च, 2023 को	**-**	**-**

नोट 6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:		
प्रतिभूति जमा-डिस्कॉम (ब्याज वहन)	1,606.10	1,606.10
प्रतिभूति जमा-गैस कनेक्शन के लिए	49.96	4.14
जोड़	**1,656.06**	**1,610.24**

नोट 7: स्थगित कर परिसंपत्ति / (दायित्व)

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाले मदों का कर प्रभाव:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं उपयोग अधिकार संपत्ति	-	0.85
कर्मचारी हितलाभ व्यय	7.19	2.32
अवशोषित न किए गए नुकसान / ह्रास	7,642.23	13.93
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति	**7,649.42**	**17.10**
स्थगित कर देयता के घटकों का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं उपयोग अधिकार संपत्ति	(7,627.45)	-
कुल स्थगित कर देयता	**(7,627.45)**	**-**
(शुद्ध स्थगित कर देयता) / परिसंपत्ति	**21.97**	**17.10**

स्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) में गतिविधि

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं उपयोग अधिकार संपत्ति (₹ लाख में)	अवशोषित न होने वाले नुकसान / मूल्यह्रास (₹ लाख में)	कर्मचारी लाभ व्यय (₹ लाख में)	जोड़ (₹ लाख में)
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	**(1.38)**	**(13.93)**	**(1.66)**	**(16.97)**
वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित / (साख प्राप्त)	0.53	-	(0.67)	(0.14)
अन्य समग्र आय में	-	-	0.01	0.01
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**(0.85)**	**(13.93)**	**(2.32)**	**(17.10)**
वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित / (साख प्राप्त)	7,628.30	(7,628.30)	(4.75)	(4.75)
अन्य समग्र आय में	-	-	(0.12)	(0.12)
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**7,627.45**	**(7,642.23)**	**(7.19)**	**(21.97)**

कंपनी चालू वर्ष के व्यावसायिक नुकसान को भविष्य में समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए आगे नहीं ले जा सकती क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, इन व्यावसायिक नुकसानों के लिए वित्तीय विवरणों में कोई स्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई है।

नोट 8: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना गया है:		
जीएसटी क्रेडिट	-	127.83
पूंजी अग्रिम	162.79	-
सुरक्षित:		
पूंजी अग्रिम (ब्याज वहन करने वाले और बैंक गारंटी पर सुरक्षित)	-	4,149.04
जोड़	**162.79**	**4,276.87**

नोट 9: व्यापार प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
अच्छी मानी गई – सुरक्षित	-	-
अच्छी मानी गई – असुरक्षित (आयु निर्धारण अनुसूची के लिए नोट सं. 45 देखें)	1,303.41	-
वे व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्तियां – ऋण ह्रासग्रस्त	-	-
अचालित बकाया	27.42	-
जोड़	**1,330.83**	**-**

नोट 10: रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
चालू रोकड़ और बैंक शेष		
(i) चालू खाते में	7,703.09	89.29
(ii) बैंक के जमा खातों में शेष जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से कम की है	152.33	4,366.85
(iii) आटो स्वीप टर्म डिपोजिट	3.63	4.88
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**7,859.05**	**4,461.02**

नोट 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना गया है:		
बैंक जमाओं पर उपार्जित ब्याज	-	2.46
प्रतिभूति जमा पर अर्जित ब्याज	130.11	19.96
अन्य प्राप्तियां	9.30	-
जोड़	**139.41**	**22.42**

नोट 12: चालू कर परिसंपत्ति / (देयता)

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
आयकर / टीडीएस (वापसी योग्य)	139.39	63.38
जोड़	**139.39**	**63.38**

नोट 13: अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
असुरक्षित, लेकिन अच्छा समझा जाता है:		
जीएसटी क्रेडिट	259.63	-
जीएसटी (वापसी योग्य)	286.68	286.68
स्टॉम्प ड्यूटी (वापसी योग्य)	2.00	2.00
स्टेल डिमांड ड्राफ्ट	1.77	1.77
विविध अग्रिम	5.15	22.36
जोड़	**555.23**	**312.81**

नोट 14: इक्विटी शेयर पूंजी

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
अधिकृत शेयर पूंजी:				
10 रूपए की कीमत वाले इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,00,000.00	5,00,00,00,000	5,00,000.00
निर्गमित शेयर पूंजी:*				
10 रूपए की कीमत वाले इक्विटी शेयर	2,44,24,00,000	2,44,240.00	2,44,24,00,000	2,44,240.00
अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूंजी:				
10 रूपए की कीमत वाले इक्विटी शेयर	2,44,23,90,000	2,44,239.00	2,44,23,90,000	2,44,239.00

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार को "अधिकारों के आधार" पर 29,50,00,000 इक्विटी शेयरों की पेशकश की गई थी। बहरहाल, सरकार ने केवल 29,49,90,000 इक्विटी शेयरों को अभिदत्त किया था। भारत सरकार द्वारा अभिदत्त नहीं किए गए शेयरों में 10 रुपये की कीमत वाले 10,000 इक्विटी शेयर थे, जो 1,00,000 रुपये की राशि थी।

(ख) कंपनी के पास 10/- रुपए सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक धारित प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

ग) अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
वर्ष की शुरूआत में शेष	2,44,23,90,000	2,44,239.00	2,19,68,10,000	2,19,681.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	24,55,80,000	24,558.00
वर्ष के अंत में शेष	**2,44,23,90,000**	**2,44,239.00**	**2,44,23,90,000.00**	**2,44,239.00**

(घ) कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता %	शेयरों की संख्या	धारिता %
भारत के माननीय राष्ट्रपति (सचिव, वाणिज्य संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और इनके नामितो द्वारा)	2,44,23,90,000	100.00%	2,44,23,90,000	100.00%

(ङ) रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पूर्व पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में पूरी तरह से चुकता किए गए जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	लाखों में संख्या	लाखों में संख्या	लाखों में संख्या	लाखों में संख्या	लाखों में संख्या
बोनस के रूप में जारी किए गए शेयर	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-

(च) प्रवर्तकों की शेयरधारिताः

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		% Change during the year
	शेयरों की संख्या	% of total shares	शेयरों की संख्या	% of total shares	
भारत के माननीय राष्ट्रपति (सचिव, वाणिज्य संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और इनके नामितो द्वारा)	2,44,23,90,000	100%	2,44,23,90,000	100%	Nil

नोट 15: अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
(क) आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि		
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़े: अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
घटाएं: जारी किए गए शेयर	-	-
इतिशेष	**-**	**-**
(ख) आरक्षित और अधिशेष*		
प्रतिधारित आमदनी		
प्रारंभिक शेष	**1,179.09**	**1,147.46**
लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव	-	0.60
अवधि के दौरान जोड़ना	(27,116.54)	31.02
अन्य समग्र आय	(0.36)	0.01
इतिशेष	**(25,937.81)**	**1,179.09**
जोड़ (क+ख)	**(25,937.81)**	**1,179.09**

***आरक्षित और अधिशेष का स्वभाव और उद्देश्य:**
प्रतिधारित आमदनी कंपनी के अविभाजित लाभों का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 16: ऋण

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
सुरक्षित		
टर्म लोन *	2,14,182.24	1,34,584.72
जोड़	**2,14,182.24**	**1,34,584.72**

* ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। कंपनी ने रुपे टर्म लोन प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ निम्नलिखित व्यवस्था की है:-

मियादी ऋण की स्वीकृत राशि- ₹ 2,15,016.00 Lakhs

प्रतिभूति विवरण :

परियोजना के चरण-1 की सभी चल और अचल संपत्तियों पर प्रथम रैंकिंग आधारित परी-पासु प्रभार द्वारा ऋण सुरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण राशि का 80% या ₹138100.00 लाख, जो भी कम हो, सुरक्षित करने के लिए ₹138100.00 लाख की सरकारी गारंटी दी गई है।

पुनर्भुगतान की शर्तें:

पुनर्भुगतान अवधि 17 वर्ष। पहली तिमाही पुनर्भुगतान किस्त 31.05.2025 को देय होगी।

नोट 17: प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	4.20	6.17
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	2.44	2.63
प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति- अर्जित अवकाश और आधा वेतन अवकाश	6.80	13.38
जोड़	**13.44**	**22.18**

नोट 18: व्यापार देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
छोटे उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों के कुल बकाया देनदारियाँ (आयु वर्ग के लिए नोट संख्या 45 देखें।)	-	-
छोटे उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया ऋण (आयु वर्ग के लिए नोट संख्या 45 देखें।)	-	-
जोड़	**-**	**-**

18.1 एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को व्यापार देयों के ब्यौरें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित कोई सूक्ष्म और लघु व्यवसाय उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी ब्याज सहित मूल राशि के मद में बकाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में उपर्युक्त सूचना का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों की पहचान की गई है।

नोट 19: अन्य चालू वित्तीय दायिताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
जमा/प्रतिधारित राशि	18,497.36	1,774.26
पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार	2,058.82	14,459.68
पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य व्यय के लिए लेनदार	663.88	8.12
उपार्जित व्यय	175.56	73.99
ऋणों पर देय ब्याज - एसबीआई से अवधि ऋण	1,500.92	30.60
कर्मचारियों से संबंधित देनदारियाँ	4.65	1.17
जोड़	**22,901.19**	**16,347.82**

नोट 20: प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति- अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश	10.15	0.87
ग्रेच्युटी	4.07	0.11
जोड़	**14.22**	**0.98**

नोट 21: अन्य चालू दायिताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
सांविधिक बकाए		
देय कर (आयकर के अलावा)	104.80	663.83
देय श्रम उपकर	1.68	61.77
करों पर देय ब्याज	0.29	-
ईपीएफ/एनपीएस देय	1.02	-
जोड़	**107.79**	**725.60**

नोट 22: संचालन से राजस्व

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
लाइसेंस शुल्क (नोट संख्या 39 देखें)	777.24	-
जोड़	**777.24**	**-**

नोट 23: अन्य आय

विवरण		वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
ब्याज आय			
बैंकों से ब्याज आय		94.03	197.50
उधार लिए गए फंड पर बैंक से ब्याज आय		65.86	225.26
ठेकेदार/अन्य को अग्रिम पर ब्याज		333.10	1,064.14
प्रतिभूति जमा पर ब्याज		136.52	22.18
आयकर रिफंड पर ब्याज		2.54	-
अन्य गैर परिचालन आय			
गैर परिचालन आय*	157.70		
घटाएं:- सीधे संबंधित खर्च	(157.70)	-	-
अन्य विविध आय		8.25	-
		640.30	**1,509.08**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरण		467.41	1,311.58
जोड़		**172.89**	**197.50**

*कंपनी के सलाहकार द्वारा दूसरी सरकारी इकाई को प्रदान की गई सेवाओं का बिल कंपनी के माध्यम से किया गया। चूंकि कंपनी ने इन लेन-देन पर कोई मर्कअप नहीं लगाया, इसलिए इन्हें "अन्य गैर-ऑपरेटिंग राजस्व" के तहत नेट आधार पर रिपोर्ट किया गया है।

नोट 24: कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
वेतन और मजदूरी	44.09	47.16
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में योगदान	5.38	6.97
अर्जित अवकाश और आधे वेतन अवकाश व्यय के लिए योगदान*	5.93	3.47
ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए योगदान*	1.38	2.55
जोड़	**56.78**	**60.15**

* अर्जित अवकाश और आधे वेतन अवकाश व्यय के लिए योगदान में ₹ 5.83 लाख का अवकाश नकदीकरण प्रावधान शामिल है, जो नियमित कर्मचारियों के लिए एक्चुरी मूल्यांकन के अनुसार है, और ₹ 0.10 लाख का योगदान, जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति सेवा योगदान के लिए है। ग्रेच्युटी और सुपरएन्नुएशन चिकित्सा लाभों के लिए योगदान में नियमित कर्मचारियों के लिए ₹1.31 लाख का वर्तमान वर्ष व्यय शामिल है (₹1.79 लाख में से ₹ 0.48 लाख अन्य समग्र आय में पहचाना गया) और प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारी के लिए ₹ 0.07 लाख शामिल है।

नोट 25: वित्तीय लागत

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
टर्म लोन पर ब्याज	8,051.74	-
सरकारी गारंटी शुल्क	673.08	-
अन्य उधारी लागत	6.28	
आयकर पर ब्याज	-	0.78
जोड़	**8,731.10**	**0.78**

नोट 26: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	18,857.86	0.17
परिशोधन - उपयोग का अधिकार संबंधी परिसंपत्तियां #	-	-
परिशोधन – अमूर्त परिसंपत्तियां	0.03	-
जोड़	**18,857.89**	**0.17**

धनराशि ₹1000 से कम है

नोट 27: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
सीएसआर खर्च	1.73	6.86
जोड़	**1.73**	**6.86**

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
I कंपनी द्वारा खर्च किए जाने की आवश्यकता वाली कुल राशि		
वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली राशि	1.73	6.86
खर्च करने के लिए आवश्यक कुल राशि	**1.73**	**6.86**
II बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए स्वीकृत राशि	**1.73**	**6.86**

III क. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद (₹ में लाखों)**	**अभी नकद में भुगतान किया जाना बाकी है (₹ लाखों में)**	**जोड़ (₹ लाख में)**
i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	1.73	-	**1.73**

III ख. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	**नकद (₹ में लाखों)**	**अभी नकद में भुगतान किया जाना बाकी है (₹ लाखों में)**	**जोड़ (₹ लाख में)**
i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	6.86	-	**6.86**
IV संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण		**लागू नहीं**	
V वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था		**लागू नहीं**	
VI क) 31 मार्च 2024 के अंत में कमी की राशि		**लागू नहीं**	
ख) पिछले वर्षों की कमी की कुल राशि;			
ग) ऊपर बताए गए कमियों का कारण एक नोट के माध्यम से			
VII सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति			
"स्वच्छ भारत कोष" में योगदान		**1.73**	**6.86**

नोट 28: अन्य खर्चे

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (नोट- 36 देखें)	1.00	1.00
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.50	-
सचिवीय ऑडिट शुल्क	0.30	0.22
सेवानिवृत्ति लाभ योजना का प्रशासनिक व्यय	0.15	0.19
बैंक शुल्क	0.01	0.01
आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की लागत	0.52	5.21
बैठक और सम्मेलन व्यय	0.07	0.02
पेशेवर और फाइलिंग शुल्क	6.79	1.00
प्रिंटिंग और स्टेशनरी व्यय	0.98	0.31
मूल्यांकन समिति शुल्क	2.70	-
किराया और ओवरहेड्स	72.00	72.00
सुरक्षा सेवाएँ व्यय	22.41	-
करों पर ब्याज	4.32	-
जल और सीवरेज बिलों पर देर से भुगतान सेवा शुल्क	1.00	
वाहन किराए के शुल्क	12.36	4.35
ज्ञान भागीदार शुल्क	250.00	-
प्रतिपूर्ति योग्य बिजली बिल	23.88	-
विज्ञापन खर्च	10.42	-
मध्यस्थता शुल्क	9.53	-
इंटरनेट लीज़ लाइन शुल्क	0.40	-
वेबसाइट संचालन और रखरखाव व्यय	0.99	-
विविध खर्चे	1.59	0.85
जोड़	**423.92**	**85.16**

नोट 29: निर्माण के दौरान व्यय (शुद्ध)

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए (₹ लाख में)	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2023 के लिए (₹ लाख में)
(क) अन्य खर्चे		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	76,176.79	46,080.74
	76,176.79	**46,080.74**
(ख) घटा: अन्य आय से स्थानांतरण	467.41	1,311.58
जोड़ (क-ख)	**75,709.38**	**44,769.16**

नोट 30: संबंधित पार्टी प्रकटन
क. संबंधित पार्टिया और उनके संबंध

(i). सरकारी संस्थाएं
कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो इसके सभी शेयरों का स्वामित्व रखती है (नोट 13 देखें)। आई. एन. डी. ए. एस. 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, वे संस्थाएँ जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तब रिपोर्टिंग संस्था और अन्य संस्थाएँ संबंधित पक्ष के रूप में मानी जाएँगी। कंपनी ने सरकारी संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं। ऐसी संस्थाएँ, जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन हैं, उनमें शामिल हैं, लेकिन तक सीमित नहीं हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एनआईसीएसआई) आदि शामिल हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP)

सरकारी गैर-कार्यकारी निदेशकः
1. श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (अध्यक्ष) (20 अप्रैल, 2023 से)।
2. श्री अनुराग जैन, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (अध्यक्ष) (21 अप्रैल, 2023 तक)।
3. डॉ. टी.वी. सोमानाथन, सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
4. श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामलों विभाग, वित्त मंत्रालय।
5. श्री बी. वी. आर. सुब्रहमण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग (20 फरवरी, 2023 से)।
6. श्री राजीव सिंह ठाकुर, विशेष सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (14 सितंबर, 2023 से)।
7. श्रीमती आरती भटनागर, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (14 फरवरी, 2023 से)।
8. श्री सुरेन्द्र कुमार बागडे, अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों मंत्रालय (23 मार्च, 2023 से)।

पदाधिकारीः
1. श्री बालमुरुगन देवराज, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (11 अक्टूबर, 2023 से)।
2. श्रीमती सुमिता दावरा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (10 अक्टूबर, 2023 तक)।
3. श्री निखिल जैन, प्रबंधक (एफ) और सीएफओ
4. श्रीमती नेहा धेमन, कंपनी सचिव (29 मई, 2024 तक)।

ख. अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कारोबार

संबंधित पार्टी का नाम	कारोबार की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एन. आई. सी. डी. सी.)	ज्ञान साझेदार शुल्क (करों सहित)	590.00	590.00
	किराया और ओवरहेड्स (करों सहित)	84.96	84.96
	व्यय का प्रतिपूषण (करों सहित)	9.33	-
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)	लोगो डिज़ाइन शुल्क (करों सहित)	2.83	3.78
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)	एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए अनुदान	250.91	16,900.00
	वर्ष के दौरान डीएमआरसी द्वारा लौटाया गया अनुदान		18,300.00
	डीएमआरसी की ओर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य	684.42	299.85
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भारत सरकार-सरकार गारंटी शुल्क	1,346.15	597.31
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (एनआईसीएसआई)	डेटा सेंटर सेवाओं के लिए शुल्क	0.91	-

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक (केएमपी):

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	42.80	47.16
सेवानिवृत्ति लाभ	1.80	2.53
अन्य दीर्घकालिक लाभ	8.05	6.97

(घ) बकाया शेष

विवरण	कारोबार की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एन. आई. सी. डी. सी.)-देय	ज्ञान साझेदार फीस और किराया और ओवरहेड देय	190.82	273.98
सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद	पेशेवर शुल्क देय	35.35	35.35
	प्रतिभूति जमा	25.00	25.00
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (एनआईसीएसआई)	डेटा सेंटर सेवाओं के लिए देय	-	0.48
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)	डीएमआरसी) की ओर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य से संबंधित	77.12	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक (केएमपी)	पारिश्रमिक देय	0.60	1.17

नोट 31: प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(27,116.54)	31.02
आधार आमदनी प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या (संख्या में)	2,44,23,90,000.00	2,44,23,90,000.00
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00
आधार आमदनी प्रति शेयर (₹ में)	**(1.110)**	**0.001**
तनुकृत आमदनी प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या (संख्या में)	2,44,23,90,000.00	2,44,23,90,000.00
तनुकृत आमदनी प्रति शेयर (₹ में)	**(1.110)**	**0.001**

तनुकृत आमदनी प्रति शेयर की गणना के उद्देश्य से भारित इक्विटी शेयरों की संख्या, आधार आमदनी प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से इस प्रकार मेल खाती है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
आधार आमदनी प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या में)	2,44,23,90,000.00	2,44,23,90,000.00
तनुकृत का प्रभाव:		
शेयर विकल्प		
तनुकृत आमदनी प्रति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या में)	**2,44,23,90,000.00**	**2,44,23,90,000.00**

नोट 32: आयकर खर्च

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
वर्तमान आयकर		
वर्तमान आयकर शुल्क	-	13.50
स्थगित कर देयता / (संपत्ति)		
अस्थायी अंतर के संदर्भ में	(4.87)	(0.13)
जोड़	**(4.87)**	**13.37**

कर व्यय और लेखांकन लाभ का भारत की कर दर से गुणा का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(27,121.29)	44.40
लागू कर दरों पर कर	-	11.38
व्ययों का कर प्रभाव जो कर योग्य लाभ निश्चित करते समय अस्वीकार्य हो जाते हैं		
आयकर अधिनियम के तहत अमान्य व्यय	-	1.99
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए कुल कर व्यय	**-**	**13.37**

नोट 33: अन्य समग्र आय

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
ग्रेच्युटी का पुनःमूल्यांकन	(0.48)	0.02
ग्रेच्युटी के पुनःमूल्यांकन पर कर	0.12	(0.01)
जोड़	**(0.36)**	**0.01**

नोट 34: आकस्मिक दायिताएं और वचनबद्धताएं

(क) आकस्मिक दायिता

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
एसडीएमसी द्वारा की गई संपत्ति कर / सेवा शुल्क मांग*	2,564.64	1,043.57

*दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा सेक्टर-25, द्वारका में स्थित 89.58 हेक्टेयर भूमि पर खाली भूमि कर / सेवा शुल्क की मांग की जा रही है। इस भूमि पर खाली भूमि कर / सेवा शुल्क की लागूता का मामला आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को भेजा गया है। एमओएचयूए के साथ परामर्श करने के बाद, कंपनी ने 08.03.2018 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए 33.33% सेवा शुल्क ₹175.75 लाख की राशि का भुगतान विरोध स्वरूप किया। इस संबंध में एमओएचयूए से 01.04.2021 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए कोई और सलाह नहीं मिली है। अब तक जमा की गई राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया गया है।

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण की पूरक ऑडिट के दौरान, उपरोक्त मामला ऑडिट में महत्वपूर्ण माना गया और कंपनी को इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान करने की सलाह दी गई। इसके अनुसार, कंपनी ने इस मुद्दे पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की राय ली। EAC की राय लेखांकन उपचार पर निम्नलिखित है:-

"यह संगठन के प्रबंधन के लिए उस निर्णय का प्रयोग करना है और ऑडिटर के लिए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन करना है, सभी उपलब्ध साक्ष्य /तत्वों को रिपोर्टिंग तिथि पर (इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद के घटनाओं द्वारा प्रदान किए गए कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी शामिल हैं) ध्यान में रखते हुए। इसलिए, वर्तमान मामले में, कंपनी को सभी तथ्यों और परिस्थितियों का और रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सभी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, उदाहरण के लिए, विशेषज्ञों की कानूनी राय, कंपनी का अनुभव या अन्य संगठनों का अनुभव समान मामलों में, उचित प्राधिकरणों के निर्णय (जैसे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो संघीय संपत्तियों पर सेवा शुल्क की लागूता को वैध करता है, इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा इस SC आदेश को लागू करने के लिए जारी निर्देश), एसडीएमसी को विरोध स्वरूप आंशिक मांग का भुगतान करने की स्थिति, एमओएचयूए के साथ चर्चा के बाद, आदि और रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं द्वारा प्रदान किए गए कोई अतिरिक्त साक्ष्य, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह अधिक संभावना है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं।

इस प्रकार, उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक वर्तमान दायित्व मौजूद होने की संभावना अधिक है, तो कंपनी को एक प्रावधान मान्यता प्राप्त करना चाहिए (यदि मान्यता की शर्तें पूरी होती हैं) और जहां यह अधिक संभावना है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई वर्तमान दायित्व नहीं है, तो कंपनी को एक आकस्मिक दायिता का खुलासा करना चाहिए, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना, जो आर्थिक लाभों को शामिल करती है, दूर न हो, जैसा कि Ind AS 37 की आवश्यकताओं के अनुसार।."

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी का सेवा शुल्क / संपत्ति कर के प्रति दायित्व अस्थिर है और इस दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान यदि कोई हो, तो तिथि के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, IND AS के पैरा 14 के अनुसार, इस संबंध में प्रावधान की मान्यता की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने एसडीएमसी द्वारा की गई संपत्ति कर / सेवा शुल्क मांग के विवादित मामले पर कानूनी मामलों के विभाग से राय प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है। कानूनी मामलों के विभाग से राय प्राप्त होने तक, शेष मांग राशि को IND AS 37 के अनुसार आकस्मिक दायिता के रूप में दर्शाया गया है। कानूनी मामलों के विभाग की राय का प्रभाव, यदि कोई हो, तो राय प्राप्त होने पर लिया जाएगा। वर्तमान में, राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) विधायी मामले - 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बिना वित्तीय फलितार्थ के साथ कंपनी के विरूद्ध दर्ज कानूनी मामूलों की स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी का ब्यौरा	मामले का ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	9405/2022	श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर एवं अन्य	श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे बनाम आईआईसीईसीएल और अन्य। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित है।	आदेश दिनांक 29.11.2022 के अनुसार, डीडीए ने अदालत को सूचित किया कि 21.07.2022 के आदेश के अनुपालन में सड़क निर्माण का शेष लंबित कार्य दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अनुसार, डीडीए को 21.07.2022 के आदेश के अनुपालन के लिए 2 महीने का विस्तार दिया गया। मामला अगले समय 23.03.2023, 11.10.2023, 06.12.2023, 02.02.2024, 29.05.2024 और 21.11.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि, समय की कमी के कारण इसे लिया नहीं जा सका। अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी, 2025 है।

(ग) ठेकेदार के साथ विवाद
भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र (IICC) के विस्तृत डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशन के लिए एक अनुबंध, जो कि सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में EPC आधार पर ₹2,79,100 लाख की कीमत पर निष्पादित किया गया था, भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र लिमिटेड (IICCL) और M/s लार्सन और टूब्रो (L&T) के बीच 30 जनवरी 2018 को हुआ। मूल निर्धारित पूर्णता तिथि 20 अक्टूबर 2019 थी। हालाँकि, ठेकेदार ने कार्य को पूर्णता तिथि के भीतर या यहां तक कि विस्तारित पूर्णता तिथियों तक पूरा करने में विफल रहा। इस अनुबंध के संबंध में पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिसमें दायरे में परिवर्तन, EOT और विस्तार लागत, देरी के नुकसान, विलंबित भुगतान पर ब्याज, GST से संबंधित मुद्दे और ठेकेदार द्वारा COVID-19 महामारी सहित विभिन्न कारणों से अतिरिक्त लागत शामिल हैं, जो अब मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास संदर्भित किए गए हैं। M/s L&T ने ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर ₹ 3,21,362.22 लाख के पुरस्कार की मांग करते हुए एक दावा पत्र प्रस्तुत किया है। इसके जवाब में IICCL ने ठेकेदार के दावे का खंडन करते हुए अपनी रक्षा का बयान (SOD) प्रस्तुत किया है और इसके अतिरिक्त, नकारात्मक दायरे के परिवर्तन के कारण ₹ 77,630.21 लाख की एक प्रतिकर दावा भी प्रस्तुत किया गया है, ₹ 27,910 लाख की राशि के लिए तरलित हर्जाना (LD) और ₹ 27,910 लाख की राशि के लिए देरी के हर्जाने के साथ-साथ संबंधित ब्याज और मध्यस्थता की लागत शामिल है। यह रक्षा का बयान और प्रतिकर दावा 15.11.2024 को दायर किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 02.02.2025 है। L&T द्वारा उठाए गए विवादों के संबंध में कंपनी की कोई जिम्मेदारी विवाद समाधान प्रक्रिया के परिणाम के अनुसार प्रदान की जाएगी जो अनुबंध में परिभाषित है। तदनुसार, L&T के दावों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(घ) वचनबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
ठेकों की अनुमानित राशि जिन्हें निष्पादित किया जाना शेष है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
पूंजी लेखा	1,451.73	93,236.64

(ङ) अन्य वचनबद्धताएं

(i) परियोजना के चरण-1 की कुल स्वीकृत लागत ₹5,40,100.00 लाख (पिछले वर्ष- ₹5,40,100.00 लाख) है, जिसमें ₹19,700.00 लाख का वित्तीय लागत शामिल है।

(ii) कुल स्वीकृत लागत में से, ₹44,238.75 लाख का अनुदान NHAI को परियोजना स्थल तक सड़क कनेक्टिविटी के विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। ₹35,488.75 लाख की भुगतान NHAI को उसी द्वारा उपयोग किए जाने के आधार पर की गई है, जिसे पूंजीकरण किया गया है (नोट संख्या 4.1 को देखें)। शेष ₹8,750.00 लाख राशि उपरोक्त अनुमानित अनुबंधों के अतिरिक्त है, जो शेष कार्यों को निष्पादित किया जाना है और जिसे पूंजी खाता पर प्रदान नहीं किया गया है।

(iii) 30 जनवरी 2018 को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (L&T) के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के विस्तृत डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था, जो सेक्टर 25, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है। मूल उद्धृत मूल्य ₹2,79,100 लाख था। इसके बाद, कार्य के दायरे में परिवर्तन के कारण ₹15,407.16 लाख (₹15,766.00 लाख अतिरिक्त लागत के लिए और ₹358.84 लाख लागत में कटौती के लिए) मार्च 31, 2024 तक जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, नकारात्मक लागत वाले परिवर्तन आदेशों की कुल राशि ₹776.30 करोड़ है, जो वर्तमान में विवादित हैं। इन विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitration Tribunal) को भेजा गया है, जिससे प्रभावी अनुबंध मूल्य का निर्धारण करना असंभव हो गया है। परिणामस्वरूप, अनुबंधों के शेष निष्पादित किए जाने का अनुमानित मूल्य, जो पूंजी खाता में प्रदान नहीं किया गया है, इसमें L&T के साथ EPC अनुबंध के अननिष्ठित हिस्से को बाहर रखा गया है।

नोट 35: लाभांश

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी ई पी ए एम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने का.ज्ञा.सं.-5/2/2016 दिनांक 27 मई, 2016 के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी पीए स ई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देश जारी किए है। दिशा-निदेशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम लाभांश की अनुमति के अधीन कर पूर्व लाभ का 30 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा शुद्ध मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिकतम हो, का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डी पीआईआ ई टी) के माध्यम से कंपनी ने उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट की मांग करते हुए दीपम को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डी ई पी ए एम ने अपने का.ज्ञा.सं. -F.No.4(30)(1)/2018-DIPAM-I दिनांक 2 मार्च, 2023 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट की की मंजूरी दे दी है।। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नोट 36: सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
(क) लेखापरीक्षक*	1.00	1.00
(ख) कर मामलों के लिए*	-	-
(ग) कंपनी कानून मामलों के लिए *	-	-
(घ) अन्य सेवाओं के लिए*	-	-
(ङ) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए*	-	-
जोड़	**1.00**	**1.00**

***जीएसटी को छोड़कर**

नोट 37: खंड रिपोर्टिंग

कंपनी द्वारका, नई दिल्ली में प्रदर्शनी-संयुक्त सम्मेलन केंद्र के क्रियान्वयन और विकास में संलग्न है। लेखा मानक 108 'सेगमेंट सूचना' के संदर्भ में, यह एकमात्र रिपोर्टेबल सेगमेंट को प्रदर्शित करता है। लाभ और हानि के विवरण के अनुसार राजस्व, कुल खर्च और शुद्ध लाभ, एकमात्र रिपोर्टेबल सेगमेंट के राजस्व, कुल खर्च और शुद्ध लाभ को दर्शाते हैं।

मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (CODM) ने केवल एक संचालन सेगमेंट की पहचान की है, इसलिये कोई अलग से खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 38: कर्मचारी लाभ

38.1 सेवानिवृत्ति लाभ
रोज़गार के बाद के लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति जो लाभ और हानि के विवरण और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है, वे हैं:-

(क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
बाध्यता का प्रारंभिक वर्तमान मूल्य	6.28	14.25	4.55	10.77
ब्याज लागत	0.47	1.07	0.34	0.79
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	1.04	3.67	1.41	3.21
भुगतान किए गए लाभ	-	(3.13)	-	-
बाध्यताओं पर अक्चुरियल हानि/(लाभ)	0.48	1.09	(0.02)	(0.52)
बाध्यताओं की समापन वर्तमान मूल्य	**8.27**	**16.95**	**6.28**	**14.25**

(ख) योजना संपत्ति के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	-	-	-	-
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-	-	-
नियोक्ता का योगदान	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-
बाध्यताओं पर अक्चुरियल हानि/(लाभ)	-	-	-	-
योजना संपत्तियों का समापन उचित मूल्य	**-**	**-**	**-**	**-**

(ग) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	8.27	16.95	6.28	14.25
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
अनुदानित स्थिति	(8.27)	(16.95)	(6.28)	(14.25)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देनदारी	**8.27**	**16.95**	**6.28**	**14.25**

(घ) लाभ और हानि खाता के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	1.04	3.67	1.41	3.21
ब्याज लागत	0.47	1.07	0.33	0.79
अवधि में मानक अधिशेष (लाभ)/हानि को मान्यता दी गई	-	1.09	-	(0.52)
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**1.51**	**5.83**	**1.74**	**3.47**

(ङ) अन्य समग्र आय में पुनः मापने की मान्यता (लाभ)/हानि

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
योजना संपत्तियों के पुनः माप	-	-	-	-
दायित्वों के पुनः माप	0.48	-	(0.02)	-
अन्य समग्र आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ)/हानि	**0.48**	**-**	**(0.02)**	**-**

(च) वर्ष के अंत में PBO का विभाजन वर्तमान और गैर-वर्तमान में

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
वर्तमान देनदारी (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4.07	10.15	0.11	0.87
गैर-वर्तमान देनदारी (एक वर्ष से अधिक के लिए देय राशि)	4.20	6.80	6.17	13.38
वर्ष के अंत में कुल PBO	**8.27**	**16.95**	**6.28**	**14.25**

(छ) अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

विवरण	31 मार्च 2024 तक (₹ लाख में)		31 मार्च 2023 तक (₹ लाख में)	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
सेवा लागत	0.85	1.54	1.50	3.41
सकल ब्याज लागत	0.60	1.22	0.47	1.07
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित खर्च	**1.45**	**2.76**	**1.97**	**4.48**

(ज) प्रमुख अदायगी संबंधी अनुमान जिसे भारित औसत के रूप में व्यक्त किया गया है

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)	ग्रेच्युटी (अवित्तीय)	अवकाश नकदकरण (अवित्तीय)
छूट दर	7.22%	7.22%	7.50%	7.50%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
प्रयोग की गई विधि	प्रक्षिप्त यूनिट क्रेडिट (PUC)			

(झ) संवेदनशीलता विश्लेषण
ऊपर दी गई संवेदनशीलता विश्लेषण एक अनुमान में परिवर्तन पर आधारित है, जबकि सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखा गया है। वास्तविकता में, ऐसा होना शायद ही संभव है, और कुछ अनुमानों में परिवर्तन आपस में संबंधित हो सकते हैं। परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण अदायगी संबंधी अनुमानों के प्रति गणना करते समय वही विधि (प्रक्षिप्त यूनिट क्रेडिट विधि) लागू की गई है, जो वित्तीय स्थिति विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय उपयोग की गई थी।

(₹ लाखों में)

में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	ग्रेच्युटी दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव
छूट दर	+0.50%	(0.30)	(0.53)
	-0.50%	0.33	0.58
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	0.11	0.58
	-0.50%	(0.18)	(0.53)

(ञ) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल **(₹ लाखों में)**

क्र.सं.	वर्ष	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदकरण
क)	0 to 1 वर्ष	4.07	10.15
ख)	1 to 2 वर्ष	0.13	0.22
ग)	2 to 3 वर्ष	0.13	0.21
घ)	3 to 4 वर्ष	0.13	0.21
ङ)	4 to 5 वर्ष	0.12	0.20
च)	5 to 6 वर्ष	0.12	0.19
छ)	6 वर्ष से आगे	3.57	5.77

नोट 39: इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" का प्रकटीकरण

व्यवस्था की प्रकृति
कंपनी ने M/S काइनक्सिन कन्वेंशन और प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को संचालित और प्रबंधित करने के लिए 20 वर्षों की अवधि के लिए संचालन सेवा समझौता किया है, जो वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की तारीख से प्रभावी है। ऑपरेटर ने 1 अक्टूबर, 2023 से वाणिज्यिक संचालन शुरू किया।

ऑपरेटर के पास संचालन सेवा समझौते में निर्धारित कार्य के दायरे को करने का अधिकार है ("संचालन सेवाएँ"), जिसमें संचालन अवधि के लिए परियोजना को संचालित और प्रबंधित करने का विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण शामिल है। ऑपरेटर सभी राजस्व, सभी धन और परियोजना से संबंधित किसी भी अन्य राजस्व, जिसमें बीमा दावों की आय शामिल है, को जमा करेगा या जमा करने का कारण बनेगा।

ऑपरेटर, वाणिज्यिक संचालन तिथि से शुरू होकर, प्रत्येक अनुबंध वर्ष के संबंध में कंपनी को एक राशि ("वार्षिक लाइसेंस शुल्क") का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित में से अधिकतम है: (क) समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा ("राजस्व शेयर"), जैसा कि उद्धृत किया गया है; और (ख) न्यूनतम वार्षिक सुनिश्चित राशि। न्यूनतम सुनिश्चित राशि छठे वर्ष से लागू होती है।

कंपनी की कुछ जिम्मेदारियाँ ऑपरेटर के प्रति अवसंरचना सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऐसी दरों पर हैं ताकि उसे उक्त सेवाएँ प्रदान करने में हुए अधिग्रहण, संचालन और प्रशासनिक खर्चों को कवर किया जा सके। अवसंरचना सेवाओं के लिए सेवा स्तर समझौतों पर चर्चा और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जो ऑपरेटर के साथ संचालन सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार है।

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि के आधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है, जो कि इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार है। कंपनी ऑपरेटर के सीधे खर्चों को नहीं उठाती है, बल्कि शुद्ध आधार पर राजस्व को रिकॉर्ड करती है।

ऑपरेटर ने कैटरिंग, खाद्य और पेय सेवाओं से संबंधित दायित्वों के लिए तीसरे पक्ष को शामिल किया है। ऑपरेटर और तीसरे पक्ष के बीच सहमति से बना राजस्व मॉडल कंपनी द्वारा आपत्ति की गई है क्योंकि यह कंपनी की व्याख्या के अनुसार संचालन सेवा समझौते की धाराओं का उल्लंघन करता है और इस पर चर्चा चल रही है। यदि राजस्व पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो इसे उस वर्ष में लिया जाएगा जब इसका निर्णय लिया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं, बिजली, पानी और सीवरेज शुल्कों के लिए पुनर्भुगतान के सेवा स्तर समझौतों के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अन्य लागतें अभी तक अंतिम रूप नहीं दी गई हैं और इसलिए पुनर्भुगतान योग्य खर्चों को नोट संख्या 28 के तहत "अन्य खर्चों" के अंतर्गत समायोजित किया गया है और यह पुष्टि के अधीन है।

राजस्व का विभाजन

विवरण	**31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)**	**31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)**
लाइसेंस शुल्क*	777.24	-
जोड़	**777.24**	**-**

*कंपनी को प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र से संचालक द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व में से अनुमत वास्तविक खर्चों की कटौती के बाद लाइसेंस शुल्क के रूप में अपना राजस्व प्राप्त होता है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
समय के एक बिंदु पर	-	-
समय के साथ	777.24	-
जोड़	**777.24**	**-**

संविदा शेष

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
व्यापारिक प्राप्तियां	1,303.41	-
संविदा संपत्तियाँ	27.42	-
संविदा देयताएँ	-	-

संविदा संपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
वर्ष की शुरुआत में संविदा संपत्ति	-	-
संविदा संपत्ति से व्यापारिक प्राप्तियां में हस्तांतरण और वर्ष के दौरान संविदा संपत्तियों में वृद्धि।	27.42	-
वर्ष के अंत में संविदा संपत्ति	**27.42**	-

संविदा देयताएँ

विवरण	31 मार्च, 2024 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)
वर्ष की शुरुआत में संविदा देयता	-	-
संविदा देयताओं से राजस्व में हस्तांतरण और प्रगति के माप में बदलाव के परिणामस्वरूप वृद्धि	-	-
वर्ष के अंत में संविदा देयता	-	-

नोट 40: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में जारी शेयर पूंजी, भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में प्रतिधारित आय शामिल हैं।

नोट 41: वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को				31 मार्च, 2023 को			
	अग्रेषित मूल्य	परिशोधित लागत	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य	लाभ एवं हानि द्वारा उचित कीमत	अग्रेषित मूल्य	परिशोधित लागत	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य	लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:								
गैर-चालू परिसंपत्तियां								
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,656.06	1,656.06	-	-	1,610.24	1,610.24	-	-
चालू परिसंपत्तियां								
व्यापारिक प्राप्तियां	1,330.83	1,330.83	-	-	-	-	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	7,859.05	7,859.05	-	-	4,461.02	4,461.02	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	139.41	139.41	-	-	22.42	22.42	-	
वित्तीय दायिताएं:								
ऋण	2,14,182.24	2,14,182.24	-	-	1,34,584.72	1,34,584.72		
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय दायिताएं	22,901.19	22,901.19	-	-	16,347.82	16,347.82	-	-

प्रबंधन ने आकलन किया है कि व्यापार देय, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तिओं और दायिताओं का उचित मूल्य उनकी अग्रेषित के आस-पास है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियों में वित्तीय संस्थान से टर्म लोन, व्यापार और अन्य देनदारियाँ शामिल हैं। कंपनी की मुख्य वित्तीय संपत्तियों में प्राप्तियाँ और रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य शामिल हैं। कंपनी की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों,बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम के प्रति उजागर करती हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि वित्तीय उपकरणों के भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार कीमतों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय उपकरणों में व्यापार देनदारियां शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि वित्तीय उपकरणों के भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। कंपनी का बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के जोखिम के प्रति संवेदनशीलता मुख्य रूप से अधिशेष धन के बैंक जमा में निवेश से संबंधित है। इन वित्तीय उपकरणों पर ब्याज दर बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय उपकरणों की अवधि के लिए निश्चित है।

ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को वित्तीय हानि होती है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय उपकरण का प्रतिपक्ष अपनी संविदात्मक बाधाओं को पूरा करने में विफल रहता है, और यह मुख्य रूप से कंपनी के ग्राहकों से प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी बैंकों के साथ जमा और अन्य वित्तीय उपकरणों सहित अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है।

घ) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को उनके पूरा होने पर पूरा नहीं कर सकेगी। इस जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने का प्रयास करती है। तरलता और वित्तपोषण का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन पर होती है।

नोट 42: अन्य नोट्स

बैलेंस शीट तिथि के बाद सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त दी गई है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों की मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्य की समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों की मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशेष मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 43: अतिरिक्त नियामक जानकारी

(i) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की किसी भी नियम या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।.

(ii) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(iv) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 से हटा दिया गया है और प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया गया है, जो कि जब्त की गई कंपनियों से प्राप्य या देय है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर किसी भी बंद कंपनी के पास नहीं हैं।

(v) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।
(vi) कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की किसी योजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।
(vii) कंपनी नियमित रूप से समय पर आय का खुलासा करती है और कर अधिकारियों द्वारा अघोषित आय का आकलन नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो बही-खातों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में प्रस्तुत या प्रकट किया गया हो।
(viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या दृश्य मुद्रा में न तो कारोबार किया है और न ही निवेश किया है।

(ix) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(x) कंपनी के पास ऐसी कोई लेन-देन नहीं है जहाँ कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधारी का उपयोग उस विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया हो, जिसके लिए इसे बैलेंस शीट तिथि पर लिया गया था।

(xi) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों में से किसी भी वस्तु का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xii) कंपनी को बैंक के साथ चालू संपत्तियों का विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ जमा किए गए विवरण और खाता पुस्तकों के बीच मिलान लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

(xiv) कंपनी के पास ऐसी कोई अचल संपत्तियाँ नहीं हैं जिनके स्वामित्व के कागजात कंपनी के नाम पर नहीं हों।

(xv) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएँ (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को कोई अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है, यह समझते हुए कि मध्यस्थ:
(क) सीधे या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे, जिन्हें किसी भी तरीके से कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी) या

(ख) अंतिम लाभार्थियों के behalf पर या उनके लिए कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेंगे।

(xvi) कंपनी को किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएँ (फंडिंग पार्टी) भी शामिल हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, यह समझते हुए (चाहे वह लिखित रूप में हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) सीधे या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे, जिन्हें किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी) या
(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेंगे।

(xvii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों का प्रकटीकरण किया गया है:

क्र. सं.	अनुपात	प्रगणक	विभाजक	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	%विचरण	विचरण का कारण (यदि विचरण 25% से अधिक है)
(क)	वर्तमान अनुपात (गुणा में)	कुल वर्तमान संपत्तियाँ	कुल वर्तमान देनदारियाँ	0.44	0.28	57.14%	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान संपत्तियों में वृद्धि के कारण
(ख)	ऋण-इक्विटी अनुपात (गुणा में)	ऋण	कुल इक्विटी	0.98	0.55	78.18%	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में वृद्धि के कारण
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुणा में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.03	0.01	516.05%	जैसा कि वित्तीय वर्ष के दौरान संचालन से राजस्व उत्पन्न होना शुरू होता है
(घ)	इक्विटी पर लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	(0.12)	0.01	-1300.00%	वर्तमान वित्तीय वर्ष में नुकसानों के कारण
(ङ)	सूची घुमाव अनुपात (गुणा में)	बिक्री	औसत सूची	लागू नहीं है			
(च)	व्यापारिक प्राप्तियाँ घुमाव अनुपात (गुणा में)	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	औसत खाता प्राप्तियाँ				
(छ)	व्यापारिक देनदारियाँ घुमाव अनुपात (गुणा में)	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापारिक देनदारियाँ	लागू नहीं है			
(ज)	शुद्ध पूंजी घुमाव अनुपात (गुणा में)	शुद्ध बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	(0.06)	-	100%	पिछले वर्ष में अनुपलब्ध
(झ)	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	(34.89)	-	100%	पिछले वर्ष में अनुपलब्ध
(ञ)	व्यवहृत पूंजी पर लाभ (% में)	ब्याज और कर से पहले आय	व्यवहृत पूंजी	(0.08)	-	0.00%	लागू नहीं है
(ट)	निवेश पर लाभ (% में)	आय	निवेश	लागू नहीं है			

लेखांकन नीति में परिवर्तन

लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति;
1. कर्मचारी लाभ (Ind AS 19)
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कर्मचारी लाभ के लिए नई लेखांकन नीति अपनाई है, जो ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से संबंधित है। अब कंपनी Ind AS 19, "कर्मचारी लाभ" के तहत इन लाभों का एक एक्ट्यूरियल मूल्यांकन करती है। पहले, कंपनी ने इस तरह का मूल्यांकन नहीं किया था और इन देनदारियों को सुपरएनुएशन योजना के अनुसार मान्यता दी थी। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभावों के बारे में विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाती है, जो संस्था की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन या नकदी प्रवाह पर प्रभाव डालती हैं।

2. सरकारी अनुदान (Ind AS 20)
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने द्वारका, नई दिल्ली में प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परियोजना के लिए पूंजीगत संपत्तियाँ बनाने हेतु ₹ 437.00 लाख का एकमुश्त अनुदान राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) को स्वीकृत किया, ताकि यह निधि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में DMICDC के नाम से जाना जाता था) को FY 2016-17 के लिए स्थानांतरित की जा सके। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड ने परियोजना खर्च को स्थानांतरित करते समय सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को समायोजित किया।

कंपनी ने सरकारी अनुदानों के लिए अपनी लेखांकन नीति भी बदल दी है। पूर्व नीति के अनुसार, ऐसे अनुदान को स्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और उसे संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान लाभ और हानि खाता में मान्यता प्राप्त होती थी। अब, कंपनी सरकार द्वारा दिए गए संपत्ति-संबंधी अनुदानों को सीधे संबंधित संपत्ति खातों के तहत मान्यता देती है। यह परिवर्तन कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता है, जिससे स्थगित आय की जटिलता कम होती है और Ind AS 20, "सरकारी अनुदानों की लेखांकन प्रक्रिया और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के सिद्धांतों के अनुरूप हो जाता है।

लेखांकन नीति में बदलाव का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव

(क) लाभ और हानि खाता पर प्रभाव

विवरण	**31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)**
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ	**30.41**
कर्मचारी लाभ व्यय	
अर्जित अवकाश और आधे वेतन के अवकाश के लिए प्रावधान	-0.62
जोड़	-0.62
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार पुनः प्रस्तुत लाभ	**31.03**

(ख) वित्तीय विवरणों पर प्रभाव

विवरण	**31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)**	**31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)**
दायिताएं		
प्रावधान	(1.22)	(0.60)
अन्य इक्विटी	1.22	0.60
अन्य गैर-चालू दायिताएं	(437.00)	(437.00)
जोड़	**(437.00)**	**(437.00)**
परिसंपत्तियां		
चालू पूंजीगत कार्य	(437.00)	(437.00)
जोड़	**(437.00)**	**(437.00)**

(ग) **ईपीएस पर प्रभाव**

विवरण	**31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)**
ईपीएस में वृद्धि	0.00

45 व्यापारिक प्राप्तियों/व्यापारिक देनदारियों की आयु इस प्रकार है:-

क व्यापारिक प्राप्तियां
31 मार्च, 2024 को

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिल नहीं किए गए बकाए	6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
(i) विवादित नहीं – अच्छा माना जाता है	27.42	1,303.41	-	-	-	-	**1,330.83**
(ii) विवादित नहीं – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित नहीं – क्रेडिट में गिरावट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित – क्रेडिट में गिरावट	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिल नहीं किए गए बकाए	6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
(i) विवादित नहीं – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(ii) विवादित नहीं – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित नहीं – क्रेडिट में गिरावट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित – जिनमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हो	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित – क्रेडिट में गिरावट	-	-	-	-	-	-	-

ख व्यापार देय
31 मार्च, 2024 को : (₹ लाख में)

विवरण	देय नहीं	Outstanding for following periods from due date of payment				
		1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु और मध्यम	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को : (₹ लाख में)

विवरण	देय नहीं	Outstanding for following periods from due date of payment				
		1 साल से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु और मध्यम	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-

46 Ind AS 8 के अनुसार प्रकटीकरण 'लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियाँ'

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी

कंपनी ने 31 मार्च 2023 के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित Ind AS 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' में संशोधन को अपनाया, जो 'लेखांकन नीति जानकारी का प्रकटीकरण' से संबंधित है - 1 अप्रैल 2023 से। हालांकि इस संशोधन का लेखांकन नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की गई लेखांकन नीति जानकारी को प्रभावित किया। इस संशोधन के तहत (महत्वपूर्ण) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, न कि (महत्वपूर्ण) नीतियों का। संशोधन यह भी मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण में सामग्रीता (materiality) का कैसे उपयोग किया जाए, जिससे संस्थाएँ उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी को समझने के लिए उपयोगी, संस्थान-विशिष्ट लेखांकन नीति जानकारी प्रदान कर सकें।

ख) मानक/संशोधन जारी किए गए लेकिन अभी प्रभावी नहीं हुए

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (MCA) समय-समय पर कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। MCA ने 28 सितंबर 2024 को अधिसूचित किया कि कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) तीसरी संशोधन नियमावली, 2024 जारी की गई है। कंपनी ने अभी तक इसके वित्तीय विवरणों पर प्रभाव की पहचान नहीं की है।

47 दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को दिए गए अनुदान का लेखा उपचार

प्रमुख निदेशक, लेखा कार्यालय, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखा परीक्षण के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को परियोजना स्थल तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए जारी किए गए अनुदान से संबंधित मुद्दे पर दी गई आश्वासन के अनुसार, कंपनी ने DMRC को जारी किए गए अनुदान के लेखा उपचार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की राय प्राप्त की। EAC ने 26 सितंबर, 2024 को ईमेल के माध्यम से अपनी राय दी, जिसमें यह मानते हुए कि कंपनी मेट्रो लाइन विस्तार के बिना परियोजना का निर्माण और संचालन कर सकती है, समिति की राय निम्नलिखित है:-

"समिति ने यह नोट किया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार कंपनी के लिए अधिक आगंतुकों के मामले में लाभकारी हो सकता है, क्योंकि मेट्रो लाइन के माध्यम से ECC तक आसान पहुँच संभव होगी। हालांकि, यह ECC निर्माण गतिविधि में सहायता नहीं करता। कंपनी मेट्रो लाइन के विस्तार के बिना भी ECC और परियोजना के अन्य हिस्सों का निर्माण और संचालन करने में सक्षम होगी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बिना इस लागत को वहन किए (जैसे कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार), किसी भी संपत्ति/परियोजना का निर्माण या संचालन नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, विस्तार कार्य पर जो लागत व्यय की गई है, उसे निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने या परियोजना की संपत्तियों को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता, जो उन्हें प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन करने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, आपूर्ति किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि उपर्युक्त व्यय पूरे परियोजना के DPR का हिस्सा है, यह प्रदर्शनी-संयुक्त सम्मेलन केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है। अतः समिति का मानना है कि उपर्युक्त व्यय को परियोजना को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे संबंधित नहीं माना जा सकता, जो इसे प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन करने के लिए आवश्यक हो, जैसा कि Ind AS 16 की आवश्यकताओं के अनुसार है। इसलिए, इस प्रकार के व्यय को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जब भी यह व्यय किया जाए।."

चूंकि मेट्रो लाइन का विस्तार परियोजना के विकास के लिए एक पूर्व शर्त था, और ITFG बुलेटिन 11 में उल्लेखित समान खर्चों को ध्यान में रखते हुए, EAC से अनुरोध किया गया है कि वे 4 अक्टूबर, 2024 को ईमेल के माध्यम से इन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर एक अद्यतन राय प्रदान करें।

EAC की अंतिम राय प्राप्त होने तक, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन विस्तार पर खर्च को संबंधित संपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया गया है (कृपया नोट 4.1 देखें)। यह उपचार लेखा मानकों के अनुरूप है, क्योंकि यह खर्च सीधे संपत्ति को उसके इच्छित संचालनात्मक स्थिति में लाने से संबंधित है।

EAC की अंतिम राय का प्रभाव, यदि कोई हो, तो अद्यतन राय प्राप्त होने पर लागू किया जाएगा।

48 अन्य नोट्स

(i) कुछ लेनदारों/पार्टी के खातों में शेष राशि की पुष्टि/मिलान की आवश्यकता है। यदि कोई प्रभाव है, तो मिलान के बाद उसे उसी वर्ष में लिया जाएगा जब पुष्टि/मिलान की जाएगी।

(ii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों (खातों) संशोधन नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की है, जो 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती है, उसे केवल उस लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्रत्येक लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो, और आगे खातों की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता। कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह 04 अक्टूबर, 2023 से केवल सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित हुआ है।

49 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार तुलनीय बनाने के लिए समूहीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है। हालांकि, कंपनी ने 01.10.2023 से अपने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिए हैं और इसलिए संचालन से राजस्व के आंकड़े केवल 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए हैं, और इसलिए ये पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
गोयल गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन -000397एन

हस्ता.

अशोक कमार अग्रवाल
साझेदार
मेम्बेशिप नं. 084600

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

आरती भटनागर
निदेशक
डीआईएन - 10065528

हस्ता.

गरनीत तेज
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन - 07047188

हस्ता.

निखिल जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 दिसंबर, 2024